राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ४६वां दिवस [संख्या ३६

सोमवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ४ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, आबकारी, पंचायत, यातायात, पुनर्वास-सहायता, वन, देवस्थान, श्रम, समाज-कल्याण, सहकारी, विकास एवं आयुर्वेद विभाग]

सपोटरा हायर सैकन्डरी स्कूल भवन के लिये धनराशि

८८६. श्री हरफूल (खन्डार) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सपोटरा हायर सैकेन्डरी स्कूल के भवन के लिए सरकार द्वारा ५,०००) रु० स्वीकृत हुए थे और सम्बन्धित हैड मास्टर के पास पहुँच गये थे लेकिन यह धनराशि हैडमास्टर ने वापिस कर दी ?

(२) अब यह रकम पुन: कब तक प्राप्त हो जावेगी और अब तक रकम दुबारा नहीं मिलने का कारण क्या है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) भवन निर्माण समिति एवं जनता के कुछ लोगों में धनराशि के उपयोग करने में कुछ मन-मुटाव हो जाने के कारण इसका उपयोग नहीं हो सका तथा प्रधानाध्यापक सपोटरा हायर सेकन्ड्री स्कूल ने वह धनराशि शिक्षा निरीक्षक के कार्यालय में जमा करादी जो बाद में राजकोष में जमा करा दी गई। ५,०००) रु० की धनराशि इस स्कूल में दो कमरों के निर्माण के लिए ५० प्रतिशत पर दी गई थी। अब भी यदि वहां की जनता इतनी ही धनराशि जमा करा दे तो राज्य सरकार भी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिर से स्वीकृति देने पर विचार कर सकेगी।

Page No. 2

अफीम की चोरी, तहसील गंगधार

८८७. श्री जयलाल (डग) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील गंगधार में सन् ६० से ६३ तक कितने अफीम के केस पकड़े गये व कितनी अफीम पकड़ी गई व उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में अफीम की चोरी और न होने देने की राज्य सरकार ने क्या नई योजना बनाई है ?

उप-मंत्री, आबकारी एवं कर (श्री परसराम मदेरणा) : अफीम के केसेज् जो पकड़े गये उनका विवरण निम्न प्रकार है :

सन्	केस संख्या	मात्रा किलो	मात्रा ग्राम
१९६०	२	८	५६३
१९६१	८	१०	५६३
१९६२	७	६	४७४
१९६३	१	१	१४१

उपरोक्त केसेज् ओपियम एक्ट, १८७८ के तहत पुलिस को सुपुर्द किये गये थे ।

पुलिस विभाग द्वारा सभी केसेज न्यायालय में चालान कर दिये गये । अफीम का नियंत्रण भारत सरकार के अधीन है ।

चोरी रोकने के लिए नारकोटिक्स विभाग के सुझावानुसार राज्य स्तर पर एक लाइज़न कमेटी बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । चोरी पकड़ाने पर सरकार की ओर से मुखबिरों को इनाम दिये जाते हैं । सरकारी कर्मचारियों को सराहनीय काम करने पर इनाम दिये जाते हैं ।

श्री जयलाल : किन किन व्यक्तियों को पकड़ा गया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री जयलाल : क्या यह सही है पुलिस वाले वहां के लोगों के घरों में अफीम डालकर जबरदस्ती उनके खिलाफ मामले बनाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य साबित करवा सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यदि आपको यही जानना था तो इस तरह का सवाल करते ताकि मैं उस प्रकार का जवाब देता ।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपालसिंह ।

पंचायत समिति करौली के पंच और सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामले

८८८. श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : Will the Panchayat Minister be pleased to state :—

(1) How many embezzlement cases have been detected so far against the Panchas and Sarpanchas in Panchayat Samiti Karauli ? Detailed list of persons involved with the amount embezzled may kindly be given.

(2) In how many cases action under P. D. R. Act has been taken and how many cases are pending ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(श्री भीखाभाई)

(२) कुल ६६ मामलों में कार्यवाही की गई है व ३८ मामले विचाराधीन हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री बृजेन्द्रपाल : क्या यह सही है कि कुछ सरपंचों को सस्पेन्ड भी किया गया है?

श्री भीखाभाई : यह सारी जानकारी नहीं है। दो केसेज् में पुलिस द्वारा जांच चालू है, एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेटी में चल रहा है।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : इसमें कितना अमाउन्ट इन्वोल्वड है?

श्री भीखाभाई : वैसे बहुत कम दिखता है, पूरी की जोड़ तो मेरे पास नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर पंच-सरपंच के बारे में जानना चाहें तो बता सकता हूँ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह इन्क्वायरी कितने अर्से से पेन्डिंग है?

श्री भीखाभाई : यह तारीख भी मेरे पास नहीं है।

श्री बृजेन्द्रपाल : क्या जिनके खिलाफ सस्पेन्शन के ऑर्डर हो चुके उनके द्वारा अभी तक चार्ज भी नहीं दिया गया?

श्री भीखाभाई : सस्पेन्शन कितने हुए इसकी जानकारी भी नहीं है।

कुमारी उमा माथुर : रिकवरी के बारे में क्या एक्शन लिया गया?

श्री भीखाभाई : डिपार्टमेन्टल वसूलात के लिए ऑर्डर जारी किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय के पास सूची है जिसमें १६ केसेज् हैं जो पुलिस में चले गये हैं और जाच हो रही है?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, कुल पोजीशन मैं बता दूं ताकि सब साफ हो जायगा यह मालूम नहीं पड़ सकता कि ये गबन हैं या मिस-एप्रोप्रियेशन है या अनियमितताएं हैं। पंचायत समिति ओटोनोमस बोडीज़ होती हैं, लोकल बोडी होती है वे अपने खर्चे के बारे में स्वयं निर्णय करती हैं केवल सरकार को ऑडिट कराने का अधिकार है। एक सूची में श्री राम भातपुर मांची में ५.५० है, यह क्या एडजस्टमेंट में गलती हुई या क्या है यह कह नहीं सकते। इतना सा पैसा जहां है वहां यह तो नहीं मान सकते कि यह गबन है इर्रेगुले-रिटी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : यही तो जानना चाहते हैं इस प्रकार केसेज़ जो पंचायत समिति में पेन्डिंग पड़े हैं चाहे वे एम्बेज़लमेंट के नाम से हो, मिस एप्रोप्रियेशन के नाम से हो, उनका निराकरण हो जाय तो मालूम पड़े कि उनके खिलाफ कोई आउटस्टेंडिंग नहीं है और जिनके खिलाफ गबन के मामले हैं उनके लिये मुकदमें चलाये जायं।

श्री भीखाभाई : नया अमेन्डिंग भी आ रहा है, उसमें इस प्रकार के प्रावधान किये जायंगे। मैं खुद भी महसूस करता हूं कि एम्बेज़लमेंट, मिस एप्रोप्रियेशन अनयुटिलाइ-ज़ेशन ऑफ फन्ड्स आदि सब चीजों का तय करके पंचायत समिति को दे दी जाय ताकि हर मामले में मान लेना कि गबन किया गया है, यह ठीक नहीं है।

Page No. 4

श्री बृजेन्द्रपाल : दो सरपंचों के लिये डेफीनिटली कह सकता हूं; सस्पेन्शन ऑर्डर हो चुके हैं, पर अभी तक ६ महीने हो गये चार्ज नहीं दिया।

श्री भीखाभाई : मैं देख लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : कब तक देखेंगे ?

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : प्रश्न देखने, नहीं देखने का नहीं है। प्रश्न यह है कि आपको पता है या नहीं इस बात का ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह रहे हैं, पता नहीं है।

कुमारी उमा माथुर : उसके खिलाफ ६,१५०) रु० के गबन का केस हैं; उसके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया, छाजूलाल के।

श्री भीखाभाई : छाजूलाल के केस के लिए कह दूं कि मामला पुलिस में है।

धोखा देकर उत्तीर्ण होने की शिकायत

८८६. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक १८। ११६१ को श्री मानसिंह राठौड़, डिमोन्स्ट्रेटर, कृषि कॉलेज, उदयपुर ने श्री पूसासिंह उर्फ राजेन्द्रसिंह ग्राम चण्डालिया, तहसील परबतसर के खिलाफ रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय को धोखा देकर मेट्रिक व बी.ए. की परीक्षाओं में बैठ कर उत्तीर्ण होने की शिकायत की थी ?

(२) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार राजस्थान विश्व-विद्यालय ने इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, जोधपुर को जांच करने का आदेश संख्या ८६ ई/एक्स /८१/६२ के अनुसार दिया था।

(३) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) इन्सपेक्टर ने चिल्ड्रन्स हैप्पी स्कूल, सरदारपुरा, जोधपुर के हैड मास्टर से रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में श्री राजेन्द्रसिंह का संस्था में अध्यापक पद पर १८ माह कार्य करने की सूचना मिली। उसी आधार पर विश्वविद्यालय ने मामले को फाइल करने का ऑर्डर दे दिया। यह मामला सी.आई.डी द्वारा एक जयपुर तथा एक जोधपुर में रजिस्टर करा दिया गया है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : क्या कारण है कि रजिस्ट्रार ने उसे अनफाउन्डेड लिख दिया कम्पलेन्ट को ? फिर उसे रिओपन करने का क्या कारण है ? ऐसी गलत रिपोर्ट देने के लिये रजिस्ट्रार के खिलाफ क्या एक्शन लिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अनकाउन्टेड कहा या अनफाउन्डेड ? अनफाउन्डेड से मतलब है आपका ? पूसासिंह ने फण्डामेन्टली अपना नाम बदलकर चीट किया है और उसके खिलाफ आफेन्सेज प्राइमा फेसी साबित हुआ है, इसलिये सी.आई.डी. ने इन्वेस्टिगेट किया और दोनों केस जयपुर और जोधपुर में रजिस्टर हो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गये हैं। क्रिमिनल ऑफेन्स को देखा इसलिए रजिस्टर किया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह था कि रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय को जब पता लग गया फिर भी उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की जो कि करनी थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के पास मैटीरियल नहीं था जिससे उसे यह ज्ञान हो सके। सी.आई.डी. विभाग ने चिल्ड्रन हैप्पी स्कूल, जोधपुर के रेकॉर्ड देखे हैं, जयपुर में जहां यह मास्टर रहा बताया, बी ए.पास करने के लिये तो जयपुर में कागज देखे हैं। तो ये सब मैटीरियल हमने डिग आउट किये हैं। रजिस्ट्रार के पास इस तरह का कोई मैटीरियल नहीं था।

श्री अध्यक्ष : जिन संस्थाओं ने गलत सर्टीफिकेट दिये उनके खिलाफ कार्यवाही की है आपने ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्राइमा-फेसी के आधार पर केस रजिस्टर हो गया है उसके ऑफ शूट्स क्या हो सकेंगे वे भी देखेंगे।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : इसका क्या कारण है कि जिस इन्सपेक्टर की रिपोर्ट पर रिओपन किया उसी को वापिस इन्क्वायरी दे दी और जब उसको फैक्ट्स फिगर्स दे दिये गये १०।७।६३ को तो तब से आज तक क्या एन्क्वायरी की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह पहला असेसमेन्ट हमारा गलत हो गया। केस को नागौर भेज दिया था। पर प्रोपर इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि जोधपुर और जयपुर में ही यह रजिस्टर होना चाहिये। तो नागौर के प्रश्न के बीच में आ जाने के कारण यह डिले हुई।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : राजेन्द्रसिंह के बारे में क्या यह भी पता लगा है कि ११।७।५६ से २३।७।५६ तक चिल्ड्रन हैप्पी स्कूल सरदारपुरा जोधपुर में पे लगी हुई है जब कि जयपुर में वह टूर पर जा रहा है उन्हीं दिनों में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसका पता तब लगा जब शहादत को देखा गया। चिल्ड्रन हैप्पी स्कूल के रजिस्टर को भी देखा गया। उसके इरेज़न को भी देखा गया। जयपुर और जोधपुर की स्कूलों में काम कर रहा था उन्हीं दिनों जागीर कमिश्नर के ऑफिस में एल.डी.सी का काम भी कर रहा था तो उन दिनों में यह टीचर के तौर पर यहां भी अटेन्डेन्स कर सकता था या नहीं यह शंकास्पद होने से ही तो यह केस रजिस्टर हुआ।

अब इसमें अगर स्कूल वालों की गलती है तो उसकी भी जांच करेंगे।

ग्राम पंचायत, घोसून्डा

८६०. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत घोसून्डा द्वारा रोशनी और सफाई का कार्य

(श्री अब्दुलजब्बार)

बराबर नहीं कराया जाता है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सफाई कार्य के लिये हरिजन नौकर रखे जाते हैं और वे सफाई नहीं करते ?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत द्वारा गैस पेट्रोमैक्स बेच दिये गये है ? यदि हां, तो कब और क्यों व प्रत्येक गैस बत्ती कितने कितने दामों में बेची गई व वे कौन कौन से मेक की थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां । आर्थिक स्थिति के अनुसार समय समय पर करवाया जाता है ?

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ने रोशनी के लिए गैस खरीदे थे ?

श्री भीखाभाई : जी हां ।

श्री अब्दुलजब्बार : वे कहां हैं ?

श्री भीखाभाई : वे अब भी पड़े हैं ।

सामान की खरीद, शिक्षा-निरीक्षक कार्यालय, अलवर

८६१. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६१-६२ व १९६२-६३ में शिक्षा निरीक्षक, अलवर के कार्यालय में निम्नलिखित आइटम्स (खास -खास) की खरीद की गई थी, घड़ियां, फिनायल, झाड़ु, बर्तन जैसे बाल्टी, लौटे व परात आदि ।

(२) क्या उक्त वस्तुओं की खरीद के लिये शहर की शिक्षा विभाग से रजिस्टर्ड फर्मों से कोई टेन्डर मांगे गये थे ? अगर हां, तो किन किन से सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें और यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसके कारण क्या थे ?

(३) क्या यह भी सही है कि घड़ियों की खरीद के लिये देहली की भी किन्हीं फर्मों से टेन्डर मंगाये गये थे ? यदि हां, तो उन फर्मों के नाम बताये जावें और यह भी बताया जावे कि क्या वे फर्म्स शिक्षा कार्यालय, अलवर से रजिस्टर्ड थीं तथा इन टेन्डरों से पूर्व इन देहली की फर्मों से कभी पहले भी टेन्डर मांगे थे ?

(४) अलवर की फर्मों ने जो टेन्डर घडियों की खरीद के दिये, वह और देहली की फर्मों से प्राप्त टेन्डर्स में दर्शित वस्तुओं की दरों का कम्पेरेटिव स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(५) क्या सरकार को विदित है कि अलवर की फर्म्स जैसे बीना ट्रेडिंग कम्पनी व रामा आइरन वर्कस दोनों ही बोगस हैं और इनका कोई अस्तित्व ही नहीं ? यदि यह सही है तो इनसे घड़ियों की खरीद किस बिना पर की गई ? क्या एप्रूव्ड शुदा घड़ियां ही सप्लाई की गईं ? क्या सरकार यह भी जानती है कि ये घड़ियां स्मगलिंग किये हुए माल में से हैं ?

Page No. 7

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

खरीद करने के बाद ये घड़ियां किन किन स्कूलों को दी गई ?

(६) क्या सरकार की यह भी जानकारी में है कि उक्त दोनों फर्मों के अस्तित्व को दिखाने में श्री गोपालदास खण्डेलवाल, अकाउन्टेन्ट कार्यालय शिक्षा निरीक्षक अलवर का हाथ है जो इस बोगस फर्मों को अपनी कमाई का एक जरिया बनाये हुए है ?

(७) क्या सरकार के कोई ऐसे आदेश हैं कि झाड़ुओं की खरीद के लिये हर मिडिल व प्राइमरी स्कूलों को हर माह फिक्स्ड अमाउन्ट कॉन्टीन्जेन्सी के रूप में सरकार द्वारा दिया जावे ? किन्तु इन आदेशों की अवहेलना कर शिक्षा निरीक्षक कार्यालय अलवर में ६००)रु. के ऊपर धन राशि से एक मुश्त झाडुओं की खरीद की गई और वह भी इसी बोगस वीना ट्रेडिंग कम्पनी से या फिर रामचन्द्र भौरीलाल चौधरी, पंसारी बाजार, अलवर से जो कि श्री गोपालदास खण्डेलवाल अकाउन्टेन्ट के निकटतम सम्बन्धी हैं ? क्या झाडू की खरीद के लिये भी कोई टेन्डर मांगे गये थे ? और यदि हां, तो किन किन फर्मों से ?

(८) क्या सरकार द्रव्य का दुरुपयोग करने वाले व अनियमित कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : इसके लिये पोस्टपोनमेन्ट के लिये प्रेयर की है ।

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें अध्यक्ष महोदय, पहले भी जवाब दिया गया है । पहले और अब के जवाब में कन्ट्राडिक्शन होने का डर है इसलिए पोस्टपोन मांगा जा रहा है । फिर भी अगर पोस्टपोनमेन्ट दिया जावे तो केवल एक दो दिन के लिये दिया जावे अध्यक्ष महोदय, और इसका उत्तर इसी सैशन में मिलना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अर्ज करना चाहता था, पर टेन्डर के बारे में मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट और चीफ अकाउन्टेन्ट के विभाग के आदमी जांच करने के लिए गये हुए हैं । उसकी रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है । इसलिये मैंने पोस्टपोननेन्ट मांगा है क्योंकि इस रिपोर्ट के बिना जवाब अधूरा रहेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न पहले भी इस सदन में पूछे जा चुके हैं । एक प्रश्न संख्या १७० है दूसरा १२३ । इन दोनों प्रश्नों के दौरान जवाब में बहुत सी सूचनाएं आई हैं । अब चूंकि पहले दिये गये उत्तर में और इन सूचनाओं के आधार पर दो गई इस सूचना से कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है इसलिये इसे फिर टाले जाने की कोशिश हो रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सम्पूर्ण केस भ्रष्टाचार से सम्बन्ध रखने वाला है और इसलिये सदन की कार्यवाही समाप्त होने से पहले ६ या दस तक इनसे जवाब मंगा लिया जावे तो अच्छा होगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसी बुनियाद पर तो एण्टी-करप्शन विभाग जांच कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष : आप यह उत्तर दे दीजिये कि इन सारी बातों पर इन्क्वायरी हुई है और आगे जांच हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, जो लिस्ट सदन की मेज पर रखी गई थी पहले नत्थीसिंहजी के प्रश्न के उत्तर में उसमें झाड़ू का आइटम इन्क्लूडेड नहीं था। अब इस सूचना में ६००) रु० के झाड़ू खरीदे गये हैं, इसलिए अब उत्तर में कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि उत्तर में कुछ चीजों को अवोइड किया गया है इसलिये ये उत्तर देने से हिचक रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जितनी इर्रेगुलेरिटीज़ हैं एक झाड़ू या पचास झाड़ू की या कुछ टेन्डर में कम्पनीज़ इन्क्ल्यूड नहीं करने की, तो इन सबकी जांच की जा रही है। बहतर यह होगा कि सारी जांच के परिणाम आने पर वे सभी बातें मैं आपके सामने रख सकूं। छिपाने का कोई प्रश्न नहीं है। जांच दोनों तरफ से एन्टी—करप्शन विभाग और अकाउन्ट्स विभाग से हो रही है इससे हमें विपद् और विस्तृत जानकारी मिलेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जानकारी सदन समाप्त होने से पहले मंगवा ली जावे।

श्री रामकिशन : जितनी सूचनाएं आपके पास आ गई हैं, आप तो उतनी ही बता दीजिये, हम संतुष्ट हो जावेंगे। क्योंकि मामला गम्भीर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये तो सारे फैक्ट्स हैं, एन्टी—करप्शन विभाग इन फैक्ट्स के बारे में क्या कहेगा। आपने टेन्डर कॉल किये आप बता दीजिये किन किन फर्मो को कॉल किया, किन किन के आये, आपने किन किन आइटम्स के टेन्डर कॉल किये, क्या रेटें आई रजिस्टर्ड डीलर को टेन्डर के लिये कहा या अनरजिस्टर्ड से कहा। ये सारी फैक्ट्स से सम्बन्ध रखने वाली बातें हैं। ये तो आप बता दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका मतलब यह है कि एन्टीकरप्शन से जांच नहीं कराई जाये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जांच तो चलती रहे लेकिन जो तथ्य मांगे हैं वे सदन की मेज पर रखे जायें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, जांच तो ३ साल चलेगी इसका क्या मतलब है ? मंत्री महोदय स्पेसिफिक बतायें कि ६ तारीख तक या १० तारीख तक जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : एक तथ्य तो जरूर मंत्री जी बता सकते हैं कि क्या सारे इन चार्जेज़ की जांच हो रही है या कुछ की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सारे चार्जेज को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह जांच तो इस प्रश्न के आने के बाद चल रही है या पहले से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस महीने के आरम्भ से इसकी जांच के लिए दोनों पार्टीज़ गयी हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन भेजे २ महीने हो गये हैं....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : इस नाम की कोई फर्म काम कर रही है या नहीं, इसकी तो एक दिन में जांच हो सकती है। अभी अधिवेशन खत्म होने वाला है तो यह अधिवेशन खत्म होने के बाद कब जांच करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, सन्तोष नहीं हो सका। ए० सी० डी० की जांच चलती रहे लेकिन कुछ तथ्य मांगे गये हैं और पहले भी दो दफा मांगे जा चुके हैं और क्योंकि उनमें कॉन्ट्राडिक्शन हैं पहले जो सदन की मेज पर चीजें रखी हैं और अब दुबारा क्वेश्चन के अन्दर कॉन्ट्राडिक्शन उपस्थित होते हैं। इसमें तो कुछ फैक्ट्स मांगे गये हैं वे देने में माननीय मंत्री महोदय को क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : वह फैक्ट्स बिना जांच किये हुए कैसे बता सकते हैं ? जानकारी तो करनी ही पड़ेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जानकारी का प्रश्न तो है ही। वह अब तक कर सकते थे ?

श्री अध्यक्ष : जानकारी ही तो करेंगे। मगर जांच के बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता कि जैसे फर्म है या नहीं इसका मंत्री महोदय आज क्या उत्तर दे सकते हैं जब तक कि जांच करके न बताया जाये कि फर्म है या नहीं। सारे चार्जेज़ की जांच हो रही है और एन्टीकरप्शन के पास है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, चाहे आप १० तारीख तक या ६ तारीख तक पोस्टपोन कर दें लेकिन इस सैशन के समाप्त होने के पहले इसका उत्तर आ जाये।

श्री अध्यक्ष : The House should feel assured that the matter is being properly enquired into. That is all we are concerned with at present.

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि एन्टीकरप्शन विभाग से जांच करवा रहे हैं। वह तो क्वेश्चन के जाने के बाद करवा रहे हैं। यह इतने जागरुक नहीं हैं कि सब बातों का उनको पता चले। मैं अध्यक्ष महोदय, से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में एन्टीकरप्शन की फाइन्डिंग्ज़ क्या होंगी यह अलग प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या अनरजिस्टर्ड डीलर्स से टेन्डर्स लिये गये हैं और सिर्फ ३ टेन्डर्स आये हैं और उसमें दो अनरजिस्टर्ड डीलर के थे और एक रजिस्टर्ड डीलर का था तो उस एक रजिस्टर्ड डीलर का ही टेन्डर स्वीकार कर लिया गया ? इस फैक्ट को एडमिट करने में एन्टीकरप्शन की इन्क्वायरी का सवाल नहीं है। यह तो स्कूल में सारा रेकॉर्ड है उसको देखकर इसका जवाब दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय के पास जो उत्तर है वह दे दें और बाद में दे दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) जी हां।

(२) जिन जिन फर्मों से उपरोक्त चीजों के टेन्डर मांगे गये थे उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। इनमें रजिस्टर्ड एवं

Page No. 10

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

अनरजिस्टर्ड दोनों प्रकार की फर्में हैं। अनरजिस्टर्ड फर्मों को रजिस्टर्ड कराने के लिये टेन्डर फॉर्म में कह दिया गया था।

(३) जी हां। देहली की फर्मों से भी टेन्डर मांगे गये थे। उनके नाम ये हैं:—

१. मेसर्स मडारिना वाच कम्पनी, देहली।

२. पी० एल० ब्रॉदर्स, देहली।

ये फर्में रजिस्टर्ड नहीं थीं, इनको रजिस्टर्ड कराने के लिए टेन्डर फार्म में कह दिया गया था। इनसे पहले कभी टेन्डर नहीं मांगे गये थे।

(४) घड़ियों की खरीद का कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(५) मेसर्स वीना ट्रेडिंग कम्पनी एक रजिस्टर्ड फर्म है। अत: उसके बोगस होने का प्रश्न नहीं उठता। श्री रामा आयरन वर्क्स अलवर से अभी कोई सामान नहीं खरीदा गया है। घड़ियां जो कि कमेटी ने एप्रूव की खरीदी गई यह जानकारी में नहीं है कि यह घड़ियां स्मगलिंग किये हुए माल में से हैं। जिन स्कूलों को घड़ियां दी गई थीं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(६) ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास अभी तक नहीं आई है।

(७) हर महीने मिडल व प्राइमरी स्कूलों के लिये फिक्स द्रव्य कन्टीन्जेन्सी के रूप में शिक्षा निरीक्षक द्वारा दिया जाता है। झाडुओं की खरीद में कोई आदेश की अवहेलना नहीं की गई। बजट में कन्टीन्जेन्सी के हैड में वक्त होने के कारण ये झाड़ू खरीदी गयीं। जिन फर्मों से झाडूओं के खरीदे जाने के टेन्डर मांगे गये थे उसमें वीना ट्रेडिंग कम्पनी या रामचन्द्र भोरीलाल चौधरी, पंसारी बाजार अलवर नहीं है। जिन मुख्य फर्मों से टेन्डर मांगे गये थे वे ये हैं :

१. मेसर्स बसन्तीलाल-किशोरीलाल।

२. मेसर्स चिरंजीलाल एण्ड सन्स।

३. मेसर्स भोलानाथ मंगतूराम

४. मेसर्स डालूराम, पन्नालाल।

५. मेसर्स मोहनलाल, चुन्नीलाल।

६. मेसर्स जैन बुक डिपो।

(८) सरकारी द्रव्य का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है अत: किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने अपने उत्तर में बताया कि मैसर्स वीणा एण्ड कं०, यह फर्म बोगस नहीं है। मैं जानकारी चाहूंगा कि इस फर्म को रजिस्टर्ड किस ने किया? इसका रजिस्ट्रेशन तहसीलदार ने किया या एस. डी. एम. ने इसका रजिस्ट्रेशन किया? क्या तहसीलदार इसका रजिस्ट्रेशन करने का एम्पॉवर्ड था?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह फर्म रजिस्टर्ड है और रजिस्ट्रेशन के टेन्डर में नं० १२ है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

"The firm quoting the rates must have a certificate of Magistrate or Collector, certifying that their financial standing is of Rs. 5,000 and he is a genuine dealer. In case he has already supplied such certificate or is registered in this office, he should enclose a copy of the same. Postal certificate of Rs. 20 may also be attached."

इसके माफिक यह रजिस्टर्ड है।

श्री मनिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि परात का टेन्डर लिया वह तीन फर्मों से लिया और जिसमें से दो फर्म तो अनरजिस्टर्ड थीं और एक रजिस्टर्ड थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि यह ठीक है तो एक ही रजिस्टर्ड डीलर से टेंडर आने पर उसका टेन्डर कैसे स्वीकार कर लिया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह इर्रेगुलेरिटी है इसकी जांच कराना चाहेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि जो झाड़ू खरीदी गयीं वे ९६० रुपये की खरीदी गयीं और वह भी अनरजिस्टर्ड डीलर से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने इसमें फर्म का नाम दिया वह अनरजिस्टर्ड हैं तो अनरजिस्टर्ड से ही खरीदी गयीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या विभाग के पास कोई इस प्रकार का आदेश है कि रजिस्टर्ड डीलर्स से ही टेन्डर्स लिये जायें और उनको ही स्वीकार किया जाये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यदि अनरजिस्टर्ड फर्म से खरीदी गयी हैं तो उचित नहीं किया गया और इसकी भी जांच की जा रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : राजस्थान में कोई झाड़ू के लिए रजिस्टर्ड डीलर है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : झाड़ू के लिए नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि जो घड़ियां खरीदी गयीं वे भी अनरजिस्टर्ड डीलर्स से खरीदी गयीं। उसके जितने टेन्डर्स आये उसमें वीणा ट्रेडिंग कम्पनी के अलावा सब अनरजिस्टर्ड थे और एक ही रजिस्टर्ड टेन्डर होने के कारण उसी को स्वीकार कर लिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक ही वीणा ट्रेडिंग कम्पनी रजिस्टर्ड रही और उससे ही घड़ियां खरीदी गयीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब झाड़ू खरीदी गयीं तो कन्टीन्जेन्सी फण्ड मौजूद था उसके बावजूद भी झाड़ू दूसरे फण्ड में से खरीदी गयीं, क्या यह सही है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सही है कि घड़ियों के जो टेन्डर्स ५३.५० रु० में स्वीकार किये गये इन्हीं घड़ियों के जो टेन्डर्स आपने अप्रेल में लिए थे और इन घड़ियों को

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

४१.७५ रु० राजस्थान के एक रजिस्टर्ड डीलर ने देना स्वीकार कर लिया था और उसको स्वीकार नहीं किया गया और फिर वीना ट्रेडिंग कम्पनी का ५३.५० रु० का टेन्डर स्वीकार किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सही है कि मई, ६१ और ६२ में इसके टेन्डर्स लिए गए थे जिसके लिए ३ कम्पनियों ने दिये थे और वह रजिस्टर्ड कम्पनियां थीं और जब दुबारा टेन्डर्स लिए गए तो इन रजिस्टर्ड कम्पनियों को उसमें शामिल नहीं किया गया। फलस्वरूप वीणा ट्रेडिंग कम्पनी रह गयी और उसी कम्पनी को इन्होंने दे दिया। यह इसकी जानकारी मुझे है।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अध्यक्ष महोदय, जितना भी जवाब आपने दिया है उससे बिलकुल साफ है कि वहां पर इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने या वहां के अकाउन्टेन्ट ने एक एक टेन्डर अलग अलग वस्तुओं के लिए लिया है और अनरजिस्टर्ड डीलर से लिये। ३१ आइटम्स इस तरीके के इस इन्सपेक्टोरेट ने खरीदे हैं जो कि एक ही रजिस्टर्ड डीलर से खरीदे हैं यह स्पष्ट है। १०,०००) रुपये की खरीद की गयी है जिसके लिए २ महीने का पूर्व नोटिस होना चाहिये था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कहा है कि यह लिया है तो इसीलिए इन्टेलिजेन्स से पूछा है। इसी की सफाई कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिन्होंने इस तरीके के टेन्डर्स से खरीदा है आज तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? विभागीय तरीके से कोई कार्यवाही की गई है अभी तक ? जांच हो रही है एन्टी-करप्शन में यह बात सही है और आपके चीफ एकाउन्ट्स ऑफीसर भी वहां पहुँच गये हैं इस क्वेश्चन के बाद, यह बात सही है, लेकिन आज तक उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह भी सही है कि कॉन्टीन्जेन्सी एक्जिस्ट करती थी उसके बाद भी एक्स्ट्रा एक्सपेन्डीचर इन्कर किया गया है तो इन्सपेक्टर को सस्पेन्ड क्यों नहीं किया जाता; क्या कारण है कि इतने तथ्यों के बाद भी ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम।

ऑडिट एतराज के जवाब, पंचायत समिति, सोजत

८६२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि नियमानुसार पंचायतों के ऑडिट एतराज के जवाब पंचायत समिति में पंचायतों को एक नियमित अवधि में भेजने पड़ते हैं और जवाब पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किये जा सकने पर ही ऑडिट ऐतराज की पूर्ति होती है ?

(२) सोजत पंचायत समिति में कितनी पंचायतों ने ऑडिट एतराज के जवाब १९६२-६३ में समिति में भेजे व कब ? किस तारीख को वे एतराज के जवाब समिति के सामने पेश किये गये ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

Page No. 13

(श्री भीखाभाई)

(२) जिन जिन पंचायतों के एतराजों का उत्तर प्रेषित किया उसका विवरण तालिका में दिया गया है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखो गई)

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न के भाग (२) में यह पूछा गया था कि आडिट रिपोर्ट की कम्प्लायेन्स रिपोर्ट कब पेश की गई? पंचायत समिति को उसकी सूचना आपने तालिका में नहीं दी है। वह कृपया बतावें।

श्री भीखाभाई : पंचायत समिति में उपस्थित होने की सूचना तो मेरे पास नहीं आई है, लेकिन पंचायत समिति की प्रशासन समिति के अन्दर कब पेश हुई है उसकी तारीख वह तालिका में दी गई है।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना इन्होंने दी है तो पंचायतों को नियमानुसार दो महीने के अन्दर कम्प्लायेन्स रिपोर्ट पंचायत समिति को भेजनी पड़ती है, लेकिन पंचायत समिति के अन्दर वह साल-साल, डेढ़ साल तक रिपोर्ट पड़ी हुई है और विकास अधिकारी पंचायत समिति में पेश नहीं करते हैं और जब दूसरा ऑडिट होता है तो पंचायतों के सामने वही के वही एतराजात आते हैं। न तो उनको कलेक्टर जानने की कोशिश करता है न ही विकास अधिकारी। तो क्या माननीय मंत्री महोदय जो विकास अधिकारी इस तरह से सोते रहते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री भीखाभाई : उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

रोडवेज़ के पदों की निर्धारित योग्यताएं

८६३. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार के रोडवेज़ डिपार्टमेंट के लिए बनी हुई हाई पॉवर कमेटी ने डिपो मैनेजर, चीफ ट्रैफिक कन्ट्रोलर, टी० सी०, ए० टी० सी०, ट्रैफिक इन्सपेक्टर, ए० टी० आई० आदि पदों के सम्बन्ध में क्या योग्यताएं निर्धारित की हैं तथा वर्तमान में इन पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की क्या क्या योग्यताएं हैं ?

(२) क्या यह सही है कि विभाग में उपरोक्त पदों के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं लेकिन उन्हें प्रमोशन का चान्स नहीं दिया जाता है।

उप-मंत्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय यह डीपोज़ में इन्सपेक्टर के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की योग्यता रखी गई है, लेकिन सरकार ने जो अभी नियुक्तियां की हैं इनमें मेट्रिक्यूलेट और इन्टरमीजियेट्स को भी फ्रेश केन्डीडेट्स एक्स-

(श्री भीमसेन)

पीरिन्स भी नहीं होते हुए लिया गया है और सरकार ने ये अनियमिताएं की हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, क्वालिफिकेशन और सेट अप तय करने से पहले उन लोगों को भर्ती किया गया था और उनके काम के आधार पर और सीनियोरिटी के आधार पर ५० पर्सेन्ट कोटा प्रमोशन के हिसाब से इनको प्रमोशन दिया है।

श्री भीमसेन : जो आपने नॉन-मेट्रिक को रख छोड़ा है तो क्या कहना है इसके बारे में ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, नॉन-मेट्रिक तो कोई नहीं है ।

श्री भीमसेन : आइटम नम्बर २० पर नॉन-मेट्रिक है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : ए० टी० आई० और टी० आई० में ?

श्री भीमसेन : ए० टी० आई० में।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इनको एक्सपीरियन्स के हिसाब से लिया गया है। कोई क्वालिफिकेशन के हिसाब से फ्रेश नहीं लिया गया। वह साल, सवा साल पहले से नियुक्त थे उस समय यह क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं की गई थी। क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड होने के बाद में जो हुए हैं वे ग्रेजुएट्स हैं टी० आई० और ए० टी० आई० मेट्रीक्यूलेट हैं। उनको दो साल का एक्सपीरियेन्स हो गया था इसलिए लिया गया है। वह पहले से लिए हुए हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : नॉन-मेट्रिक को एज फ्रेश केन्डीडेट लिया गया था या दूसरे विभाग से ट्रान्सफर होकर आया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इतने डिटेल्स की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री भीमसेन : आपने जो सूची दी उससे ऐसा मालूम होता है कि सारे फ्रेश केन्डीडेट्स हैं जबकि साधारण पद के लिए एक्सपीरियन्स की आवश्यकता है तो फ्रेश केन्डीडेट क्यों एपोइन्ट किये गये वह भी निर्धारित योग्यता से नीचे के ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : सारे फ्रेश केन्डीडेट नहीं हैं। कुछ एब्जोप्शन कमेटी की तरफ से आये हैं, कुछ नये लिये गये हैं और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रान्सफर हुए हैं।

श्री भीमसेन : एब्जोप्शन कमेटी से आये हुए तो ४-५ आदमी हैं बाकी सारे फ्रेश केन्डीडेट्स हैं जो कि निर्धारित योग्यता से कम योग्यता रखते हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने बताया कि निर्धारित योग्यता से कम हैं वह केवल एक है और बाकी सब बी० ए० हैं और मैट्रिक्यूलेट हैं ; कम तो नहीं हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके बारे में जो रिक्रूटमेंट होता है तो रूल में जिस तरह की क्वालिफिकेशन दी हुई है उसको नहीं करते हैं। इसी वजह से कोई नॉन-मैट्रिक या किसी तरह का इर्रेग्युलर एपोन्इटमेन्ट होता है उसके कारण तो क्या आप यह व्यवस्था करेंगे कि पूरी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

तरह से उनका एडवर्टाइजमेंट करके फिर रिक्रूट करें ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है और उनका प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका एप्वाइन्टमेंट किया जाता है और सिलेक्ट कमेटी केन्डीडेट्स सिलेक्ट करती है।

श्री भीमसेन : क्या सरकार यह उचित समझती है कि निर्धारित योग्यता से कम के व्यक्ति उन पोस्टों पर काम कर रहे हैं उनको हटाकर उनके स्थान पर निर्धारित योग्यता के जो आदमी काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करेंगे ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि ५० पर्सेन्ट कोटा प्रमोशन का है और ५० पर्सेन्ट फ्रेश रिक्रूमेंट के लिए है। इसलिए जो पहले से नियुक्त किये गये हैं सीनियोरिटी के ऑर्डर में जिनका काम अच्छा है वे प्रमोशन कोटा में आयेंगे। बाकी फ्रेश कोटा में।

श्री अध्यक्ष : पहले से जो नियुक्त है उनका प्रमोशन नहीं किया है। अमुक पोस्टों पर जो पहले से एपोइन्टेड हैं उन्हीं पोस्टो पर उनको कन्फर्म किया गया है, तो यह प्रमोशन कहां हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : पहले एल० डी० सी० बनाते हैं उसके बाद ए० टी० आई और टी० आई० और डिपो मैनेजर बनाते हैं। एक दम से नहीं बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का यह कहना है कि जिन पोस्टों के लिए बाद में आपने ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन मुकर्रर की है, लेकिन ओरीजिनल एपोइन्टमेंट पहले कम क्वालिफिकेशन से की गई है और उसके बाद में उनको कन्फर्म कर दिया इसलिए प्रमोशन का प्रश्न ही नहीं आता।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो मैट्रीक्युलेट्स हैं उनको प्रमोशन दिया है ए० टी० आई० से टी० आई० पर। उनसे पहले ए० टी० आई को एल० डी० सी० से लिया गया था तो उनका काम देखने के बाद में उनको प्रमोशन दिया है। जो सेट अप तैयार किया है और जो क्वालिफिकेशन निर्धारित हुई है उसके बाद में किसी मैट्रिक्युलेट को टी० आई० के लिए नहीं लिया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : प्रमोशन, जो क्वालिफिकेशन निर्धारित है उसके अभाव में किस तरह से दिया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

कामां, डीग व नगर तहसीलों में भूमि एलॉटमेंट

८६४. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) भरतपुर जिले की कामां, डीग, नगर तहसीलों में मई–जून, १९६३ में कितने मेव व दीगर मेव मुसलमानों को बदले की भूमि एलाट की गई है ?

(२) एलॉटीज़ में कितनों के क्लेम पूरे कर दिये गये हैं और कितनों के बाकी हैं ?

(श्री मजलिस खां)

(३) यदि बाकी है, तो सरकार उनको कब तक पूरा कर देगी ?

उप-मंत्री, पुनर्वास (श्री परसराम मदेरणा) : (१) भरतपुर जिले में कामां, डीग, नगर तहसीलों में मई–जून १९६३ में ४१ मेव परिवारों को उनकी भूमि के बदले में ५६३ बीघा भूमि एलाट की गई है।

(२) १२,०७२ मेव परिवारों के क्लेम पूरे किये जा चुके हैं। १,८१० मेव परिवारों के क्लेम अधूरे हैं इनको ३,००३ बीघा रकबा दिया जा चुका है और १६,१३१ बीघा देना बाकी है। इन तहसीलों में सिर्फ २,७५६ बीघा रकबा है जो दिया जा सकता है।

(३) एलॉटमेंट कार्य बदस्तूर जारी है। मौजूदा रकबे में से भूमि एलॉट की जा रही है लेकिन कुछ रकबा ऐसा है जिसको मेवान नहीं चाहते। एलॉटमेंट के काम पूरा होने में कठिनाई यह है कि मेव अपनी असल भूमि को लेना चाहते हैं बदले की नहीं, जबकि असल भूमि शरणार्थियों को पहले से एलॉटेड है।

श्री मजलिस खां : क्लेम्स के अनुसार कितनी भूमि देना बाकी है ?

श्री परसराम मदेरणा : क्लेम्स के अनुसार बाकी है १६,१३१ बीघा, लेकिन २,७५६ बीघा ऐसा रकबा है जो कि दिया जा सकता हैं और उसमें बाकी निकाल लें तो १,६१,६,।३७२ बीघा १८१० परिवारों को उनके क्लेम के अगेंन्स्ट में देना बाकी रह गया है।

श्री मजलिसखां : भूमि देने योग्य कहां पर है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने जिन ३ तहसीलों का जिक्र किया है उन तहसीलों में २,७५६ बीघा रकबा है जो कि उनके क्लेम के अगेंन्स्ट में दिये जा सकते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): जमीन नहीं लेना चाहते हैं वह कौनसी किस्म की जमीन हैं, बेकार जमीन है या उपयुक्त जमीन हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीराम।

श्री हरीराम चौहान (तिजारा) : यह काम करते हुए सरकार को कितना अर्सा हो गया है कि इतनी बड़ी तादाद में जो जमीनें हैं वे वापिस नहीं लौटाईं।

श्री परसराम मदेरणा : यह काम करते हुए भारत सरकार को कितना अर्सा हो गया, यह तो मुझे पता नहीं।

श्री हरीराम चौहान : काम तो सारा राजस्थान सरकार को करना पड़ता है। भूमि एलाट करने की दर्ख्वास्तें आपको देते हैं, तो आपको कितना अर्सा हो गया ?

श्री परसराम मदेरणा : इनके क्लेम जब रिकॉग्नाइज्ड करने के बाद में, एक्सेप्ट करने के बाद में रकबा होता है इवेकुई प्रोपर्टी में तो उतना ही दे सकते हैं जितना कि कस्टोडियन जनरल बताता है।

श्री रामकिशन (वैर) : जो आपने बताया है कि १६,००० का रकबा उपलब्ध इन तीन तहसीलों में नहीं है तो बाकी के लोगों

(श्री रामकिशन)

को कहां बसाया जायगा और कहां जमीन देने की योजना है ?

श्री परसराम मदेरणा : भरतपुर में माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि लैण्ड पर बहुत प्रेशर है इसलिए भरतपुर जिले में लैण्ड देना सम्भव नहीं है। यह मैंने उनके एक दूसरे प्रश्न पर कहा था कि राजस्थान कैनाल में उनको लैण्ड आफर की है, लकिन वे वहां नहीं जाना चाहते हैं।

राजस्थान नहर पर उनको उनके क्लेम के अगेन्स्ट में जमीन देने को राज्य सरकार तैयार है।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय, जमीन जागीरदारों को खुद काश्त के लिए दी जा सकती है, बिस्वेदारों को खुद काश्त के लिए दी जा सकती लेकिन सरकार के पास मेवों को उनकी खुद की जमीन भी देने के लिये १५ साल से सरकार योजना नहीं बना सकी है। सरकार अगर दिलचस्पी से काम करे तो जमीन दे सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : जागीरदारों, जमीदारों और एक्ससोल्जर्स को वहां दी जाती है जहां जमीन खाली है, अलवर, भरतपुर में रबर की तरह जमीन बढ़ाई तो नहीं जा सकती।

श्री हरिराम चौहान : अलवर, भरतपुर में भी हजारों बीघा जमीन है अगर सरकार देना चाहे तो।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

हाई स्कूलों में तीन भाषाओं के पढ़ाने का फार्मूला

८६५. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि हाई स्कूलों में तीन भाषाओं के पढ़ाये जाने के फार्मूला को लागू कर दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा कौन कौनसी भाषायें पढ़ाई जा सकेंगी ?

(३) क्या अन्य भाषाओं को पढ़ाने के लिए राज्य सरकार के पास उचित सख्या में अध्यापकगण उपलब्ध है ?

(४) यदि अन्य भाषाओं के अध्यापक कम है तो राजस्थानी भाषा पढ़ाने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इसकी फाइल अभी मेरे पास नहीं है, फिर भी जवाब दे देता हूँ....

श्री अध्यक्ष : बहुत माहिर हैं आप।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : फाइल आपकी बगल में थी क्या ? कहीं आप भी डिस्प्लेस्ड हो जाते फाइल के साथ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) जी हां।

(२) अंग्रेजी, हिन्दी के अलावा संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी और सिन्धी है।

(३) तीन भाषाओं के लिये अध्यापक उपलब्ध हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य)

(४) श्री लैंगवेज फामूंला में वह सम्मिलित नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : किस आधार पर राजस्थानी को सम्मिलित नहीं किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : भाषा अभी उन्नत हो रही है, माननीय सदस्या प्रयास कर रही हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : उन्नत अवनत का सवाल नहीं है और न माननीय सदस्या का सवाल है। किस आधार पर सम्मिलित नहीं किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : लिटरेचर उपलब्ध नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : संविधान की वजह से नहीं लेना चाहते या कौनसी अड़चन नहीं लेने के लिये है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों ही बातें हैं। साहित्य का श्रजन हो जाय तो उसके बाद विचार हो सकता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मैं यह जानना चाहती हूं कि यदि संविधान में संस्कृत भाषा को स्थान नहीं दिया है तो फिर उसको किस आधार पर पढ़ाते हैं। क्या संस्कृत भाषा संविधान में स्वीकृत है इसका जवाब दें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप बताइये संस्कृत स्वीकृत है या नहीं, मैंने संविधान का शिड्यूल देखा नहीं है। श्री लैंगवेज में राजस्थानी को लिया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न विचारने योग्य है, बशर्ते कि साहित्य का श्रजन जो प्रारम्भ किया जा रहा है उसमें उन्नति हो।....

श्री रामकिशन (ढ्वैर) : अध्यक्ष महोदय....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : मुझे पूछने दीजिये पहले। आप स्पष्ट जवाब दें कि संस्कृत संविधान में स्वीकृत भाषा है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : संविधान की सूची में देख कर अर्ज कर सकता हूँ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : एक शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमको पता नहीं है कि संस्कृत संविधान में स्वीकृत भाषा है या नहीं। मैं और बात पीछे कहूँगी पहले आप बता दीजिए संस्कृत स्वीकृत भाषा है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला। Let it be the ladies day.

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इन्होंने दो बातें कहीं, पहली बात तो यह है कि संस्कृत संविधान में स्वीकृत नहीं है, फिर भी ली जा सकती है तो राजस्थानी भाषा क्यों नहीं पढ़ाई जा सकती ? दूसरी बात आपकी यह है कि यह भाषा उन्नत नहीं है, यदि आपको टेक्स्ट बुक्स नहीं मिल रही है तो कोई विद्वान लिख कर दे दें तो आप लेने को तैयार हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप संस्कृत के लिये कहती हैं, तो यह आदि भाषा है, देव भाषा है, इसका साहित्य बहुत अधिक

(श्री निरंजनाथ आचार्य)

है, विदेशों में यह साहित्य सम्मान प्रदर्शित करता है। भवभूति और कालिदास जिन्होंने हमारे सिर को ऊंचा किया है ऐसे साहित्यिक इसमें हुए हैं जिन्होंने इस साहित्य को बहुत ऊंचा उठाया है। इसलिये संस्कृत का प्रश्न इसके साथ मेल नहीं खाता। राजस्थानी में जहां तक डिंगल भाषा का प्रश्न है, वह उन्नत है, साहित्य की भाषा रही हैं, काव्य की भाषा रही है। राजस्थानी इस रूप में अभी तक ठीक रूप में उभर नहीं पाई है। राजस्थान में कई कॉवि-नेन्टिंग स्टेट्स मिली हैं, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। इन सारी कॉवेन्टिंग स्टेट्स की एक भाषा उभर आये, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। कई साहित्यिक इसमें जुटे हुए हैं, एक डिक्शनेरी तैयार करने में भी जुटे हुए हैं। भाषा का प्रश्न सामने आया है तो इस पर विचार किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के संबंध में निवेदन किया कि भाषा के रूप में वास्तविक स्थिति सामने आने पर पाठ्यक्रम पर विचार किया जा सकता है लेकिन प्राइमरी स्कूलों में हमने यह राय रखी है कि पहली और दूसरी कक्षाओं में यह कोशिश की जाय कि बच्चों को मातृ भाषा, मातृ भाषा का अर्थ राजस्थानी और राजस्थानी भाषा का अर्थ उनकी डिस्ट्रिक्ट की भाषा में शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : राजस्थानी के रूप में राजस्थान के कौन से हिस्से की भाषा उभरने की आशा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन। अभी बहुत से क्वश्चन्स बाकी हैं।

प्रश्न संख्या ८६६

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह।

लक्ष्मी बाईजी का मन्दिर, माणकचौक जयपुर

८६७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया]: क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या जयपुर में माणकचौक चौपड़ पर लक्ष्मी बाईजी का कोई सरकारी मन्दिर है जिसकी दुकानों की आमद राज्य कोष में जमा होती है ?

(२) क्या उक्त मन्दिर के पुजारी श्री बद्रीनारायण सरकारी मुलाजिम हैं ? यदि हां, तो वे कब से मुलाजिम हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त पुजारी ने सरकारी मंदिर को अपना निजी मान लिया और कभी सरकारी कर्मचारी को इन्सपेक्शन आदि नहीं करने देते ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जयपुर में माणक-चौक चौपड़ पर श्री लक्ष्मी बाईजी का मन्दिर नहीं है, बल्कि श्री लक्ष्मीनारायणजी (बाईजी वाला) सरकारी मंदिर है जिसकी दुकानों की आमद राज्य कोष में जमा होती है।

(२) उक्त मन्दिर में पुजारी श्री बद्रीनारायण नामक कोई नहीं है बल्कि श्री बंशीधर देवज्ञ है जो दिनांक २५-६-५४ से सरकारी मुलाज़िम हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

(३) यह सही है कि उक्त पुजारी सरकारी मन्दिर को अपना निजी मानता है। हाल में कोई सरकारी कर्मचारी इन्सपेक्शन के लिये नहीं गया है, इसलिये पुजारी के द्वारा इन्सपेक्शन नहीं करने देने का प्रश्न नहीं उठता। दिनांक १०-७-६१ को सहायक कमिश्नर, देवस्थान, जयपुर डिवीजन द्वारा इन्सपेक्शन किया गया गया था उस समय उसके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : जब मन्त्रीजी मानते हैं कि सरकारी मन्दिर है और पुजारी उसको अपना मानता है तो पुजारी के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले उन्होंने उसे अपना माना नहीं लेकिन अब कुछ अर्से पहले से अपना क्लेम करने लगे हैं। हमने उनको हटाने की आज्ञा दी है। सिविल कोर्ट में केस चला दिया, स्टे ऑर्डर लाये हैं, मुकदमें की पैरवी कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

सिम्को वैगन फैक्ट्री, भरतपुर

८६८. श्री रामकिशन (वैर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या भरतपुर की सिमको वैगन फैक्ट्री के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में अभियोग चलाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की थी ?

(२) यदि हां, तो वह क्या है ? क्या यह सत्य है कि किन्हीं कारणों से यह अभियोग अभी तक अदालत में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ?

(३) क्या इसी फैक्ट्री के एक श्रमिक श्री नरवीरसिंह के नौकरी से पृथक करने के विवाद में समझौते की कार्यवाही असफल होने पर समझौता अधिकारी जयपुर ने सन् १९६१ में असफलता का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया किन्तु अभी तक उक्त विवाद किसी भी औद्योगिक न्यायालय में नहीं भेजा गया है ?

(४) यदि हां, तो क्यों और सरकार इस संबंध में क्या करने का विचार रखती है।

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां।

(२) सरकारी विज्ञप्ति की एक प्रति संलग्न है। यह सत्य है कि अभियोग अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया है क्योंकि मालिक कारखाना से इस विषय में एक रिप्रजेन्टेशन प्राप्त हुआ है जिसमें इस विज्ञप्ति पर पुनः विचार करने की प्रार्थना की गई है तथा वह अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

(३) जी नहीं।

(४) इस विषय में मालिक कारखाना ने प्रार्थना की है कि इस विवाद को औद्योगिक न्यायालय में भेजने से पहले उनकी सुनवाई की जावे। इस पर कार्यवाही जारी है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): प्रश्न यह है कि २४ आदमियों की कंसीलियशन बोर्ड के सामने प्रोसिडिंग्ज़ पेन्डिंग होते हुए भी किस तरह उनको बर्खास्त किया गया ?

Page No. 21

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है। प्रोसीज़र का प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यही प्रश्न है श्रीमान्।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सरकार ने सिमको वैगन फैक्ट्री के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय कब लिया था और कब से पेन्डिग है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में जहां तक सरकार का सवाल है, तारीख बतादी। जब यह रेफ़ेन्स के लिए गया था उस समय मालिक फैक्ट्री ने कानून के अनुसार दर्ख्वास्त दी पुर्नविचार के लिए कि पुर्नविचार होना चाहिये, कानूनी ढंग से यह ठीक नहीं है, उसके बाद समझौता हो गया है। जिस मजदूर के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा उसके बारे में रेफ़ेन्स हो गया। मैंने निवेदन किया कि रेफ़ेन्स ४-३-६४ को हो चुका है। समझौता तारीख २४-१२-६३ को हुआ था। उसका अन्तिम एवार्ड भी, जहां तक जानकारी है, हो गया। अब कोई विवादास्पद बात नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रश्न को फिर अवोइड कर दिया। पहले प्रश्न में पूछा था कि अभियोग चलाने की कार्यवाही की गई थी कौनसी तारीख को इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री भीखाभाई : जिस तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई उस तारीख को।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, कितना गम्भीर प्रश्न है-एक संस्थान के खिलाफ सरकार क्रिमिनल कार्यवाही करने का निर्णय लेती है, वह संस्थान यह एप्लीकेशन देता है कि उस पर पुर्नविचार किया जाय। वर्षों हो जाते हैं, सरकार उसका सेटिस्फेक्टरी एक्स्प्लेनेशन न दे और मैनेजर की दर्ख्वास्त पर उसे पोस्टपोन कर दे, यह अनुचित है। सरकार यह बताये कि कौनसी तारीख को निर्णय लिया था और क्यों उस पर कार्यवाही नहीं की ? कौनसी तारीख को निर्णय लिया था यह क्यों नहीं बताते हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा कि जिस वक्त मुकदमा चलाने के लिए निर्णय लिया और उन्होंने एप्लीकेशन दी उस वक्त एमर्जेन्सी चल रही थी। वैसे भी हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके, आपसी ढंग से समझौता हो जाय।

श्री अध्यक्ष : उस निर्णय को सरकार ने वापिस ले लिया है क्या ?

श्री भीखाभाई : यह सवाल नहीं है। जो रेफरेन्स करने का सवाल था, वह कर दिया।

श्री रामकिशन : दो चीजों को एक साथ मिला रहे हैं........

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : १९६१ में फैसला हुआ और १९६४ में इस मामले को अदालत में भेजा; इतना समय बिताने का आखिर क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन : दो चीजों को आप मिला रहे हैं, दो का जवाब पूछते हैं तो तीन का जवाब देते हैं और तीन का पूछते हैं तो दो

(श्री रामकिशन)

का जवाब दे देते हैं। दो में बतायें कि किस तारीख को फैसला लिया ? उन दिनों न एमर्जेन्सी थी और न एमर्जेन्सी का प्रश्न था। यह श्रमिकों का सवाल है। दो का जवाब पूछें तो तीन का जवाब न दें।

श्री भीखाभाई : मैंने कह दिया....

श्री रामकिशन : कहा कुछ नहीं है। पहले तारीख बतायें ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि सरकार ने फैसला लिया था कि इस केस को रेफर किया जाय।

श्री रामकिशन : किसको ?

श्री भीखाभाई : फर्स्ट केस के बारे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अभियोग किस सम्बन्ध में था, जिसको सरकार ने पैंडिग रखा, जिसके ऊपर कार्यवाही करने की कोशिश नहीं की गई ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा, प्रोसीक्यूट करने के बारे में !

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस के बारे में था ?

श्री भीखाभाई : सारी डिटेल्स तो मुझे मालूम नहीं हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपसी फैसला हो गया।

श्री रामशिन : वही बात है........

श्री भीखाभाई : अब विवाद किया जाय इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकिशन : प्रश्न को फिर से पढ़िये। क्या सरकार ने अभियोग चलाने का फैसला किया, किया तो कब किया और किया तो चालान क्यों नहीं किया गया ? पहले आप दो का जवाब दीजिये। आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है तो फिर जवाब किसका दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं है तो कर लें और बाद में जवाब दे दें।

श्री भीखाभाई : मैंने कबूल किया है। जो फेक्ट्स मालूम हुए हैं वह बताये हैं।

श्री रामकिशन : हम पूछ कुछ रहे हैं, जवाब कुछ दे रहे हैं।

श्री भीखाभाई : जब आपस में फैसला हो गया........

श्री रामकिशन : आपस का मामला नहीं है।

श्री भीखाभाई : नरवीरसिंह का प्रश्न रेफर कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रश्न को स्थगित कर दें, मंत्री महोदय यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि किस सम्बन्ध में अभियोग है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, स्थगित करने का प्रश्न नहीं है। सारी इन्फोर्मेशन मौजूद है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपस में समझौता हो जाय सारे मामले में, फिर उसके सम्बन्ध में समझ में नहीं आता, कौनसा कारण रहता है रेफर करने का।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह शिथिलता का प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, २४ आदमियों को बरखास्त कर दिया फैक्ट्री से, उस दौरान में कर दिया जब कंन्सलेशन बोर्ड के सामने प्रोसीडिंग्स मोजूद थीं। २४ के लिए निर्णय लिया और इस तरह बाजाब्ता कार्यवाही करके बरखास्त कर दिया। २३-३-६२ को प्रासीक्यूशन के लिए गवर्नर के आर्डर हुए। तब से लेकर अब तक अभियोग गोयन्का के खिलाफ, फैक्ट्री मैनेजर के खिलाफ फाइल नहीं किया है। इसका कारण क्या है? सवाल (२) में पूछा गया है, इसका कारण क्या है, इतने आदमियों को बर्खास्त किया १९६१ में, जब कि कंन्सलेशन बोर्ड में प्रोसीडिंग्ज चलरही थीं। जब डिस्प्यूट चल रहा था, उस समय गरीबों को बर्खास्त क्यों कर दिया? उसके बाद क्रिमिनल मुकदमा दायर हुआ। तब से आज तक वे आदमी दाने-दाने को तरसते हुए फिर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री भीखाभाई : स्थगित करने का प्रश्न नहीं है। मैंने इन्फार्मेशन दे दी, कुछ कन्सील नहीं की। मैंने निवेदन किया, जिस तारीख को हमने प्रोसीक्यूशन के लिए विज्ञप्ति निकाली, उसके बाद यह रिप्रेज़ेंटेशन आया, कानूनी ढंग से इस बात को एग्ज़ामिन नहीं किया। हमने उसे लॉ डिपार्टमेंट में भेजा। वहां से एग्ज़ामिन कराया। उसके दरम्यान एमेर्जेन्सी हुई। उसके बाद आपसी समझौता हो गया, २४-१२-६३ को आपसी फैसला हो गया। जहां तक सैकिंड प्रश्न है उसको २४-३-६४ को रेफर कर दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत), ला डिपार्टमेंट ने राय दी थी कि मुकद्दमा पेश न किया जाय?

श्री अध्यक्ष : श्री भैंरवलाल 'काला-बादल'।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बहुत इम्पोर्टन्ट प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सैंकड़ों मजदूरों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : Order please?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बहुत अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अहम सवाल और भी हैं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं निवेदन करूं कि मजदूरों की नीति को यह एफेक्ट करता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहस के समय तो ऐसे प्रश्नों पर बोलते नहीं और प्रश्नोत्तर को बहस का रूप देना चाहते हैं। यह कहीं सम्भव नहीं है।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल'।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बहस में उठाया था यह सवाल।

समाज कल्याण परियोजना खंड - मनोहर थाना

८६६: श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मनोहर थाना जिला झालावाड़ में समाज कल्याण परियोजना खंड कब खोला गया था और सन् ६३ के अन्त तक इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

(२) उपरोक्त परियोजना द्वारा किस जगह पर क्या क्या कार्य किये गये हैं तथा किस किस स्थान पर बाल बाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे है और किस किस केन्द्र पर कितने कितने बालक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं ?

(३) इस योजना के अधीन जीप गाड़ी से क्या काम लिया जाता है और इस जीप पर अभी तक कितना खर्चा हो चुका है ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) मनोहर थाना जिला झालावाड़ में समाज कल्याण योजना माह दिसम्बर, १९५९ में प्रारम्भ किया गया था।

सन् १९५९ से माह मार्च, १९६३ तक इस योजना पर इस प्रकार व्यय हुआ है :

१. सन् १९५९-६० १९१२. ०७ न० पै०

२. सन् १९६०-६१ २०८४७. ९१ न० पै०

३. सन् १९६१-६२ २०३९४. ६१ न० पै०

४. सन् १९६२-६३ १९०७९. ५७ न० पै०

(२) इस योजना के अन्तर्गत ८ निम्न स्थानों पर समाज कल्याण केन्द्र प्रारम्भ किये गये :

(१). बासखेडी, (२) ल्हास, (३) चूरेलिया, (४) थरोल, (५) धनापद (६) बनेट, (७) चांदपुरा, (८) कोल्हूखेडी।

इन समस्त केन्द्रों पर निम्न कार्य किये जाते हैं तथा किये गये :

(१) बालबाड़ी, (२) महिला उद्योग-शाला, (३) समाज शिक्षा (४) प्रौढ़ शिक्षा, (५) औषध वितरण, (६) प्रसूति सेवायें (७) दुग्ध वितरण, (८) मनोरंजन केन्द्र, (९) सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि उक्त सभी केन्द्रों पर बाल बाड़ी चलाई जाती है। केन्द्र चांदपुरा और कोल्हूखेड़ी माह सितम्बर ६३ से बन्द हो गये है क्यों कि इन केन्द्रों पर पंचायत समिति की ओर से ग्राम सेविकायें नियुक्त थीं, उनके पद पंचायत समिति से समाप्त कर दिये गये, फलस्वरूप यह केन्द्र ग्राम सेविकाओं के अभाव में बन्द कर देने पड़े। शेष ६ केन्द्रों पर बालकों की लाभान्वित औसत संख्या निम्न प्रकार है :

१. केन्द्र बांसखेड़ी पर २३ रोजाना

२. केन्द्र ल्हास पर २२ रोजाना

३. केन्द्र चुरेलिया पर १५ रोजाना

४. केन्द्र थरोल पर १३ रोजाना

५. केन्द्र धनापद पर १५ रोजाना

६. केन्द्र बनेट पर २३ रोजाना

(३) समाज कल्याण योजना को एक जीप दी गई है। यह जीप योजना केन्द्रों के निरीक्षण आदि के कार्यों हेतु है। इस जीप को मुख्य सेविका और योजना समिति के सदस्यों

(श्रीमती प्रभामिश्रा)

द्वारा उनके निरीक्षण कार्य के लिये प्रयोग में ली जाती है। जो सदस्य केन्द्रों का निरीक्षण करना चाहते हैं वे पहिले योजना अध्यक्ष को अग्रिम कार्यक्रम भिजवा कर उसके अनुसार निरीक्षण करते हैं।

योजना जीप पर अब तक अर्थात् ६३ तक इस प्रकार व्यय हुआ है :

१. सन् १९५९-६० में कुछ व्यय हुआ नहीं।
२. सन् १९६०-६१ में ३२९१.९१ न. पं.
३. सन् १९६१-६२ में २२७९.९३ न. पै.
४. सन् १९६२-६३ में २८६८.२१ न. पै.

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : Odrer please ! इस पर बाद में पूछ लें जो भी पूछना हो।

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

कैटल ब्रीडिंग फार्म स्कीम के अन्तर्गत तकावी वितरण, पंचायत समिति, हिन्डौली

६८०. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति हिन्डौली, जिला बूंदी के द्वारा कैटल ब्रीडिंग फार्म की स्कीम के अन्तर्गत सन् १९५९ से ६२ तक हजारों रुपयों की तकावी वितरित की गई है ?

(२) यदि हां, तो किस व्यक्ति को कितनी कितनी रकम दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने इस कार्य के लिए रकम ली है उसकी पूर्ति नहीं की गई है ?

(४) यदि हां, तो हिन्डौली में कितने पशुपालन केन्द्र कार्य कर रहे हैं और उन केन्द्रों में पशुओं की तादाद कितनी है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) २४,०००) रु० की तकावी वितरित की गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) अधिकतर व्यक्तियों ने पूर्ति नहीं की है।

(४) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इस सूचना का उल्लेख भी कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा : २४ हजार आपने ब्रीडिंग के लिए दिया, आपने स्वीकार किया है कि उसकी पूर्ति नहीं की गई तो जिन लोगों ने पूर्ति नहीं की है उनसे वापिस लिया गया है ?

श्री भीखाभाई : कर्ज मुफ्त कहां देते हैं। वसूल किया जाता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : २४ हजार पशु खरीदने और नस्ल सुधारने के लिए वितरित

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

किये गये, उनसे चार बैल, दो गाय, एक बछड़ा खरीद लिया और इस प्रकार रुपये का दुरुपयोग हुआ। नस्ल सुधारने के नाम से पैसा खर्च किया नहीं, उसका उपयोग नहीं किया तो रकम वापिस लेने का विचार नहीं करते?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि वसूल की जानी चाहिये। वसूल कर लेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष तो हो गये हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिये। २४ हजार में केवल ४ गायें खरीदीं और बाकी का रुपया अपने भाई भतीजों को बांट देते हैं और आप कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं।

श्री भीखाभाई : पंचायत समिति को लिखा जावेगा कि जल्दी से जल्दी रकम उनसे वसूल करे और की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : Next.

शिक्षा प्रसार अधिकारी की तनख्वाह का भुगतान

६०१. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नवलगढ़ (जिला झुंझुनूं) के शिक्षा प्रसार अधिकारी श्री सुखदेव प्रसाद अपनी अस्वस्थता के कारण दिनांक ३०-११-६० से दिनांक २८-६-१ तक मेडिकल लीव पर रहे और डायरेक्टर शिक्षा विभाग बीकानेर ने इस दरम्यान की छुट्टी अभी तक मंजूर नहीं की है और न ही उनकी इस समय की तनख्वाह का भुगतान ही किया गया है?

(२) यदि हां, तो इतनी देर हो जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक सम्बन्धित भुगतान कर दिया जायेगा?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त श्री सुखदेव प्रसाद का दिनांक १६-८-६१ को देहान्त हो गया था और अब तक उनके वारिस को राजस्थान सर्विस रूल्स के मुआफिक ग्रेच्युटी, पेन्शन आदि नहीं दी गई है?

(४) यदि हां, तो इतनी देर होने के क्या कारण हैं और अब कब तक उनके वारिस को सरकार में कानूनी बकाया का भुगतान कर दिया जायेगा?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) इनकी सर्विस बुक तथा चिकित्सा का असली प्रमाण-पत्र विकास अधिकारी नवलगढ से प्राप्त नहीं हुए इस कारण भुगतान में देरी हो रही है।

(३) जी हां।

(४) इनकी मेडिकल लीव मंजूर होने पर इनके वारिस को ग्रेचुटी व पेन्शन देने की कार्यवाही तुरन्त की जावेगी।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, श्री सुखदेवप्रसाद अपनी अस्वस्थता के कारण छुट्टी पर रहे उस अर्से को गुजरे हुए भी आज तीन साल का समय हो गया है; पर फिर भी समझ में नहीं आता कि नवलगढ पंचायत समिति से उनकी छुट्टी स्वीकार नहीं की गई और न

(श्री भगराज चौधरी)

उनको अभी तक उनका उस समय का वेतन ही दिया गया जिससे पेन्शन आदि का मामला भी तय नहीं हो रहा है। इसमें किस कारण ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति नवलगढ़ के प्रसार अधिकारी अपनी अस्वस्थता के कारण ३०. ११. ६० से अवकास पर रहे हैं। पहला पत्र ४. १०. ६३ को भेजा गया और दूसरा १२. १२. ६३ को, उसके बाद १४. १. ६४ को प्रार्थना पत्र भेजा गया और डी. डी. ई. को प्रार्थना पत्र भेजा गया। डी. डी. ई. ने उसमें मेडीकल प्रमाण पत्र की नकल भेजी उसकी ओरिजनल की मांग की है। इसलिये मैंने जो तारीखें बताई हैं जससे स्पष्ट पता चलता है कि कोई देर हमारी तरफ से नहीं हुई है।

श्री भगराज चौधरी : अब कब तक दे दी जावेगी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसमें कार्यवाही की गई है और पर्सनल लेवल से इसको जल्दी किया जावेगा।

श्री भगराज चौधरी : मेरे प्रश्न देने के बाद में यह सब कार्यवाही हुई है। तीन वर्ष तक आपने कुछ नहीं किया। इतने अर्से तक ये कागजात कहां पड़े रहे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : डी. डी. ई. और हमारे बीच में रहे हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोतर के लिए कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

स्थगित तारांकित प्रश्नोत्तर

(३० मार्च, १९५४)

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगित प्रश्न।

प्रश्न संख्या ७५२

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री उदयलाल बर्दिया।

बान्सी रेन्ज के कृषकों को जमीन

६४२. श्री उदयलाल बर्दिया (लसाडिया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बान्सी रेन्ज, डिवीजन उदयपुर के काली भीत एवं भरेव गांव के कृषकों की खातेदारी की कुछ जमीनें सुरक्षित जंगल के बीच में आई हुई हैं और उनको ेटलमेंट से पट्टे भी मिले हुए हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीनों के कृषकों को सन् १९५३-५४ से वन विभाग नें खेती मे वंचित कर रखा है लेकिन उक्त जमोनों का भू-राजस्व तहसील लसाड़िया में बराबर कृषकों से वसूल हो रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि सम् १९५७-५८ मे उक्त किसानों को सुधरी हुई ७० बीघा जमीन के बजाय २०० बीघा नौतोड़ भूमि देने का फैसला उप जिलाधीश, वल्लभ नगर एवं डिवीजन रेन्ज अधिकारी ने करके २०० बीघा जमीन जंगलात को लाइन करवा दी है ?

(श्री उदयलाल बर्दिया)

(४) क्या यह भी सही है कि उसकी तामील अब तक नहीं हुई और उक्त दो सौ बीघा जमीन राजस्व विभाग को नहीं दी गई है और इसके फल स्वरूप पिछले १० वर्षों से वन विभाग द्वारा किसानों को हानि पहुंचाई गई है ? यदि हां, तो किसानों को इस प्रकार पहुंचाई गई हानि के लिए कौन उत्तरदायी है और इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन किसानों को दिये जाने के लिए एक निश्चित अवधि भी नियत कर दी गई थी लेकिन इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) सन् १६५४ में बान्सी रेंज के कालीभीत एवं भैरव गांव की कुछ जमीनों के पट्टे कुछ कृषकों ने आरक्षित जंगल में ले लिए हैं। यह पट्टे अवैध हैं क्योंकि आरक्षित वन में पट्टे नहीं दिये जा सकते, और उनमें किसी का कोई अधिकार आर. एफ. ए. सैक्शन २३ के अनुसार पैदा नहीं हो सकता।

(२) उपरोक्त कथनानुसार यह प्रश्न नहीं उठता है।

(३) जी नहीं। एस. डी. ओ. वल्लभनगर ने प्रस्ताव किया कि उक्त किसानों को देने के लिये २०० बीघा जमीन रिजर्व फोरेस्ट के एक किनारे डिमार्केट करके फोरेस्ट एक्ट की धारा २७ के अन्तर्गत फोरेस्ट के बाहर कर दिया जाय, इस प्रस्ताव के अनुसार २०० बीघा जमीन डिमार्केट कर दी गई।

(४) जमीन का डिमार्केशन १६५६ में करा दिया गया और एस. डी. ओ. को सूचना दी गई एस. डी. ओ. ने उत्तर दिया कि वे सैक्शन का इन्तजाम कर रहे हैं और आने पर सूचना देंगे।

(५) जी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आप कहते हैं कि पट्टे गलत दिये गये हैं। पट्टे गलत दिये गये हैं तो इसमें कृषकों का क्या दोष है ? यह तो पट्टे करने वालों का दोष है कि उन्होंने उनको पट्टे गलत क्यों करके दिये।

श्री भीखाभाई : रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस प्रकार के पट्टे इश्यू करके दे दिये....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : उन्होंने गलत पट्टे क्यों इश्यू किये ?

एक माननीय सदस्य : जब पट्टे रेवेन्यू विभाग ने दिये है तो वह जमीन रेवेन्यू विभाग की है या फोरेस्ट विभाग की है ?

श्री भीखाभाई : पहले जब ५० में नोटिफिकेशन निकला रिज़र्व फोरेस्ट के लिये, उसके बाद में जमीनें दी गई हैं। इसलिये फाइनल नोटिफिकेशन के बाद में रेवेन्यू विभाग की ओर से यह पट्टे देना ठीक नहीं था और मैं इस मामले में व्यक्तिगत रूप से देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। इसके अलावा तहसीलदार और रेन्जर की भी इस सम्बन्ध में कमेटी बनी हुई है। इसके लिए आपस में तय करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही नहीं है कि कई स्थानों पर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्राइवेट लोगों की जमीनें मौजूद हैं और वे लोग काश्त करते हैं ? इसमें गवर्नमेंट ने आरक्षित जमीन जंगल के बीच में दे दी है, तो वह जमीन रेवेन्यू विभाग की रहे और कई जगह इस प्रकार के गांव के गांव मौजूद हैं ।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह दूसरा प्रश्न है और माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वह दूसरी बात है । जब जंगलात डिक्लेअर हुए उसके बाद का प्रश्न है । और आप कहते हैं वह फोरेस्ट के बीच में पहले से चली आ रही है ?

श्री उदयलाल बर्दिया : रेवेन्यू के पट्टे पहले मिले हैं । सरपंच ने पहले ही घोषणा कर दी थी । बाद में डी. एफ. ओ. और तहसीलदार ने जो फैसला किया है उसके कारण जो भी नुकसान हुआ है उसका हरजाना कौन देगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री कह चुके हैं कि व्यक्तिगत रूप से देखेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह एलॉटमेंट कब किया गया । इसकी तारीख बतायें । इससे तय हो जाएगा कि पहले फोरेस्ट में वह जमीन रिजर्व की गई थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह सब कुछ मंत्री महोदय व्यक्तिगत रूप से देख कर करेंगे और इसका हल निकालेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रेवेन्यू का एलॉटमेंट पहले हुआ है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या सरकार इस तरह का फोर्मुला इन्वोल्व करने की कोशिश करेगी कि फोरेस्ट और रेवेन्यू ऑथारिटीज दोनों की मौजूदगी में इस प्रकार का एलॉटमेंट हो और गांवों की जरूरत क्या है उसको ध्यान में रखे और दोनों शामलात रूप से एलॉटमेंट करें तो ठीक होगा । क्या सरकार इसके सम्बन्ध में कोई विचार करेगी ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, यह नीति का प्रश्न है । विरोधी दल के नेता ने जो रखा है उसके अनुसार हमने एलॉटमेंट किया है और कर रहे हैं । हमने ऐसा किया मगर इसका पालन जितना होना चाहिये नहीं हुआ । जैसा हमने रखा है पचायत और सरपंचों को और उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को साथ रख कर इस प्रकार का एलॉटमेट करे, इस प्रकार का आदेश है । मैं समझता हूं कि इसको किया जावे तो सहूलियत रहेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनसे अभी तक लगान तक वसूल हो रहा है ।

श्री उदयलाल बर्दिया : इसका जल्दी निराकरण किया जावे । अब तक निर्णय क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अब किया जावेगा ।

(विराम)

नेक्स्ट ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कर्मचारियों का सेवाकाल

७५४. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(१) क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के समाप्त होने पर जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा नियुक्त किये गये थे और विभिन्न विभागों से संबंध रखते थे उन्हें जिस विभाग से वे संबन्धित थे उन्हीं में भेजा गया था ?

(२) क्या इस प्रकार भेजे गये व्यक्तियों की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में की गई सेवाओं को सेवा-काल में गिना गया ?

(३) क्या जो अध्यापक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए गए थे उनको जिला परिषद् का कर्मचारी गिना गया, किन्तु उनके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेवाकाल को सेवाकाल में नहीं गिना गया ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो ट्रान्सफर हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : यह तो आज के लिए एडजोर्न हुआ था।

श्री भीखाभाई : इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ट्रान्सफर कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय को कई दफा निवेदन किया गया है कि वे इस तरह से प्रश्नों को आगे से आगे टालने की कोशिश न करें। आपको चाहिये कि संबन्धित मंत्री महोदय से बातचीत करके इसके संबन्ध में जवाब देते।

श्री भीखाभाई : इसको उनके पास ट्रान्सफर कर दिया था।....अध्यक्ष महोदय, मैं बाहर चला गया था। मगर सूचना मैंने भेज दी थी।

श्री अध्यक्ष : केवल इसमें सूचना भेजना ही उचित नहीं है। सूचना भेजने से आप अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होते।

श्री दुर्गालाल बाढदार : इस उत्तर से हमें बिल्कुल संतोष नहीं है। यह पहले भी स्थगित किया गया था।

श्री अध्यक्ष : इसको और स्थगित कर देते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

रवीन्द्र मंच का किराया

७४०. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि रवीन्द्र मंच का का पेशेवर कार्यक्रम के लिये ५००) रु०, २५०) रु० भवन और २५०) रु० बिजली आदि खर्च के लिये किराये के लिए रखा गया है ?

(२) क्या यह सही है कि दिल्ली के तथा इस प्रकार के अन्य भवनों के मुकाबले में जयपुर के रवीन्द्र मंच का किराया अधिक है, जब कि सप्रू हाउस के भवन का किराया केवल ३००) रु० ही है ?

(३) क्या भी सही है कि इतना किराया लेने पर भी ग्रीन रूम केन्टीन, बुकिंग हाउस आदि में आवश्यक फर्नीचर भी नहीं है और स्वीपर, फर्राश, चौकीदार आदि भी नहीं हैं ?

(४) यदि हां, तो ऐसा क्यों है और यह किराया किस आधार पर रखा गया ?

Page No. 31

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल पार्ट (२)का रिप्लाई रह गया है, बाकी सब का रिप्लाई कर दिया गया है, पार्ट में (२) यह पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे भवन हैं जिनके मुकाबले में रवीन्द्र मंच का किराया ज्यादा है....

श्री अध्यक्ष : तो भी जवाब दे दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : बाकी का तो जवाब पहले दे दिया गया है पार्ट (२) के सम्बन्ध में हमने सब प्रान्तों को टेलिग्राम दिये हैं और मैंने जानकारी चाही है कि रंग मंचों की क्या रेट्स हैं। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की असिस्टेन्ट एज्यूकेशन एड्वाइज़र, लक्ष्मीदेवी ऐसा कुछ नाम है....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : नाम भी चूक रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनसे हमने ३१ तारीख को कन्टेक्ट किया, ३० को क्विश्चन पूछा और ३१ को कान्टेक्ट किया....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का क्या यह कहना है कि किराये का निर्णय नहीं लिया गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : निर्णय नहीं लिया है। सभी जगह से जानकारी करके बतायेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, तार की रसीदें सदन की मेज पर रखवा दी जायं।

श्री अध्यक्ष : नहीं इतना तो भरोसा करना पड़ेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : तार दिये या टेलिफोन ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : शेमफुल !

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३० तारीख को तार दिये, ३१ तारीख को फोन से बात की।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सप्रू हाउस का क्या किराया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ३००) रु० से ज्यादा है उन्होंने फोन पर कहा है, हमने रिकार्ड किया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, इतना अर्सा हो गया प्रश्न को पूछे हुए और दिल्ली के सप्रू हाउस का किराया भी मालूम नहीं कर सके, इससे बढ़ कर और दयनीय स्थिति क्या हो सकती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दयनीय स्थिति नहीं, आपने तो केवल सप्रू हाउस का पूछा, हमने सारे हिन्दुस्तान के रंगमंचों के बारे में पूछा है। माननीय सदस्या भी दिल्ली गई थीं वे भी पूछ सकती थीं।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, या तो इस प्रश्न को १० तारीख के लिये पोस्टपोन किया जाय या और भागों पर सप्लीमेंटरी करने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने स्वीकार किया है कि अभी किराये का निर्णय नहीं किया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सप्र्‌ हाउस का किराया भी नहीं बता सके।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर सतोषजनक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सनद मिल गई आपको तो।

श्री रामकिशन (वैर) : पहली बार ही मिली है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

फार्मिंग सहकारी समितियां, जिला पाली

२७२. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में कौन कौन सी फार्मिंग सहकारी समितियां दिसम्बर, १९६३ तक रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं ?

(२) उक्त सहकारी समितियों की सदस्य संख्या जो रजिस्ट्रेशन के वक्त थी व अब है समितिवार बतावें व निम्न सूचना भी समितिवार देने की कृपा करें :—

(क) उन्हें कब २ व कितनी २ सबसिडी दी गई ?

(ख) उन्हें कब कब व कितना कितना ऋण दिया गया व उनके द्वारा वापिस जमा कराया गया ?

(ग) उन्होंने कितनी भूमि पर काश्त किया व सालाना कितनी पैदावार हुई ?

(घ) कब २ फार्मिंग इन्सपेक्टर, विकास अधिकारी, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार व ऑडिटर्स ने सोसायटी के वर्किंग का व एकाउन्टस का मुआयना किया ?

(ङ) समितियों के पास क्या क्या एसेट्स हैं ?

(३) प्रश्न के भाग (२) में बताई हुई समितियों में किन २ में गबन की शिकायत है व उन पर विभाग ने किन २ मामलों को पुलिस में दिया और अन्य मामलों को पुलिस में न देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

सहकारी मंत्री (१) पाली जिले में दिसम्बर, १९६३ तक १३ सहकारी कृषि समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ जिनकी सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(२) सहकारी कृषि समितियों की सदस्य संख्या जो रजिस्ट्रेशन के समय थी और जो वर्तमान में है, उसकी सूचना भी समितिवार संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में दी गई है।

(क) सहकारी समितियों को जितनी २ व जब जब सबसिडी प्रदान की गई का उल्लेख भी सलग्न सूची परिशिष्ट (क) में दर्ज है।

(ख) सहकारी कृषि समितियों को जब जब और जितना २ ऋण दिया गया इसकी सूचना भी समितिवार संलग्न सूचि परिशिष्ट (क) में अङ्कित है।

(ग) सहकारी कृषि समितियों ने समितिवार कितनी २ भूमि पर काश्त की व सालाना

(सहकारी मंत्री)

कितनी २ पैदावार हुई, ऐसी सूचना भी संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में दर्ज है।

(घ) फार्मिंग इन्सपेक्टर, विकास अधिकारी, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार व आडिटर्स ने बैंकिंग व अकाउन्ट्स का कब कब मुआयना किया उसकी सूचना भी संलग्न सूचि परिशिष्ट (क) में दी गई है।

(ङ) सहकारी कृषि समितियों के एसेट्स सम्बन्धी सूचना समितिवार संलग्न परिशिष्ट (क) में दर्ज है।

(३) जिन २ सहकारी कृषि समितियों द्वारा गबन की शिकायतें विभाग में प्राप्त हुई और विभाग में उस पर क्या कार्यवाही की इस सम्बन्धी सूचना संलग्न सूची परिशिष्ट (ख) में दर्ज है। कोई भी मामला पुलिस को नहीं दिया गया क्योंकि जांच करने पर इस तरह की जांच नहीं पाई कि मामला पुलिस को दिया जाए।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिकराय ब्लॉक की पंचायतों को सहायता

२७३. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सिकराय ब्लाक को १९५८ से १९६३ तक सालवार कितनी धनराशि दी गई है ?

(२) इस ब्लाक में कितनी पंचायतें है और उनमें से प्रत्येक को इन वर्षों में कितनी कितनी सहायता दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

पंचायत मंत्री (१) सूची संलग्न है।

(२) संलग्न सूची में इसका भी उल्लेख कर दिया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

पंचायत समिति, टौंक द्वारा तकावी व सहायता

२७४. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति टोंक द्वारा वर्ष १९६२–६३ में किस किस कार्य के लिए कितनी २ तकावी व सहायता दी गई है ? आंकड़ों की सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

(२) जो किश्तें वसूल होनी चाहियें थीं वे होती हैं या नहीं ? किश्तों सम्बन्धी पूर्ण विवरण देने की कृपा करें ?

उत्तर

पंचायत मंत्री (१) सूची संलग्न है।

(२) किश्तें वसूल हो रही हैं। अब तक ८२,००८) रु० वसूल हो चुके हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

Page No. 34

पंचायत समिति, टोडारायसिंह द्वारा तकावी सहायता

२७५. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा वर्ष १९६२–६३ में किस २ कार्य के लिए कितनी २ तकावी व सहायता दी गई है ? आंकड़ों की सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन २ कार्यों के लिए तकावी व सहायया दी गई थी वह कार्य क्या निश्चित अवधि में पूरे करा दिये गये थे ?

उत्तर

पंचायत मंत्री (१) सूची संलग्न है।

(२) इसी सूची में कार्य की प्रगति का उल्लेख भी किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

फैक्ट्रीज एक्ट, १९४८ की धारा ८८ के तहत नोटिस

२७६. श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चित्तौड़ जिले में ऐसे कितने केसेज हुए हैं जिनमें सेक्शन ८८ फैक्ट्रीज एक्ट १९४८ के तहत चीफ इन्सपेक्टर या कलेक्टर आदि को घटना के घटने के सम्बन्ध में फैक्ट्रीज के मेनेजर द्वारा नोटिस दिये गए हों ? सन् १९५९–६० व ६१–६२ के दौरान का विवरण दें ?

(२) यदि किसी मामले में सरकार के नोटिस में यह आ गया हो कि मैनेजर ने ऐसा नोटिस नहीं दिया तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है ? ऐसे मामलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या ऐसी घटनाओं में जख्मी मजदूरों को कम्पेन्सेशन दिलाया गया है ? कितना और किस आधार पर ?

उत्तर

श्रम मंत्री (१) धारा ८८ फैक्ट्रीज एक्ट १९४८ के तहत चित्तौड़ जिले की फैक्ट्रीज के मैनेजरों द्वारा सन् १९५९, १९६० व १९६१ में एक भी नोटिस नहीं दिया। सन् १९६२ में दो नोटिस प्राप्त हुए एक मैनेजर अशोक जीनिंग फैक्ट्री प्रतापगढ़ द्वारा तथा दूसरा मेसर्स प्रभूलाल रामप्रताप जीनिंग फैक्ट्री बड़ी सादड़ी द्वारा भेजा गया।

(२) सन् १९५९ में फैक्ट्रीज इन्सपेक्टर भीलवाड़ा के नोटिस में एक घटना आई थी कि मेसर्स नारायणदास वासुदेव काटन जीनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री निम्बाहेड़ा में दिनाङ्क २२–३–५९ को आग लगी तथा इस दुर्घटना में चार पांच आदमी जल कर जख्मी हो गये इसकी सूचना मैनेजर ने निर्धारित फार्म में नहीं दी थी इसलिए इन्सपेक्टर फैक्ट्रीज बायलर्स भीलवाड़ा ने उपरोक्त कारखाने का चालान एस० डी० एम० कोर्ट निम्बाहेड़ा में पेश किया जिसका फैसला तारीख १३–९–६० को हुआ पर मैनेजर आरोप से मुक्त किया गया।

(३) मजदूरों को कम्पेनसेशन दिलाने के सम्बन्ध में वर्कमेन्स कम्पेनसेशन कमिश्नर के पास दो मामले पेश हुए थे एक अशोक जिनिंग

(श्रम मंत्री)

फैक्ट्री प्रतापगढ़ के बारे में तथा दूसरा सत्य-नारायण जिनिंग फैक्ट्री बड़ी सादड़ी से। पहले केस में कम्पेनसेशन कमिश्नर से प्रार्थी द्वारा सबूत पेश न करने से प्रार्थना पत्र तारीख ३-७-६३ को खारिज कर दिया। दूसरे मामले में सम्बन्धित श्रमिक से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः कम्पेनसेशन दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति, डीग के सदस्यों को कर्जा

२७७. श्री रामकिशन (वैर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति डीग (भरतपुर) के किस किस सदस्य ने किस किस तारीख में किस किस कार्य के लिये कितना कितना कर्जा ले रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यह रुपया कितने वर्षों के लिये दिया गया है और इसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या सरकार ने इस बात की तस्दीक कराई है कि जिस जिस काम के लिए पंचायत समिति के सदस्यों ने कर्ज लिया था वास्तव में वह रुपया उन्हीं कामों में लगा है ? यदि हां तो जांच किस अधिकारी ने और कब कब की है ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

विकास मंत्री (१) सूची संलग्न है।

(२) संलग्न सूची में इसका भी उल्लेख किया गया है।

(३) इस प्रकार की तस्दीक विकास अधिकारी द्वारा की जाती है। इस तरह की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के पास प्रस्तुत नहीं होती है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

चर्म उत्पादक सहकारी, समिति सवाई माधोपुर

२७८. श्री भानुप्रसाद कारड़िया (चोमू) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सवाई माधोपुर में कोई चर्म उत्पादक सहकारी समिति है ? यदि हां, तो उसे कब तक रजिस्टर्ड किया गया था और उसके कितने सदस्य हैं तथा सदस्यता का प्रति शेयर कितने का है ?

(२) इस समिति को आज तक राज्य सरकार से कितना कर्जा व सहायता दी गई है और किस २ कार्य के लिए ?

(३) इस समिति के वर्ष बार खर्चे का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सहकारी मंत्री (१) जी हां। यह समिति दिनाङ्क १७-१२-५३ को दी हरिजन, रेगरान बहु-धन्धी सहकारी समिति के नाम से रजिस्टर्ड हुई एवं इसी सहकारी समिति के उपनियमों को दिनाङ्क ६-२-५६ को परिवर्तन करके सवाई

(सहकारी मंत्री)

माधोपुर चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि० बनाया गया। इस समिति में ६६ सदस्य है सदस्यता के प्रति हिस्से की कीमत २०) रु० है।

(२) इस समिति को १०-८-५५ को १२८४) रु० केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० जयपुर से कृषि कार्य एवं २६-३-५७ को २५००) रु० उद्योग विभाग से चर्म उत्पादन हेतु ऋण स्वरूप दिया गया।

(३) समिति का वर्ष वार खर्चा निम्न प्रकार है:—

सन्	रु०	न. पै.
१९५५-५६	२४	२६
१९५६-५७	—	
१९५७-५८	—	
१९५८-५९	०	७४
१९५९-६०	—	
१९६०-६१	२	४०
१९६१-६२	—	
१९६२-६३	२१	७७

पंचायत समिति, देवली द्वारा तकावी व सहायता

२७६. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति देवली जिला टौंक के द्वारा वर्ष १९६२-६३ में किस किस कार्य के लिए कितना २ रुपया तकावी व सहायता के रूप में दिया गया? आंकड़ों की सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(२) जिस २ कार्य के लिए तकावी व सहायता दी गई थी वे सब कार्य क्या निश्चित अवधि में पूरे कराये गये?

उत्तर

पंचायत मंत्री (१) सूची संलग्न है।

(२) संलग्न सूची में कार्यो की प्रगति का उल्लेख भी कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिए)

न्यायपालिका-विधायिका विवाद विषयक सर्वोच्च न्यायालय से नोटिस पर अधिकृत व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : परसों शनिवार को मैंने माननीय सदस्यों को सूचित किया था कि सुप्रीम कोर्ट से, उत्तर प्रदेश में जो वैधानिक स्थिति पैदा हुई है उस सम्बन्ध में नोटिस आया है। उस समय यह भी सूचित किया था कि इस सम्बन्ध में एक मीटिंग सभी पार्टियों और दलों के सदस्य हैं, उनकी मीटिंग की जायगी और उसमें तय किया जायगा कि क्या कार्यवाही की जाय।

उस मीटिंग के मिनट्स माननीय सदस्यों के समक्ष पढ़ कर सुनाता हूँ।

"सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति महोदय द्वारा सुपुर्द किये गये विशेषाधिकार के मामले में सोमवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६४ को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की बैठक के लिये जो नोटिस डिप्टी रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त हुआ

(श्री अध्यक्ष)

था, उस पर विचार करने के हेतु अध्यक्ष महोदय के वेश्म में दिनांक ४ अप्रेल, १९६४ को प्रात: १०बजे से ११ बजे तक एक बैठक हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

१. माननीय अध्यक्ष	सभापति	
२. सदन के नेता	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	
३. श्री मथुरादास माथुर	विधि मंत्री	
४. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	एडवोकेट जनरल	
५. श्री जयकृष्ण सचेतक	मुख्य विधान सभा	कांग्रेस दल
६. श्री वाई० एन० हांडा	प्रतिनिधि	साम्यवादी दल
७. श्री मुरलीधर व्यास ८. श्री मुकुट बिहारी गोयल	संयुक्त प्रजासमाजवादी दल	
९. श्री मानसिंह महार १०. श्री राधाकृष्ण	स्वतन्त्र दल	
११. श्री उमरावसिंह डाबरिया,	युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	

इनके अतिरिक्त वित्तमंत्री एवं श्री रामकिशन भी उपस्थित थे ।

इस बैठक में विधि मंत्रीजी एवं एडवोकेट जनरल ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। श्री अध्यक्ष ने ज्यूडिशियरी एवं लेजिस्लेचर के अधिकारों के सम्बन्ध में वर्तमान संवैधानिक स्थिति से सदस्यों को अवगत कराया । उन्होंने यह भी सूचित किया कि उनके द्वारा इस विषय पर राष्ट्रपति महोदय को ३१ मार्च, १९६४ को एक पत्र भेजा गया है, जो इस प्रकार है :

"Dear Mr. President,

A very unhappy and unfortunate situation has developed with regard to the respective rights and Jurisdiction of the Judiciary and the Legislature under our Constitution You have referred some points concerning this dispute to the Supreme Court for their opinion.

I will like to place my initial presonal reaction on this matter for your kind consideration. In my opinion this reference would not help in the final resolution of this crisis. On the other hand it may result in causing considerable embarassment to the Supreme Court. If the Court gives an opinion in favour of the judiciary, people would say, as they have already started saying, that it has supported their own brotherhood. If the Court gives the contrary opinion, it would have far-reaching consequences, the impact of which would be serious.

This is not essentially a legal or judicial problem. The ultimate solution of this problem is connected with certain political decisions which would one day have to taken. The political decision that has to be taken is what should be respective rights and jurisdiction of the judiciary and the legislature. The framers of the Constitution did not concern themselves with

Page No. 38

(श्री अध्यक्ष)

this matter in all its relevant details with the result that this crisis has now arisen. So, now the question has to be squarely faced and answered, so that it may be set at rest for ever.

Your reference of this question to the Supreme Court was a wise act because it provided a way out of a serious impasse. It has provided a breathing time for a serious consideration to be given to the whole matter. Whatever advisory opinion the Supreme Court may give, it would have binding force on no one. Even the High Courts may not follow it, still less the Legislatures. The Supreme Court itself is not bound by it and would have every right to depart from it should a regular case come before it in the future. What then is the use of such an advisory opinion ?

I would, therefore most humbly suggest that you should intiate discussions with responsible persons from the Judiciary, the Legislature and the Executive with a view to ascertaining as to what should be the respective rights and functions of the Legislatures and Judiciary. A constitutional amendment laying down clearly the limits of Jurisdictions may have to be considered.

With kind regards,

Yours sincerely,
Sd/-
(Ram Niwas Mirdha)

Dr. S. Radhakrishnan,
President of India,
Rashtrapati Bhavan,
New Delhi."

सभी सदस्यों ने श्री अध्यक्ष की राय से अपनी सहमति प्रकट की और यह चाहा कि प्रारम्भ में यही राय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये ।

इस बैठक में यह निश्चय किया गया कि विधान सभा या श्री अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है । एडवोकेट जनरल, राजस्थान, जिन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से पृथक से एक नोटिस प्राप्त हुआ है, वे श्री अध्यक्ष की उपरोक्त राय के अतिरिक्त माननीय सदस्यों द्वारा दिनाङ्क २७-३-६४ सदन में व्यक्त किये गये विचारों को भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रक्खें । विधि मंत्रीजी किसी वकील को जिन्हें वे उपयुक्त समझें इस मामले में नियुक्त कर सकेंगे ।

इस बैठक में यह भी निश्चय किया गया कि विधान सभा के सदस्यों की एक समिति बनाई जाये जिसमें विधि मंत्रीजी एवं एडवोकेट जनरल राजस्थान के अतिरिक्त समस्त दल एवं ग्रुप के एक एक प्रतिनिधि सम्मिलित हों । इस समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

१. श्री विधि मंत्रीजी

२. श्री एडवोकेट जनरल

३. श्री राधाकृष्ण गोयल

४. श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल

५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(श्री अध्यक्ष)

७. श्री रामानन्द अग्रवाल

८. कुमारी उमा माथुर

विधि मंत्रीजी इस समिति के कन्वीनर होंगे।

विधि मंत्रीजी एवं एडवोकेट जनरल जब कभी आवश्यक समझें इस समिति के सदस्यों से परामर्श कर सकेंगे तथा श्री अध्यक्ष को भी इस विषय में समय समय पर जानकारी देते रहेंगे ।"

राव श्री रघुवीरसिंह का कांग्रेस दल में सम्मिलित होना

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करता हूँ कि राव श्री रघुवीरसिंह, विभाजन संख्या १३८, ने राजस्थान विधान सभा कांग्रेस पार्टी जोइन कर ली है और इसकी सूचना मुझे लिखित में दी है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह कब तक चलती रहेगी साहब खरीद–फरोख्त, हमें बड़ी परेशानी होती है ?

श्री अध्यक्ष : अभी तो शुरूआत है।

स्थगन प्रस्ताव विषयक

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of order, Sir, मेरा एक एड्जोर्नमेंट मोशन राना प्रताप सागर के मजदूरों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में था, उसका उत्तर आपने फरमाया था कि श्रम मंत्री महोदय देंगे, श्रम मंत्री महोदय आज मौजूद हैं, वे उसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : कल देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक क्लेरिफिकेशन मैं चाहता हूँ, खाद्य मंत्रीजी से कि अखबारों में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, ५०० क्विन्टल तक के व्यापारियों को छूट दी है। किन्हीं अखबारों में यह छपा है कि ५०० क्विन्टल पर मंथ व्यापार करने वालों को यह छूट दी है और किन्हीं ने छापा है कि ५०० क्विन्टल सालाना वालों को छूट दी है। तो इस सम्बन्ध में बहुत गलतफहमी है, उसका क्लेरिफिकेशन करें कि ५०० क्विन्टल पर मंथ वालों को यह छूट दी है या वार्षिक वालों को दी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : ५०० क्विन्टल टर्न ओवर पर एनम, साल का है; मंथली नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : मैंने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है, सादूल टैक्सटाइल मिल में होने वाली हड़ताल के संबंध में और इस संबंध में दिए जाने वाले नोटिस के संबंध में।

श्री अध्यक्ष : श्रम मंत्री अपने टर्न के दिन उत्तर देंगे।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): मैंने भी स्कूल ऑफ आर्टस् के बारे में कॉल अटेन्शन नोटिस तीन सप्ताह पहले दिया है और अभी तक शिक्षा विभाग ने....

श्री अध्यक्ष : हर एक मांग का उत्तर तो मैं नहीं दे सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने और २० और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सदस्यों ने दी है। सागवाड़ा के अंदर एक भील का घर जलाया गया था जिसके संबंध में केस चल रहा था और जिसे सरकार वापस लेना चाहती है जिससे भीलों के अंदर भारी असंतोष पैदा हो गया है। उस स्थगन प्रस्ताव के संबंध में भी मंत्री महोदय अपना बयान दें।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी के विचार में है, उसका भी उत्तर मिल जायगा। (सरकारी पक्ष की ओर) माननीय सदस्यों ने एक डकैती के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था उसका उत्तर भी कल या परसों आप दे दें।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : सादूल टैक्सटाइल मिल के बारे में कोई नोटिस नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आप आज दौरे से आए हैं।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : राधापुर के पुलिस कांड के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : उसको अस्वीकार कर दिया गया।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Order please ! मैंने आपसे निवेदन किया। आप मुझे बताने की कोशिश करें कि इसमें क्या विशेषता है कि उसे स्वीकार किया जाय। आप अब भी कह सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे स्थगन-प्रस्ताव के संबंध में श्रम मंत्री का कहना यह है कि सादूल टैक्सटाइल मिल के बारे में उन्हें नोटिस नहीं मिला जबकि यह प्रस्ताव मैं तीन दिन पहले दे चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष : आपको उत्तर मिल जायगा।

श्री भीखाभाई : इस पर मैं वक्तव्य दे दूंगा।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ (प्रवर समिति के सदस्यों के नाम)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज (अमेंडमेंट) बिल, १९६३ के सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की सूची इस प्रकार है :

१. श्री बरकतुल्ला खां।
२. श्री परसराम मदेरणा।
३. श्री दुर्गालाल बाढ़दार।
४. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।
५. श्री अमरसिंह (जासोल)।
६. श्री रामकिशन।
७. श्री मुरलीधर व्यास।
८. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)।
९. श्री कृष्णकुमार गोयल।
१०. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा।
११. श्री हरिकिशन।
१२. श्री हनुमानसिंह।
१३. श्रीमती सुमित्रा।
१४. श्री हजारीलाल शर्मा।

(श्री अध्यक्ष)

१५. श्री नाथूराम (१२७) ।

१६. श्री गणपतिलाल वर्मा ।

१७. श्री जूझारसिंह ।

१८ श्री रावतराम ।

१९. श्री भगराज ।

२०. श्री बिरदाराम फुलवारिया ।

२१. श्री गंगाराम चौधरी ।

श्री बरकतुल्ला खां इसके चेयरमैन होंगे । समिति अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में पेश करेगी ।

राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६४ (प्रवर समिति के सदस्यों के नाम)

राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट (अमेंडमेंट) बिल, १९३३, सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की सूची इस प्रकार है :

१. श्री बरकतुल्ला खां ।

२. श्री परसराम मदेरणा ।

३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

४, श्री भैरोंसिंह ।

५. श्री मथुरेश बिहारी माथुर ।

६. श्री राधाकिशन गोयल ।

७. श्री मानिकचन्द सुराणा ।

८. श्री केदारनाथ ।

९. श्री रामानन्द अग्रवाल ।

१०. श्री तेजाराम गहलोत ।

११. श्री फूलचन्द जैन ।

१२. श्री जयकृष्ण ।

१३. श्री मजलिश खां ।

१४. श्री जेठमल बरबर ।

१५. श्री सांवलियाराम ।

१६. श्री भरतलाल ।

१७. श्री चतुर्भुज उपाध्याय ।

१८. श्री देवीलाल ।

१९. श्रीमती नगेन्द्र बाला ।

२०. श्री गिरधारीलाल व्यास ।

२१. श्री भैरवलाल काला बादल ।

श्री बरकतुल्ला खां इसके चेयरमैन होंगे । समिति अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में पेश करेगी ।

राजस्थान नगरीय भूमि-कर-विधेयक, १९६४ (अग्रेत्तर विचार विमर्श एवं पारित)

राजस्थान अर्बन लैंड टैक्स बिल, १९६४ पर मंत्री महोदय बहस का उत्तर देंगे ।

श्री रामकिशन (वैर:) श्रीमती नगेन्द्र बाला और श्रीमती सुमित्राजी को आपने श्री कहा है । यहां तो श्रीमती का सवाल दे ।

श्री अध्यक्ष : सुश्री कहा ।

श्री परसराम मदेरणा (उप–मन्त्री, सामान्य प्रकाशन) : मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव राजस्थान अरबन लैंड टैक्स बिल १९६४ को विचारार्थ लिये जाने के सम्बन्ध में दो माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए और ८ माननीय सदस्यों ने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव रखे हैं। बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने कई ठोस सुझाव प्रस्तुत किए और उन सुझावों के लिए मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं। लेकिन बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात का उल्लेख किया जिस वक्त वित्त मंत्रीजी इस सदन में बजट प्रस्तुत कर रहे थे और जब उन्होंने इस लैंड टैक्स लगाने का उल्लेख किया तो बहुत से माननीय सदस्यों ने दो दो तालियां बजाई थीं लेकिन उनका यह क्लेम कि यह सब कुछ समाजवाद के अनुकूल है, यह गलत है और उनका यह लैंड टैक्स अव्यवहारिक है। मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से भिन्न राय रखता हूं और यह कहना पसंद करूंगा कि भुवनेश्वर सेशन में जो डेमोक्रेसी और सोश्यलिज़्म पर जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसी के अनुकूल और उसी की मन्शा की पूर्ति करने के लिए यह बिल सदन के सम्मुख प्रस्तुत है और मैं यह भी कहूंगा कि भुवनेश्वर प्रस्ताव की मन्शा की पूर्ति के लिए ही दो मनी बिल्स सदन में आए थे और आपकी भावनाओं को देखकर मैंने उन्हें सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। वह भी उसी ओर संकेत करता है। भुवनेश्वर कांग्रेस के सेशन में अर्बन प्रोपर्टीज़ पर टैक्स लगाने का जो सवाल है वह धारा १२ के अन्दर है :

'It is necessary to br ng up limitation of income and property in private hands. This limitation should apply stationery in respect of inherited wealth and urban property. The State Govt. should secure large share of capital and appropriate much larger portion of the unearned income than it is being done at present.'

और यह बिल इसी मन्शा की पूर्ति करने के लिए इस सदन में ..

श्री रामनन्द अग्रवाल (अलवर) : ८ आना परसेंट से हो जायगा ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको जवाब दूंगा उस वक्त आप चुप हो जाएंगे। मैंने कहा है कि जो आपने ठोस सुझाव दिए हैं, उन पर विचार करके अपनी राय सदन में प्रकट करूंगा और जो माननीय सदस्यों को शंका हो रही है वह मिट जायगी। राज्य सरकार का इस बिल को लाने का इन्टेन्शन है कि शहरी इलाकों में जमीन की कीमतों में अनप्रिसीडेन्टेड राइज़ हुआ है और जिसके फलस्वरूप मुनाफाखोरी हो रही है। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है या धनवान लोग हैं वे जमीन के बड़े बड़े प्लाट्स खरीद कर कब्जे में ले लेते हैं ताकि भविष्य में लाभ उठाने की गरज से ऊंची कीमत पर बेच सकें। ऊंची कीमतों की वजह से मकानों के बनाने में रुकावट आती है और दूसरी तरफ प्लॉट्स लम्बे अर्से तक खाली पड़े रहते हैं और खाली पड़े रहने से जो हिंदुस्तान की जनता को बहुत थोड़े समय में नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड का हमारा लक्ष्य है वह पूरा नहीं होता। इनमें हाउसिंग भी एक प्रोब्लेम है उसको सोल्व करना चाहिए। इसलिए मकान बनाने के लिए भूमि वाजिब कीमत पर मिले और जो इस तरह की

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोफिटियरिंग की टेन्डेंसी है उसको रोकने के लिए और लैंड ओनर्स के अनअर्न्ड वेज के कुछ हिस्से को माप अप करने के लिए यह बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है। इसका ऑब्जेक्ट यह है कि राजस्थान सरकार के समक्ष कई वर्षों से यह बात ध्यान में थी कि अर्बन प्रोपर्टी में बढ़ती हुई कीमतों के फलस्वरूप अन अर्न्ड' इन्कम का हिस्सा मौजूदा टैक्सेशन ऑफ लैंड की स्कीम को बिना रेशनलाइज़ किए वसूल नहीं किया जा सकता। इसलिए टैक्सेशन ऑफ लैंड की स्कीम को रेशनलाइज़ करने के हेतु हम यह बिल सदन में लाए। उसके साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स और रीज़न्स में हमने इस बात का भी उल्लेख किया है कि टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी और प्लानिंग कमीशन ने भी इस प्रकार के सजेशन्स दिए थे कि अर्बन प्रोपर्टी पर और वह भी लैंड पर, जिस लैंड की कीमतों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है और बढ़ोतरी के फलस्वरूप उन जमीनों के मालिक प्रोफिटियरिंग करते हैं इसलिए यह टैक्स लगाना उचित होगा और Taxation Enquiry कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के तीसरे वॉल्यूम के पेज २४२ पर इस बात का सजेशन दिया है और उल्लेख किया है :

"The assessnent of such lands at rates higher than those for agricultural lands is wholly justifiable since the increase in value of non-agricultural lands is generally not due to any expenditure or effort on the part of the owner, but arises because of the growth of population, the extension of towns, the introduction of railways, the provision of civil facilities and so on. We see no reason why States which have not developed this source of revenue so far should not now do so."

उन्होंने आगे भी इस बात का उल्लेख किया है :

'In the case of vacant lands in urban areas, which are not appurtenant to buildings and which are not used for agricultural purposes, either a percentage of the capital value (e. g. five percent) may be taken as the annual rental value or the tax may be levied at a percentage of their capital value. We find that building sites in urban areas are often inadequately assessed and would stress the desirability of their being properly valued and taxed."

प्लानिंग कमीशन ने भी इस टैक्स को लगाने के लिए यह सजेशन दिया है :

'The ownership of property signifies taxable capacity additional to that arising from the income accruing from the property in question. The fact that income from wealth is taxed when it accrues, does not rebut the case for a separate, moderate tax on wealth. There are problems of valuation here, and there are large possibilities of avoidance or evasion through non-reporting transfers and the like. But, given the objective of reducing inequalities of incomee wealth and of raising the resources needed

(श्री परसराम मदेरणा)

for development from classes which have incomes or wealth far above the average, these administrative problems have to be faced.'

प्लानिंग कमीशन और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन के सजेशन्स पर भी हमने यह टैक्स, जो शहरों के अन्दर जमीन पड़ी रहती है—ओपन लैंड जिसे कहना चाहिये, उस पर भी लगाया है। यह टैक्स दस हजार या उससे भी ज्यादा आबादी के शहरों पर लगेगा और शहरों के अन्दर भी जो खाली जमीन पड़ी है उस पर ही लगेगा। इसलिए यह कहना, कि भुवनेश्वर प्रस्ताव की मंशा पूरी नहीं होगी, उचित नहीं होगा।

टैक्स के सिद्धान्त से सभी माननीय सदस्य सहमत हैं लेकिन इसके स्कोप के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ डाउट्स और शंकायें जाहिर की हैं। जिन माननीय सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों पर शंकायें जाहिर की हैं मैं उनकी एक एक शंका का उत्तर देना पसन्द करूंगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट पेश किया था और यह कहा था कि किसी व्यक्ति को अपनी प्रोपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का फन्डामेन्टल राइट है उस पर इस बिल से कुठाराघात तो नहीं हो रहा है और कुठाराघात है तो यह पॉइन्ट डिस्प्यूटेबल है और इस गवर्नमेन्ट को इसे रीएग्जामिन करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना उचित समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का शिड्यूल ७ की लिस्ट २ का ४९ है उसका शीर्षक है:—

"Taxes on lands and buildings."

और वह फन्डामेन्टल राइट्स पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता या फन्डामेन्टल राइट्स और टैक्स के इम्पोजिशन में किस प्रकार से वेरिएबल होता तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इसको शिड्यूल में नहीं रखते। इसके अलावा भी मैं निवेदन करूं कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में भी यह लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में १९६२में भूमि और भवन कर अधिनियम १९६२ लागू हो चुका है, भूमि और बिल्डिंग दोनों पर टैक्स लागू होगा। उसी तरह से मद्रास में यह टैक्स १९६३ में लागू हो गया। मैसूर में बिल्डिंग पर यह टैक्स १९६२ में लगा है। पंजाब और बम्बई के अन्दर भी इम्मूवेबल प्रोपर्टी टैक्सेबल है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि कहीं फन्डामेन्टल राइट्स पर तो कुठाराघात नहीं है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, मैं समझता हूं, मेरे इस जवाब के बाद में माननीय सदस्य को संतोष हो जाना चाहिये।

अब स्कोप ऑफ दी बिल पर बहुत से माननीय सदस्यों ने डाउट्स जाहिर किये और शंकायें जाहिर कीं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि लैंड टैक्सेबल होना चाहिये, वह लैंड टेक्सेबल नहीं है इस बिल के ऑर्बिट में। उन्होंने यह भी कहा कि परिभाषा इसकी खतरनाक है और तमाम अर्बन एरिया इसके अन्तर्गत आने चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि नरेशों के पास काफी भूमि खुली हुई पड़ी है और बंगलों और पेलेसेज के अहातों में काफी भूमि रखी हुई है। उन्होंने आमेर का भी हवाला दिया और उस जमीन पर टैक्स लगेगा या नहीं-डाउट जाहिर किया। उन्होंने यह भी कहा कि बिल्डिंग्स के अहातों

Page No. 45

(श्री परसराम मदेरणा)

में भूमि है उस पर भी टैक्स लगेगा या नहीं इसमें क्लीयर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी बड़ी जमीनों के बाड़े बना कर उसमें छोटा सा मकान बना लिया है और उससे टैक्स को इवेड किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कवर्ड एरियाज के अलावा दुगुनी जगह छोड़ कर बाकी बचती है तो उसको टैक्सेबल किया जाना चाहिये। उसके साथ साथ बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मकान और बिल्डिंग के बारे में डाउट्स जाहिर किये। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीस तीस प्लॉट हैं, मकान बना कर रख लेंगे और वह उस केप्राविट में नहीं आवेगा। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी रूलर्स की प्रोपर्टी इस डेफिनेशन में नहीं आने के लिए कहा और यह भी कहा कि राजाओं से एग्रीमेन्ट किये हैं वे सुप्रीम नहीं हैं, जनता उनसे सुप्रीम है। बड़े बड़े मकान हैं उनके पास वे टैक्स से बच जावेंगे, बड़े-बड़े प्लॉट्स पड़े हुए हैं उन पर भी टैक्स नहीं लग सकेगा। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यही डाउट जाहिर किया। उसके साथ साथ सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आशंका प्रकट की कि कई व्यक्तियों के पास इतनी खाली जमीन पड़ी हुई है, बेचने के नियम का वे उपयोग नही करते हैं तो ऐसी भूमि पर आप टैक्स लगायेंगे या नहीं। इस बिल में इस बात का स्पष्ट संकेत नहीं है। उदाहरण के लिए दो सौ गज का एरिया है और कोई व्यक्ति कोने में एक छोटी सी कोठरी बना लेता है तो बिल्डिंग का पूरा कन्स्ट्रक्शन माना जायगा या उसको ही इमारत मान लिया जायगा या नहीं, इस पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह बात इसके प्रोविजन्स से क्लीयर नहीं।

अब मैं माननीय सदस्यों के उन सब मुद्दों का उत्तर दे रहा हूं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह आशंका प्रकट की कि बाड़े बना कर बेचे जायेंगे, तो बिल्डिंग की डेफिनेशन में साफ है कि एन्क्लोजर बनाने वाले इससे नहीं बचेंगे। वह डेफिनेशन की आखिरी लाइन है और उससे उनकी आशंका दूर हो जाती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस टैक्स के बारे में माननीन सदस्यों को गलतफहमी हो रही है कि यह तो वेकेन्ट प्लॉट्स के बारे में है। यह सारी ओपन लैंड पर है। जितना एरिया मकान कवर करेगा उसके बाद में जितना दूसरा एरिया है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने दुगुना छोड़ने की राय दी, संशोधन भी प्रस्तुत किया, एग्जेम्पशन के क्लॉज ६, सब क्लॉज (ए) में प्रेस्क्राइब्ड है उसके पूरी हो जाने के बाद ओपन लैंड होगी उस पर टैक्स लगेगा। वेकेन्ट प्लॉट्स पर ही नहीं है बल्कि खाली जमीन पर भी है उस पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स सिर्फ खाली प्लॉट्स पर ही नहीं है, जिन प्लॉट्स में बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, चाहे कितने ही बड़े हों, और प्रपोर्शन में जमीन कवर करने के बाद, प्रेस्क्राइब्ड है उससे बाकी की जमीन बचेगी कैसी भी जमीन है इस प्रॉविट से नहीं बचने वाली है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मंत्रियों के बंगलों की जमीन भी शामिल है ?

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रियों की जमीन के बारे में माननीय सदस्य को गलतफहमी है। एग्जेम्पशन का सब-क्लॉज (१) है, मैं सोच रहा था ठीक है इसमें गवर्नमेन्ट बंगलोज बिल्डिंग सब एक्जेम्प्टेड हैं। मंत्रियों के

(श्री परसराम मदेरणा)

खुद के बंगले नही हैं, ये तो राज्य सरकार के हैं। इसमें राज्य सरकार की बिल्डिग्ज् और बगलोज् को एक्ज़ेम्प्ट कर दिया है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरे ख्याल से मंत्री महोदय गलत व्याख्या कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मुख्य मंत्री और बरकतुल्ला खां साहब के पास जो बंगले है उनमें काफी जमीन खाली पड़ी है। या तो उनकी जगह मकान बनाये जाय या उन पर टैक्स वसूल किया जाय।

एक माननीय सदस्य : इनकी मिल्कियत हो जायगी तो कर दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री महोदय ने व्याख्या की है उसको अमेन्ड करने जा रहे हैं। मंत्रियों के बंगले भी टैक्सेबल हैं, ऑक्यूपायर से टैक्स लिया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : क्लॉज़ ६ का सब–क्लॉज् (ए) है

"Nothing in this Act shall apply to any urban land owned or administered by the State Govt., the Central Government or the local authority...."

इस क्लॉज् के नीचे जो कुछ भी ओपन लैन्ड है मिनिस्टरों के बंगलों में या स्टेट बिल्डिग्ज में वे सब इस टैक्स से एक्जेम्प्टेड हैं।

माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ऑक्यूपायर और ओनर की जो परिभाषा इसमें दी गई है उसकी वजह से ओनर और ऑक्यूपायर में इस तरह के कैसेज हो सकते हैं जो कॉन्सीक्वेन्टली जाकर के लॉ कोर्टस के अन्दर एवीडेन्स बन जायेंगे। वे अपना राइट रि-एस्टेब्लिश करवा सकते हैं तो वैसी हालत में यह इस ऑर्बिट में नहीं आ सकेगा। इसके लिये मेरा निवेदन है कि क्लॉज् ५ बिल्कुल क्लीअर है वह टैक्स ओनर से वसूल किया जायगा। क्लॉज पांच में इस प्रकार का प्रावधान रखा है जिसमें किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं रह सकती यह सैल्फ एक्स्प्लेनेटरी नेचर का है–बिल की जो स्कीम आफ थिंग्ज् हैं उसमें साफ है।

यह भी बात कही गई, सिविल कोर्टस का जुरिस्डिक्शन इसमें आउट क्यों किया गया ? जयपुर व कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बारे में कुछ मुद्दे रखे असेसिंग ऑथोरिटीज़ के फैसले को सिविल कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, सिविल कोर्ट को इन्टरफिअरेन्स करने का पूरा अधिकार होना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा जुडिशियरी के सेपरेशन के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जगह अपीलेट ऑथोरिटी सिविल जज रखी जानी चाहिये। स्टेट गवर्नमेंट को रिव्यू ऑथोरिटी के क्वश्चन में सिविल कोर्ट को एजीटेट करने की छूट देनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आर्बाट्रेरी पॉवर्स कतई नहीं हैं, जैसा कि आपने कहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस सबन्धी जितने भी स्टेटयूट्स् है उनमें भी इसी प्रकार का प्रावधान है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं यूपी का जो एक्ट है भूमि एक्ट उसकी दफा ३६ के अन्दर भी इसी प्रकार का प्रोवीजन है। मद्रास एक्ट की दफा ४१ है उसमें भी इसी

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रकार का प्रोवीजन है। राजस्थान के जितने भी स्टेट्यूट्स हैं सेल्स टैक्स, गुड्स एन्ड पेसेन्जर टेक्स, एडवर्टाइज़मेंट टैक्स उन सब में इसी प्रकार के प्रावधान हैं। मैं निवेदन करूं आप मुझे इन्डिया की किसी स्टेट में इससे अलग प्रावधान बता दें जिसमें इस प्रकार की अपील की रिव्यू की ऑथोरिटी सिविल कोर्टस् को हो तो मैं आपकी इस संभावना को मानने को तैयार हूं। लेकिन जितने भी इस प्रकार के हिन्दुस्तान में कानून हैं और दूसरे राज्यों ने बनाये हैं जिनको वहां के लेजिस्लेचर्स ने इनेक्ट किया है उनमें यह प्रावधान कहीं पर नहीं है, इसलिये हमने भी उसके अनुसार अपीलेट ऑथोरिटी का प्रावधान रखा है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, गिरवा से आने वाले माननीय सदस्य ने, सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने-सारे माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि जो गरीब आदमी है जिनके पास केवल एक प्लॉट है, राजस्थान में कहीं भी उनके पास दूसरा मकान नहीं, ऐसे व्यक्तियों को इस टैक्स से एक्ज़ेम्प्ट करना चाहिये। सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मिनिमम और मेग्ज़ीमम भूमि की लिमिट बता कर कहा कि उनको एक्ज़ेम्प्ट किया जाय। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पांच हजार रुपये तक की मूल्य की जिनकी जमीन है उनको टैक्स से एग्ज़ेम्प्ट किया जावे। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के क्लॉज़ २१ में राज्य सरकार के पास में पॉवर्स रहेंगे पब्लिक इन्ट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए सर्टेन क्लास ऑफ अर्बन लैन्ड्स को एग्ज़ेम्प्ट कर सकते हैं। राज्य सरकार सेपरेट नोटिफिकेशन निकाल कर इस प्रकार का एग्ज़ेम्शन दे सकती है। मैं माननीय सदस्यों की भावना की कद्र करता हूं. इस वक्त इतना ही कहना उपयुक्त समझता हूँ, क्लाज २१ में जो राज्य सरकार को पावर्स हैं उनका इस्तेमाल जब किया जायगा, इसके लिए रूल्स फ्रेम किये जायेंगे उसमें आपकी भावनाओं का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं उस खास मुद्दे की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिस के बारे में माननीय सदस्यों ने स्ट्रेस किया। वह यह था कि यह जो पॉइन्ट फाइव पर्सेन्ट टैक्स रखा है उससे भी हायर परसेन्टेज रखा जाना चाहिये। मैंने यह प्रश्न अभी एग्जामिन करवाया है और उसके बाद में जहां तक स्लेब का सवाल है उसके बारे में इतना ही कहना पसन्द करूंगा, राज्यसरकार यह उचित समझती है कि जो पॉइन्ट फाइव percent tax levy करने का प्रश्न है उस रेट् को इन्क्रीज करना चाहती है। इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट जब क्लाज बाई क्लाज इस बिल को लिया जायगा तो उस समय अमेन्डमेन्ट को सदन में मूव करूंगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : फ्लेट रेट रखेंगे या स्लेब से।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इस समय इस बारे में कुछ निवेदन नहीं कर सकता। रेट्स स्लेब बेसिस पर होंगे या फ्लेट रेट होंगे। जमीन ज्यों ज्यों बढ़ती जायगी उसी हिसाब से बढ़ते जायेंगे या क्या, अभी हम इस बारे में निर्णय नहीं कर पायेंगे। लेकिन मैं माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि आपकी भावनाओं का ध्यान रखा जायेगा और जब यह क्लाज आयगा उस वक्त मैं एक अमेन्डमेन्ट पेश करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, जो प्रस्ताव जनमत जानने हेतु या प्रवर समिति के सुपुर्द करने के रखे हैं वे प्रस्ताव वापिस लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फोर्ट्स और पेलेसेज के बारे में क्लेरिफाई नहीं किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : चाहे कोर्टस हों या पेलेसेज हों जहां भी खाली भूमि है चाहे वह किसी सरमायेदार की बड़ी बिल्डिंग हो उसके अन्दर भी ओपन जगह है वह सब इसकी ऑर्बिट में आयेंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : शहरों में जो कृषि भूमि है उसके बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष तीन प्रस्ताव हैं। पहला तो यह है कि इस विधेयक को जनमत प्रसारण हेतु भेजा जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन लैंड टैक्स बिल, १९६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन लैंड टैक्स बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

क्लॉज २। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के क्लॉज २ में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ :

"In part (5) replace the words which is capable of being used as a building site' by the words 'situated in an urban area,' and insert after the word 'building' the words 'Palace or fort belonging to an ex-ruler."

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने यह संशोधन पेश किया है उसमें अर्बन लैंड की जो परिभाषा है वह बहुत डिफेक्टिव है। उसमें जैसा कि अभी माननीय उपमन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बतलाया कि गवर्नमेंट की मन्शा ओपन लैंड को टैक्स करने की है, इसका मतलब यह हुआ कि वह जमीन जो एग्रीकल्चरल नहीं है और जो बिल्डिंग से कवर्ड नहीं है और जो उन एग्जेम्पशन्स में नहीं आती जिनका कि जिक्र इस बिल की विशेष धारा में किया गया है, इसके अलावा जो ओपन लैंड है उस तमाम को टैक्स किया जावे।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो डेफीनिशन अर्बन लैंड की रखी है उसमें एक कन्डीशन और लगाकर कि 'that land which is capable of being used as a building site' यह लगाकर ऐसी कन्डीशन्स लगा दी हैं कि इसका इन्टरप्रिटेशन करके किसी ऐसी जमीन को भी इस टैक्स से मुक्त किया जा सकता है जो एक्चुअली तो ओपन लैंड है पर जिसके बारे में यह कह दिया गया है कि यह बिल्डिंग साइट के लिये इस्तेमाल नहीं हो सकती । मिसाल के तौर पर मान लीजिये कि एक जमीन खाई की है जिसे ऐसा भरवाया गया है रेत वगैरह डाल कर कि उसमें फर्म फाउन्डेशन नहीं लग सकती; और केवल इस बिना पर कि फर्म फाउन्डेशन नहीं लग सकती इसलिये बिल्डिंग अगर बनावेंगे तो उसके डेमेज होने का खतरा है इसलिये यह जमीन बिल्डिंग के लायक नहीं है, इसलिये टैक्स से एग्जेम्प्ट होनी चाहिये । तो एक तो इस तरीके से यह जो डेफीनेशन रखी है उसमें इस तरह के रखने की कोई आवश्यकता नहीं ।

जब आपका इन्टेशन क्लीयर है कि दस हजार की आबादी वाले शहर या इससे नीचे की आबादी वाले शहर में एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़ कर और बिल्डिंग को छोड़कर जो ओपन लैंड है वह टैक्सेबल होगी तो फिर इसको सीधे तरीके से वह अरबन लैंड है लैंड जो अर्बन एरिया में आती है वह टैक्सेबल होगी, यह बहुत सिम्पल कर दी है जिसको एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं वह एग्जेम्प्शन से कवर हो जावेगी । एग्रीकल्चरल लैंड कवर नहीं होती है तो उसको एग्जेम्पशन में आपने शामिल कर दिया है । तो एक तो मेरा मकसद यह है ।

दूसरा, इस तरह से जो फोर्ट्स और पेलेसेज वगैरह हैं उनमें बहुत ज्यादा ओपन लैंड है । ये महल जो हैं इनमें बिल्डिंगें बन सकती हैं या नहीं, बिल्डिंग बनाने के लायक हैं या नहीं, यह भी बहुत कन्ट्रोवर्शियल मैटर हो सकता है और जूडीशियल इन्टरप्रिटेशन में इस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन दिया जा सकता है कि जिससे ये बच जावें । मसलन आमेर का किला है उस पर जो बिल्डिंगें बनी हैं उसके अलावा जो जमीन हैं उसमें बिल्डिंग बनाने का इन्टेशन हो सकता है, पर यह कह कर कि यहां बिल्डिंग बनाई जावेगी तो इसका महत्व खतम हो जावेगा, तो महत्व बनाये रखने की बिना पर, और इसकी खूबसूरती मिट जावेगी तो इस खूबसूरती की बिना पर, किसी टैक्नीकलिटी के नाम पर कह सकते हैं कि यहां बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती और इसलिये यह टैक्सेबल नहीं है । इस तरह का इन्टरप्रिटेशन दिया जा सकता है । और विशेष तौर पर जहां तक इस वर्ग का ताल्लुक है, किसी न किसी तरह से इस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन हो सकता है । तो एक्सट्रा कोशिश रहने के तौर पर भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर गवर्नमेंट का इन्टेन्शन है, जैसा कि अभी कहा गया है तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स के तौर पर भी इन शब्दों को इनक्लूड करने में हर्ज नहीं है ।

अगर गवर्नमेंट का इन्टेन्शन नहीं है तो हर्ज होता । पर जैसा उपमन्त्रीजी ने अभी कहा कि चाहे फोर्ट हो, चाहे पैलेस हो उसमें अगर ओपन स्पेस एग्जेम्पटेड मिनिमम से अधिक होगी

Page No. 50

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तो टैक्सेशन करने का गवर्नमेंट का इन्टेन्शन है तो इस अमेन्डमेंट को सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये । यह एक्सप्लेनेटरी चीज होगी और इसके बाद किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा । मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसको स्वीकार करेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहनराज जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री मन्त्री महोदय ।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूँ । डेफीनिशन का आइटम नम्बर ७ है । इसमें अरबन एरिया को डिफाइन करदें तो अच्छा हो ।

"Urban area' means any municipal area"

ताकि यह दस हजार की पॉपुलेशन में जहां भी अर्बन कहलाता हो, तो इसके साथ म्यूनिसिपेलिटी कर दिया जावे तो अच्छा होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Point of order, Sir, there is an amendment like this of the Hon'ble Member and, therefore, no such amendment can be admitted at this stage.

श्री अध्यक्ष : श्री मन्त्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री सामान्य प्रशासन) : अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव संशोधन का रखा है उसे मुझे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं । पर जिस जगह वे चाहते हैं वहां मैं समझता हूँ उसे लेने से सही ड्राफ्टिंग नहीं होगी, इसलिये अगर उनके इस संशोधन को 'situated in Urban area' में जहां बिल्डिंग के आगे वे चाहते हैं वहां वह incorporate नहीं करके पहली पंक्ति में ही लैंड के बाद में इसे जोड़ दिया जाय तो सही ड्राफ्टिंग होगा । पूरी शक्ल इस तरह से बन जावेगी फिर :

"Urban land means land situated in an urban area which is capable of being used as a building site..."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेडमेन्ट मन्त्री महोदय ने स्वीकार करने की बात कही है और जिस रूप में स्वीकार करने की बात कही है, इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि फिर तो इसका पर्पज ही हल नहीं होगा । इसका मतलब यह है जो वे स्वीकार करना चाहते हैं कि वह जमीन अरबन एरिया में सिचुएटेड है और साथ में यह कन्डीशन भी लगाना चाहते हैं कि वह ऐसी ओपन लैंड हो जो बिल्डिंग बनाने के काम में आ सकती हो ।

(१०.०० म० पू०)

तो इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेन्ट ने जो दो कन्डीशन्स पहले रखीं थीं, इसके अलावा एक तीसरी कन्डीशन और एक ओपिन होती है कि १० हजार से ज्यादा आबादी का कस्बा होना चाहिए । दूसरे एग्रीकल्चर लैंड या वह लैंड जो कि एग्ज़म्प्टेड है सेक्शन में वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं होना चाहिये । अब इनमें से एग्ज़ेम्प्टेड है और इसके अलावा तीसरी कन्डीशन और हो जायेगी कि ओपन लैंड है और वह ऐसी है कि उसके ऊपर बिल्डिंग बन सकती है तो मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेन्ट का इन्टेन्शन उसको एग्रीकल्चर लैंड में लगाने का नहीं है और एग्ज़ेम्प्टेड वालों को लगाने का नहीं है तो तीसरी कन्डीशन लगाकर बहुत सा खुला दरवाजा छोड़ दिया है। इसलिए मैं इसको स्ट्रैस करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज २ में जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में जो अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया है: "situated in an urban area......"

श्री अध्यक्ष : वे नहीं चाहते हैं कि....

श्री परसराम मदेरणा : It has already been moved.........

श्री अध्यक्ष : We want separate notice for that.

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे फिर इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दीजिए निश्चित रूप से।

क्लॉज़ ३ में आपका संशोधन है।

(विराम)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में मेरा संशोधन प्रोवीज़ो ऐड करने का है। उस प्रोवीज़ो का मैंने जो अमेन्डमेन्ट दिया है वह सर्कुलेट हो चुका है, लेकिन उससे पहले जैसा कि अभी मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि क्लॉज़ २ कन्टीनुएशन में आयेगा। तो मैं एक अमेन्डमेन्ट और मूव करूंगा। इसलिए पहले मैं क्लॉज़ ३ का जो सब-क्लॉज़ (१) है उसमें for the expression ५ परसेन्ट को मैं २ परसेन्ट से सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ और उसी तरह से सबक्लॉज़ (ए) के बाद में एक प्रोवीज़ो ऐड करने के लिए मूव करता हूँ :

"Provided that the State Government may fix graduated rates of tax on different slabs of market value of urban lands."

और उसके बाद में मैं यह संशोधन मूव करता हूँ :

Add the following proviso to sub-clause:—

Page No. 52

(श्री परसराम मदेरणा)

"Provided that no tax shall be levied on any urban land if the owner thereof or his predecessor-in-interest has acquired such land by transfer from the Government or any local authority within a period of two years immediately preceding the year for which the tax is levied."

मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे तीनों ही संशोधन जो क्लॉज़ ३ में हैं ये स्वीकार किये जायें; ये स्वीकार इसलिये किये जायें कि जो माननीय सदस्यों ने यहां पर भावनायें व्यक्त कीं और यह कहा कि यह टैक्स स्लैब सिस्टम के बेसिस पर लगाना चाहिये और वह एक तरह से जो फिक्स्ड परसेन्टेज है वह नहीं होना चाहिये । मैं समझता हूँ कि ग्रेजुएटेड मार्केट प्राईस पर यह टैक्स लगा दिया गया है और ५ परसेन्ट से इसको 'not exceeding to 2%' तक लगा दिया गया है । तो मैं समझता हूँ कि जितनी मार्केट वेल्यू होगी और जितनी जमीन की मार्केट वेल्यू ज्यादा होगी उस पर इस रेट का ज्यादा परसेन्टेज ज्यादा लगेगा और उससे माननीय सदस्यों की जो भावनायें थीं, ये जो सुझाव थे उनकी पूर्ति हो जायेगी, मैं ऐसा समझता हूँ ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेन्ट माननीय उपमंत्री महोदय ने मूव किये हैं इसमें इस बात की तो खुशी है कि उन्होंने इस प्रिन्सिपल को स्वीकार किया है कि यह टैक्सेशन स्लैब सिस्टम पर, ग्रेजुएटेड सिस्टम पर होना चाहिये । परन्तु जो भावनायें इस सदन में और व्यक्त की गयी थीं वह एक तो यह थी कि टैक्स की जो भी दरें मुकर्रर करें और स्टेच्यूट में ही स्लैब को रख दें तो ज्यादा उचित होता । उसके बारे में अनिश्चितता नहीं रहती । दूसरे जो २ परसेन्ट आपने अभी भी रखा है तो स्लैब सिस्टम रखना चाहते हैं तो मिनिमम भी आपको बताना चाहिए कि कम से कम यह होगा और हाईएस्ट यह होगा और जब गवर्नमेन्ट अपने हाथ में पॉवर्स रखती है तो इस २ परसेन्ट को बढ़ा कर ४ परसेन्ट तक गवर्नमेन्ट को लाना चाहिए और मिनिमम जो आपका है वह भी उसका बताना चाहिए । कितने से आप शुरु करेंगे और उसको किस स्लैब सिस्टम पर ले जायेंगे क्योंकि आम तौर पर देखा गया है कि गवर्नमेन्ट इस पॉवर को अपने हाथ में रखने से बड़ी अनिश्चितता रहती है । इस सदन का भी इस सम्बन्ध में कन्ट्रोल कम रह पाता है । मैं समझता हूँ कि क्योंकि इसमें गवर्नमेन्ट को दिक्कत नहीं हो सकती कि ओपनली आपने प्रपोजल इस सदन के समक्ष रखे कि इस तरह मिनिमम रेट्स रखना चाहते हैं और इतनी वेल्यू को एग्जेम्प्ट लेना चाहते हैं । यह सिर्फ यहां निवेदन करना चाहता हूँ कि जिससे इस सदन के माननीय सदस्यों को भी अपनी बात पूरी कहने का मौका मिल जाये । मैं समझता हूँ कि यह सरकार जो रोजमर्रा अर्थ संकट की बात कहती रहती है सदन में इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य जब इस सरकार के सामने सुझाव रख रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ाने का सुझाव रख रहे हैं उसमें सरकार उल्टे यह शाई फील करती है । सरकार हमारे ऊपर यह आरोप लगाती है, हम आर्थिक संकट में सरकार की मदद नहीं करते और कितनी डिफिकल्टीज में उनको काम करना पड़ता है उसकी चिन्ता नहीं करते । मैं कहना चाहता हूँ कि यह टेस्ट है ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हम सरकार के सामने कह रहे हैं कि आपने जो रेट पहले रखी थी वह बहुत ही कम थी और उसको २ परसेन्ट कर रहे हैं लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि २ परसेन्ट भी किसी पर लेंगे। यह तो आपकी पॉवर है कि मेग्ज़ीमम वहां पर लगायें या नहीं। हो सकता है ५ परसेन्ट ही लगायें क्योंकि वह तो आपके within range है। इसलिए हम चाहते हैं कि विशेषतौर पर जो सरकार की नीति रही है ऊंचे वर्ग को रियायत देने की और सरकार की नीति का जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसकी वजह से मजबूर होकर यह टैक्सेशन बिल लाना पड़ा है लेकिन उसको इस तरह से छिपाकर रख रहे हैं यह साफ जाहिर है इसलिए हम, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहेंगे कि गवर्नमेन्ट को अपना definite proposal clearly formulate करके मेग्ज़ीमम ४ परसेन्ट करना चाहिए। एक लाख जिसकी मार्केट वैल्यू प्रोपर्टी की या लैण्ड की क्यूमूलेटिव तौर पर है तो उसके ऊपर ४ परसेन्ट लगाना चाहिए और पहले १.५ परसेन्ट से शुरू कर दिया जाये, १ परसेन्ट से कर दिया जाये यह प्रपोज़ल सामने रखें तो हम उसको मंजूर करेंगे यह इस संशोधन के सम्बन्ध में कहना है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय ने जो ०.५ से २ पर्सेन्ट तक टैक्स का प्रोपज़ल रखा है, इस सम्बन्ध में मेरा विरोध है और विरोध इस नाते है कि या तो सरकार यह धारणा बना ले कि या तो उन जमीनों पर एकदम से जिन जमीनों पर लोगों का कब्जा है, मालिकाना हक है उससे ले ले या यह धारा बना ले कि जो टैक्स लगता है उसका आधार क्या हो। यह एक बार लगने वाला टैक्स नहीं बल्कि सालाना लगने वाला टैक्स है और सवाल यह है कि दो रुपये सैंकड़े का अगर टैक्स लगाते हैं और एक साल में अगर वह एक हजार की हुई तो कम से कम ४०) रुपये साल के देना पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसका यह अर्थ होगा कि थोड़े दिनों में वह जमीन टैक्स के रूप में खत्म हो जायगी।

(समय--समाप्ति-सूचक घंटी).

इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे सालाना टैक्स लगा रहे हैं। केवल एक ही बार नहीं ले रहे हैं। तो या तो उसको नेशनेलाइज कर लें या टैक्स के सम्बन्ध में इतना टैक्स लगाना गैर-वाजिब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज ३ के सब क्लॉज (१) में जो ०.५ की जगह पर २ पर्सेन्ट का संशोधन किया है वह इस प्रकार का है—"at such rate not exceeding 2 per-cent of the market rate" जो मेग्ज़ीमम है वह टैक्स लिया जा सकता है। इससे ज्यादा नहीं। अब मिनिमम को इसलिए यहां पर नहीं रखा है क्योंकि इसकी क्लॉज़ दो जो प्रोवीज़ो एड किया है....

श्री अब्दुल जब्बार : इससे कई ज्यादतियां हो जायेंगी। लोग-बाग परेशान हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री परसराम मदेरणा : उससे ग्रेजुएली टैक्स स्लेब सिस्टम से जो मार्केट वैल्यू है

(श्री परसराम मदेरणा)

उस पर लगेगा। इसका मतलब यह है कि जहां पर मार्केट वेल्यू का स्लेब बहुत ज्यादा है और जिसकी मार्केट वेल्यू ज्यादा है क्योंकि कौनसी कीमत की जमीन कौन से नगर में है और कहां पर किस तरह से स्लेब रखना पड़ेगा यह सब बातें इस वक्त मैं समझता हूँ कि डिटेल में कोई शिड्यूल पेश नहीं कर सकता हूँ। यह वर्क आउट करना पड़ेगा। इसलिए जिनके पास में ज्यादा कीमत की जमीनें हैं व मार्केट वेल्यू ज्यादा है तो उसी तरह से नीचे वालों पर थोड़ा टैक्स लगेगा और जिस तरह से उसकी मार्केट वेल्यू ज्यादा है वहां पर स्लेब सिस्टम के बेसिस पर वह higher tax not exceeding 6 percent लिया जायगा। जिस वक्त अलवर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने यह कहा था कि एक लाख की जमीन की वेल्यू है तो चार पर्सन्ट लगाया जाय तो भी कोई अनुचित नहीं होगा, और इस तरह से मेरे खयाल में....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी भी यही कहता हूँ।

श्री परसराम मदेरणा : चार पर्सेन्ट तक टैक्स लगाने की बात कही थी।

श्री अध्यक्ष : Please be brief. जल्दी उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास डिस्क्रीशन है और वह डिस्क्रीशन जमीन की कीमत, उनकी मार्केट प्राइस को देखकर वह डिस्क्रीशन इस [सम्]बन्ध में लिया जायगा।

मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य, जो मैंने तीन संशोधनों को क्लॉज़ ३ में मूव किया है, उन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि तीन संशोधनों में पहला यह है कि ०.५ के बजाय २ पर्सेन्ट रखा जाय। उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

इसके बाद में एक प्रोवीज़ों का है जो इस प्रकार है—

"Provided that the State Government may fix graduated rates of tax on different slabs of market value of urban lands."

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

तीसरा संशोधन है एक प्रोवीज़ो जोड़ने के लिए अगर मंत्री महोदय स्वीकार करें तो "Provided further that" यह प्रोविजो आ चुका है इसलिए ड्राफ्टिंग में थोड़ा फर्क कर दें It should be "Provided further that" because there is already a proviso.

इसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Page No. 55

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ ५

श्री रामानन्द अग्रवाल : [संशोधन इस प्रकार है:

"At the end of this clouse, add the words 'directly or indirectly'."]

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ में मेरा छोटा सा संशोधन है कि इसकी धारा के अन्त में शब्द "directlyor indirectly" जोड़ दिया जाय । जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस प्रश्न को कि यह टैक्स ओनर्स से ही वसूल किया जाय और ओनर उसका बर्डन किसी ऑक्युपायर या टीनेन्ट पर शिफ्ट नहीं कर सके इस बात को एक्सप्लिसिट करने के लिए गवर्नमेंट ने यह सेक्शन रखा है, और मैंने भी इसी धारा को और ज्यादा एक्सप्लिसिट करने के लिए 'डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली' वह बर्डन शिफ्ट नहीं कर दे इसलिए जो गवर्नमेंट का इन्टेन्शन है उसकी लैंग्वेज को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, यह शब्द जोड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि यह गवर्नमेंट इनको स्वीकार करेगी ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ ५ में जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है वह संशोधन इस प्रकार का है कि धारा ५ के अन्त में वर्ड्स "directly or indirectly" को एड किया जाय । इस स्थान का प्रीविज़ो साफ है और मैं इसको आवश्यक नहीं समझता हूँ । डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली जोड़ने के बाद भी वह कोई यूसफुल साबित नहीं होगा और नहीं जोड़े जायं तो भी उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि क्लॉज़ बहुत साफ है, और कुछ जोड़ा जाना मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ के अन्दर रिडन्डेन्ट है । इसलिए माननीय सदस्य के संशोधन को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : 'डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली' कोई लीगल फ्रेज्योलोजी तो है ही नहीं । इन्डाइरेक्टली में क्या क्या आयेंगे, यह स्पेसिफिक तो हो ही नहीं सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I don't press for it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने ।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

क्लॉज ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ६, श्री सम्पत्तिलाल और श्री रामानन्द अग्रवाल ।

[संशोधन इस प्रकार हैं:—

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (i) In part (g) after the word "Schools" insert the word "hostels" in the second line as well as in the sixth line.

(ii) In part (k) replace the words "as may be prescribed" by the words "as may not exceed twice the area covered by the building."

(iii) Delete part (l).

श्री मोहनराज (बाली) :—

(i) In part (f) add the words "and dedicated for such purposes" after the words "for public purposes."

(ii) In part (i) add the words "and devoted and dedicated for such purpose by a deed deposited within the local authority" after the words "urban lands used."

(iii) Delete parts (j) and (l).]

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ में मैंने तीन संशोधन तजवीज किये हैं । सबसे पहले मैं संशोधन नं० ३ जो मैंने सजेस्ट किया है पार्ट (एल) को डिलीट करने का । यह मैंने संशोधन एक दूसरे संशोधन के साथ में प्रस्तुत किया था जिसमें कि जो स्लेब सिस्टम में उसमें एक मिनिमम वेल्यू तक के लैंड को एग्जेम्प्ट कर दिया था; लेकिन चूंकि वह प्रिन्सिपल गवर्नमेंट ने मान लिया है और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए मैं अपने इस तीसरे एमेंडमेंट यानी पार्ट (एल) को डिलीट करने वाले एमेंडमेंट को प्रेस नहीं करता । जो दो एमेंडमेंट्स हैं, अध्यक्ष महोदय, उसमें पार्ट (जी) "In part (g) after the word "Schools" insert the word "hostels" in the second line as well as in the sixth line."

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो बिल्डिंग्ज या इन्स्टीट्यूशन जिनको इस टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है उसमें यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह तो इन्क्लूड किये गये हैं, लेकिन मैं इसको पढ़कर सुनाता हूँ, अध्यक्ष महोदय:

"(g) any urban land on which any building used for purposes of schools, colleges or universities has been constructed and any urban land appurtenant to such building any urban land used for public parks, public libraries, public museums, or used as play grounds attached to schools, colleges or universities;"

मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के यह इन्स्टीट्यूशन्स हैं उसी प्रकार होस्टल्स भी एग्जेम्प्ट होने चाहिएं । होस्टल्स चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट हों, उन होस्टल्स के साथ में प्लेग्राउन्ड्स अटेच होते हैं । इसलिए जैसा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि गवर्नमेंट का एग्जेम्प्ट करने का सजेशन है इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स को तो होस्टल को भी जो "by any stretch of imagination" इस तीन वर्ड्स में इन्क्लूड नहीं होता है। इसलिये जैसी डेफिनिशन रखी गई है एग्जेम्पशन्स की उसमें 'होस्टल्स' कवर नहीं होते। 'होस्टल्स' कवर होने चाहिये। इसलिये 'होस्टल्स' शब्द मैंने यूज़ किया है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इसे स्वीकार करेगी।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : आपका एक और अमेन्डमेन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरा अमेंडमेन्ट पार्ट (k) में है :

"In part (k) replace the words 'as may be prescribed' by the words 'as may not exceed twice the area covered by the building'.

जहां बिल्डिंग्ज़ बनी हुई हैं उनके साथ आउट-हाउसेज़ जो बने हुए हैं उसको किस एक्सटेन्ट तक नोन टैक्सेबल माना जाय और कितना टैक्सेबल किया जाय, इसको मौजूदा बिल में गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में रखा है। मैं समझता हूँ गवर्नमेन्ट की आदत बन गई है कि जितना कम से कम मामला लेजिस्लेचर में लाया जा सके उतना कम लावे और ज्यादा से ज्यादा पॉवर्स छिपी हुई अपने हाथ में रखे। मैं समझता हूँ गवर्नमेन्ट अपने इन्टेनशन को क्लीयरली बतादे। 'Twice the area' मैंने रखा है, गवर्नमेंट उसे कम करना चाहे तो मुझे आपत्ति नहीं है, मैं वेलकम कर सकता हूँ। इसलिये मैं चाहता हूँ कि स्पेसफिक प्रेस्क्राइब करदें। इस बिल में आज प्रेस्क्राइब्ड नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मेरा पार्ट (b) में सजेशन है, मन्त्रीजी उसको मान लें तो अच्छा होगा :

Add the words "and attached property" at the end of the part (b).

श्री परसराम मदेरणा : दूसरों के अमेंडमेंट हैं वे भी ले लिये जावें।

श्री अब्दुलजब्बार : एंड अटेच्ड पोपर्टी इससे यह होगा कि जैसा प्रिन्सिपल एक्ट में है।

श्री परसराम मदेरणा : आपका कौनसा संशोधन है ?

श्री अब्दुलजब्बार : क्लॉज़ ६ के सब-क्लॉज़ (बी) में वर्शिप के लिये केवल वही हिस्सा नहीं एग्जेम्प्ट करें जो इबादत के लिये हो, चाहे पूजा के लिये हो या नमाज के लिये, चाहे और कुछ हो, लेकिन उससे अटेच्ड प्रोपर्टी हो वह भी एग्जेम्प्ट होनी चाहिये क्योंकि उसकी इन्कम से ही मेन्टेनेन्स का काम चलता है। अटेच्ड बिल्डिंग्ज़ शामिल नहीं करेंगे तो मेन्टेनेन्स भारी पड़ेगा। इसलिये कृपया आप स्वयं ही इसके लिये अमेन्डमेन्ट रखदें और अटेच्ड प्रोपर्टी भी शामिल करदें तो वाइड स्कोप हो जायगा और वहां वर्शिप बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (बाली) : आध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ में मेरे तीन अमेन्डमेन्टस हैं

(श्री मोहनराज)

जिनमें से एक अमेन्डमेन्ट सब क्लॉज़ (एफ) में और दूसरा सब-क्लॉज़ (आई) में मैंने जो मूव किया है वे करीब करीब एक से हैं। पहले में तो For 'public pupose' add 'dedicated for such puprose' यह इन्सर्ट करने के लिये कहा है :

In part (f) add the words "and dedicated for such purposes" after the words "for public purposes". यह मैं इसलिये आवश्यक समझता हूँ कि जब हम किसी ऑथोरटी को डिस्क्रीशन यूज़ करने के लिये इतना मौका छोड़ देते हैं, कौनसी ऐसी जमीन है used for public purposes जिन पर रेन्ट या दूसरी चीज नहीं ली जाती है। मेरा ख्याल है कि यदि कोई इस तरह की जगह कहीं पर नियुक्त की गई है जन उपयोग के लिये तो नागरिकों से या संस्थाओं से recognition deed लिया जाय, उसका मतलब यह कि specific declaration local authorities से जाना चाहिये कि यह पर्टक्युिलर पीस ऑफ लैंड इस काम में आती है ताकि आगे चल कर यदि मेनेजमेन्ट करने वाला दावा करता है कि इस जमीन पर उसका हक है तो उस जमीन को हड़पने का उसको मौका नहीं मिले। वरना कुछ समय के लिये पब्लिक पर्पेजेज़ के लिये छोड़ने के बाद मौका आने पर या favourable circumstances आने पर उस पोजिशन से हटकर स्वयं अपनी जमीन बताने की कोशिश कर सकता है। इसलिये जो पब्लिक पर्पज़ के लिये छोड़ना चाहिये जैसा कि सब क्लॉज़ (आई) में है :

In part (i), add the words:—
"and devoted and dedicated for such purpose by a deed deposited with the local authority" after the words "urban land used"

इन सब के लिये मैं जरूरी मानता हूँ कि इस तरह का डीड डिक्लेरेशन के रूप में हो, लोकल ऑथोरिटी के पास पेश किया जाय ताकि जिस जमीन के लिये एग्जेम्पशन चाहते हैं पब्लिक यूज़ के लिये उसको वापिस अपनी करार नहीं दे सके और लोगों को इसमें सुविधा रहे। लोकल बोडी हो, पंचायत हो या गवर्नमेन्ट उनके सामने डिक्लेरेशन देना चाहिये कि यह जमीन हमेशा इसी तरह से काम में आती रहेगी। इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट को जरूरी मानता हूँ। इसे स्वीकार किया जावे।

दूसरा मेरा संशोधन है सब-क्लॉज़ (जे) और (एल) में, इन दोनों को डिलीट करने के लिये है। सब-क्लॉज़ (जे) इस तरह है :

"(J) urban lands used for the preservation of ancient monuments,"

मेरा ख्याल है कि आम तौर पर यह समझा जाता है कि राज्य सरकार हैं एन्शियेन्ट मोन्युमेन्टस को प्रिज़र्व करती है, म्यूज़ियम में रख कर या दूसरा कोई मकान हो उसमें रख कर लेकिन उनका इससे मतलब नहीं हैं। सरकार म्यूजियम बनाती है या किसी जमीन पर प्रिज़र्व करती उस पर्टिकुलर जमीन के लिये एग्जेम्पशन पहले दिया जा चुका है। मेरा ख्याल है कि राज्य सरकार का यह क्लॉज़ रखने का मतलब यह है कि यदि कोई प्राइवेट आदमी एन्शियेन्ट मोन्युमेन्ट के लिये जमीन रखता है तो वह भी एग्जेम्प्ट होगी। मैं समझता हूँ इसका मिस यूज़ होगा। मान लीजिये एक बहुत बड़ा प्लॉट है और उसमें एक छोटा

(श्री मोहनराज)

सा मकान बना हुआ है। आप रूल्स बनायेंगे कि किसी प्लॉट का ३० पर्सेंट या ४० पर्सेंट एरिया ऐसा होगा जिसमें मकान बनेगा और बाकी जमीन पड़ी है तो वह जमीन का मालिक खंड हर के टुकड़े इकट्ठे करके थोड़ी–थोड़ी दूरी पर जमा कर लेगा और कहेगा कि मैंने यह जमीन एन्शियेन्ट मोन्युमेन्ट्स प्रिजर्व करने के लिये रखी है इसलिये एग्ज़ेम्पशन दिया जाय, मेरा ख्याल है कि यह कानून की मंशा के खिलाफ है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरा यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया जाय, वर्ना बड़े–बड़े सेठ–साहूकार, जागीरदार जिनके बड़े–बड़े प्लॉट्स हैं वे इसका मिसयूज़ करेंगे। वे बड़ी आसानी से खंडहर इकट्ठा कर सकते हैं और वे इस एग्ज़ेम्पशन की शरण लेकर बच जायेंगे। इसलिये निवेदन है कि इसको डिलीट कर दें।

दूसरा संशोधन सब-क्लॉज़ (एल) के बारे में है। मेरा ख्याल है कि इसकी कत्तई आवश्यकता नहीं है, दूसरा सेविंग क्लॉज़ ऑलरेडी रखा है, गवर्नमेंट चाहे जैसी जमीनको एग्ज़ेम्प्ट कर सकती है। इसलिये इस क्लॉज़ को रिमूव कर दिया जाय तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ६ में २ संशोधन रखे हैं। वैसे तो तीन संशोधन रखे थे, लेकिन एक को उन्होंने प्रेस नहीं किया, विद्ड्रॉ कर लिया है। दो संशोधन प्रस्ताव ये रखे। एक तो क्लॉज़ (जी) में 'स्कूल' के बाद 'होस्टल्स' शब्द को इन्सर्ट किया जाय और इसी तरह आगे उन्होंने जो इस सब–क्लॉज़ की आखिरी लाइन में 'स्कूल' शब्द है वहां 'होस्टल' जोड़ा जाय। इस तरह से माननीय सदस्य ने यह क्लॉज़ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, इस पर मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मैं सब–क्लॉज़ (जी) के अन्दर इस प्रकार से अमेन्डमेन्ट मूव करता हूँ :

"Add the following explanation at the end of part (g):—

"Explanation:-The building used for the purpose of schools, collegs or universities includes a boarding house or hostel for students."

मैं इस तरमीम के साथ माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार करता हूँ और मूव करता हूं कि यह एक्सप्लेनेशन इस सब-क्लॉज़ के साथ जोड़ा जाय। दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही वह सब, क्लॉज़ (k) में "as may be prescribed" इसको delete करके ये शब्द जोड़ना चाहते हैं: "as may not exceed twice the area coverd by the building."

मैं समझता हूं कि यह मामला तब उपस्थित होगा जब राज्य सरकार अपने रूल्स बनायेगी, डिफरेन्ट म्यूनीसिपैलिटीज़ और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स से उनकी पोज़ीशन मालूम करके कि उनके बाइलॉज़ में क्या प्रावधान मौजूद हैं और कितना एरिया उसमें प्रेस्क्राइब किया जाना चाहिए–उस वक्त यह इन्स्ट्रक्शन दिया जा सकेगा कि इतना एपर्टनेन्ट टू दी बिल्डिंग को स्पेफाई कर रूल्स में स्पष्ट प्रावधान रखेंगे और जिसको हम एक्जेम्प्ट करेंगे operetion of Act से, तो माननीय सदस्य ने

(श्री परसराम मदेरणा)

जो double the area की बात कही है, मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर सभी जगह जो ओपन लैंड होंगे-उन ओपन लैंड्स को आम तौर पर एग्ज़ेम्प्ट कर देना ठीक नहीं होगा और वह रूल्स के लिए छोड़ देना उचित होगा।

बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन प्रस्ताव अलग अलग सब-क्लॉजेज़ में रखे। उन्होंने सब-क्लॉज़ (के) और (एल) को डिलीट करने का संशोधन रखा है। मैं समझ नहीं पाया कि अगर सब-क्लॉज़ (के) और (एल) को डिलीट कर देते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि हम किसी प्रकार एपर्टनेन्ट जमीन और ओपन लैंड, जिस पर टैक्स लगाना चाहते हैं, किसी प्लॉट के अन्दर बिल्डिंग बनने के बाद उसके एपर्टनेन्ट एरिया के लिए भी हम प्रोवीज़न नहीं रखेंगे तो नतीजा यह होगा कि बिल्डिंग बनने के बाद, जो ओपन जमीन होगी उस पर यह टैक्स नहीं लगा सकेंगे। इसलिए माननीय सदस्य ने जो क्लॉज़ को डिलीट करने का संशोधन रखा है उसको अस्वीकार करता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (के) पर नहीं है, (जे) का है।

श्री अध्यक्ष : (j) and (l)

श्री परसराम मदेरणा : और उस तरह से, अध्यक्ष महोदय, यह 'के' को डिलीट करने का सजेशन माननीय सदस्य का था उसको वह विदड्रॉ कर लें। उनका सजेशन ने को विदड्रॉ करने का भी है। वह ऐसा समझते हैं कि मोन्यूमेंट के नाम को लेकर बहुत से आदमी इस प्रोवीज़न से बच सकते हैं और जब इस प्रकार से इसको हटा दिया जायगा, हटाने के बाद दूसरा संशोधन (आई) सब-क्लॉज़ पर दिया है, वह इस सम्बन्ध में उन्होंने दिया है :

In part (i) add the words "and devoted and dedicated for such purpose by a deed deposited with the local authority" after the words "urban lands used".

जो उन्होंने यह संशोधन (आई) में दिया है-नहीं-(जे) में दिया है और इस तरह से इस क्लॉज़ को हटाना चाहते हैं ताकि मोन्यूमेंट के नाम से जमीन को ईयर-मार्क करके इस टैक्स से बचत नहीं की जाय। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मैं स्वीकार नहीं करता, वह इसलिए नेशनल कल्चर के प्रिज़र्वेशन के लिए एन्शियेन्ट मोन्यूमेंट्स को प्रिज़र्व किया जाना आवश्यक है। यदि नहीं करते हैं तो यह नेशनल हानि है। इसलिए मैं उनका प्रिज़र्व किया जाना आवश्यक समझता हूं। इसलिए माननीय सदस्य ने जो (जे) को डिलीट करने का प्रस्ताव किया है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है और जो एक्स्प्लेनेशन में अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है, उसके बजाय इस क्लॉज़ में अमेंडमेंट जो मैंने मूव किया है, मैं उसे स्वीकार करते हुए बाकी सब संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : Do you withdraw ?

श्री मोहनराज (बाली) : (जे) और (एल) के सम्बन्ध में तो कह दिया। (आई) में संशोधन था "and devoted and dedicated...." उसके विषय में कुछ नहीं कहा।

Page No. 61

श्री रामानन्द अग्रवाल : That is sensible. Why don't you accept it ? यह (आई) वाला अच्छा है।

श्री परसराम मदेरणा : (आई) में जो माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, वह संशोधन मैं समझता हूँ अननेसेसरी है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है वह इस प्रकार है :

"Add the following explanation to sub-clause (g)

"Explanation:- The buildings used for the purposes of schools, colleges or universities include a boarding house or hostel for students."

प्रश्न यह है कि संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ८

[संशोधन इस प्रकार है :—

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : In sub-clause (3) after the words "shall givein the second line insest the words "notice to each assessee in the prescribed manner and a."

श्री मोहनराज (बाली) : Replacc the clause by the following:—

"(1) In order to enable the assessing authority to prepare or cause to be prepared a provisional assessment list of all urban lands liable to pay the tax and to determine the taxable value of such lands, every owner of all Urban Lands liable to pay tax, shall within sixty days of the coming into force of this Act furnishing in a prescribed form a declaration regarding the land or Lands owned by him along with the market value of each such plot or piece of land.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the assessing authority shall have power to issue a notice requiring any land owner to furnish to him in the prescribed manner the particulars of the land or lands owned by him along with

Page No. 62

(श्री मोहनराज)

its market value, within such period as may be specified in the notice (not more than Thirty-days).

(3) On receipt of the declarations under sub-sections [1] and [2], the assessing authority shall prepare or cause to be prepared in such manner and containing such particulars as may be prescribed a provisional list of all Urban lands liable to pay the tax, and in preparing the list, check and determine the taxable value of, and the amount of the tax to be assessed on, and the same shall be shown in the list."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ में मेरा संशोधन है :

"In sub-clause (3) after the words "shall give" in the second line insert the words "notice to each assessee in the prescribed manner and a"

अध्यक्ष महोदय, जो प्रावधान इस बिल में रखा गया है उसमें असेसमेंट का जो प्रोवीज़नल असेसमेंट किया जायगा उसका पब्लिक नोटिसदेने का प्रावधान किया गया है। इन्डीविजुअल जो भी असेसी होंगे उनको इस प्रकार का कोई नोटिस देने का प्रावधान इस बिल में नहीं है। मैंने अपने इस अमेन्डमेन्ट के जरिये यह व्यवस्था कराना चाहा है कि जो इन्डीविजुअल असेसी हों उनको भी असेसमेंट का नोटिस मिले। आम तौर पर जो और भी टैक्सेशन के प्रावधान हैं, इन्कम टैक्स है, उसमें भी इस प्रकार का प्रावधान है और यह ज्यादा अच्छा भी होता है। यों तो कानून में यह व्यवस्था है कि everybody should know the law. Ignorance of law is no excuse. लेकिन हमें अपनी जनता को जानते हुए और विशेष तौर पर जहां तक जमीन का सवाल है, जमीन ऐसे लोगों के पास भी होती है, जो साधारण लोग होते हैं, वे खुद जाकर इस तरह के नोटिस, पब्लिक नोटिस वगैरह को देख लें; यह उनके लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए केवल उनके इस डिफॉल्ट की वजह से कि क्यों नहीं उन्होंने पब्लिक नोटिस देखा और क्यों नहीं दिया ऑब्जेक्शन, इस वजह से वे पीनेलाइज़ हों तो यह उचित नहीं है। इसलिए यह जो साधारण न्याय की बात है कि असेसी को नोटिस मिलना चाहिए, यह मैंने इस अमेंडमेंट के जरिये व्यवस्था की है। मैं समझता हूँ कि माननीय उप-मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ८ में मेरा यह मेरा संशोधन है :

Replace the clause by the following:–

"8. Preparation of the provisional assessment list.

(1) In order to enable the assessing authority to prepare or cause to be prepared a provisional assessment list of all urban lands liable to pay the tax and to determine the taxable value of such lands, every owner of all urban lands liable to pay tax..." etc. etc.

उसके आगे क्लॉज़ (२) और (३) है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि

(श्री मोहनराज)

अभी क्लॉज़ ८ में प्रोवीज़न रखा गया है, असेसिंग आँथोरिटी, तमाम जो लैंड होल्डर्स हैं, उनको नोटिस देगी और सारी जो हालत है वह असेस करेगी। मैं समझता हूँ, जो लैंड होल्डर्स हैं और उनकी जो अर्बन प्रोपर्टी है, वे क्लॉज़ के अनुसार दो महीने के भीतर भीतर, इस कानून के लागू होने के बाद दो महीने के भीतर यह डिक्लेरेशन दें, जिस तरह सीलिंग रूल्स बनाये हैं, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, उसके अन्दर प्रोवाइड किया है कि वह लैंड होल्डर्स को खुद डिक्लेरेशन देना पड़ेगा in a prescribed period ; इस कानून के अन्दर प्रोवीज़न होना चाहिये, इससे दो बड़े लाभ होंगे। उस पीरियड में जिस जिस के पास इस तरह की टैक्स एबल प्रोपर्टी है वे प्रोपर फोर्म में लाकर स्वयं अपनी जमीन की कीमत यानि कितनी उस जमीन की मार्केट वेल्यू है जैसा वे समझते हैं वह उस डिक्लेरेशन फोर्म में भर कर दे देंगे। यह उसके संतोष के लिये भी अच्छी बात होगी और एसेसमेंट आँथोरेटी के लिए भी ठीक होगा, उसको मार्केट वेल्यू के लिए कन्फेस करने के लिए दिक्कत होगी उस उसमें ज्यादा फंसना नहीं पड़ेगा। यदि इसको हम खुद रखेंगे तो जब वह व्यक्ति खुद अपना डिक्लेरेशन फोर्म भरेगा तो गवर्नमेंट के पास सारी की सारी इन्फोर्मेशन आ जावेगी और जो सरकार को बड़ी मशीनरी इन सारी बातों की जानकारी इकट्ठी करने के लिये लगान की जरूरत होगी वह नहीं रहेगी और सूचना सरकार के पास अपने आप आ जावेगी। क्योंकि बहुत सी जगह पर प्लॉट नम्बर नहीं है और शो नहीं किये हुए हैं उन सब को फाइन्ड आउट करने में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। यदि प्रोपर्टी होल्डर्स पर ही यह छोड़ा जावे कि वे अपनी टैक्सेबल प्रोपर्टी का डिक्लेरेशन भर दें तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के लिए और एसेसिंग आँथोरिटी दोनों के लिये सुविधाजनक होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तावित क्लॉज़ ८ का विरोध करता हूँ और मेरा सुझाव है कि इस कानून में इस प्रकार के क्लॉजेज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार भी जहां तक अर्बन लैन्ड पर जिस तरह से टैक्स लगाने की व्यवस्था है इस व्यवस्था के कुछ मतभेद के बाद स्वीकार भी कर ली जाए तो भी जिस प्रकार से इन टैक्सों को वसूल करने की व्यवस्था की जा रही है वह व्यवस्था एक डुप्लीकेट और बहुत ही कॉम्पलीकेटेड व्यवस्था होगी। डुप्लीकेट इस सेन्स में कि हमने राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत राजस्थान की नगरपालिका को हाउस टैक्स लगाने का अधिकार देते हैं। हाउस टैक्स लगानेवाली आँथोरिटी जिसको नगरपालिका एसेसमेंट आँथोरिटी कहते हैं उसको बिल्डिंग का एसेसमेंट करे, एक तरफ उनके लिए जिस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में की गई है उस व्यवस्था में कुछ हेर-फेर करके बिल्डिंग का एसेसमेंट करना पड़ेगा। राजस्थान के अधिकतर नगरपालिकाओं में हाउस टैक्स लगा हुआ है, हाउस टैक्स का एसेसमेंट भी होगा और इसके पास इस प्रकार का भी सोचना होगा कि किन किन व्यक्तियों के पास ऐसे बिल्डिंग और साइट्स हैं जिनके लिये आगे चल कर किसी भी कन्स्ट्रक्शन में इन्क्रीज किया जा सकता है। हमने अरबन लैन्ड पर टैक्स लगाने की व्यवस्था की है, वैसे तो इस प्रकार की टैक्स पर सरकार का कोई भी

(श्री भैरोंसिंह)

अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार से चेष्टा की है कि नगरपालिका की फाइनेन्स पर एन्क्रोच किया जावे और नगरपालिका की हालत को खराब किया जावे, नगरपालिका की आमदनी कन्सोलिडेटेड फन्ड में जमा कराई जावे। यह एक अलग से प्रश्न है, जिस समय इस प्रश्न पर विचार होगा, मैं उस समय अपने विचार अलग से प्रस्तुत करूंगा। लेकिन सरकार के सामने इसमें कौनसी डिफिक्लटीज़ है कि हम सारा एसेसमेंट का काम नगरपालिका की एसेसिंग ऑथोरिटी से करवावे जो हमेशा करती आ रही है। जिसका नगरपालिका खर्च बर्दास्त करती है और नगरपालिका के अधिकारी जो वर्षों से इस प्रकार का एसेसमेंट का काम करते आ रहे हैं, वे जानते हैं कि किस प्रकार से एसेसमेंट किया जावे, किस प्रकार से नोटिस दिये जावें और किस प्रकार से ऑब्जेक्शन इनवाइट किये जाते हैं और किस प्रकार से डिस्प्यूट होते हैं, इसमें वे माहर है और इसके साथ साथ हाउस टैक्स लोगों से किस प्रकार से लिया जावे या ऑब्जेक्शन किया गया है उसको भी एक नियम के अनुसार जांचने का उसका मानस बना हुआ है, उधर सरकारी ऑफिसर्स एक्सपीरियेन्सड हैं और जानकारी देने और ऑब्जेक्शन पेश करे उसके बारे में जनता का मानस बना हुआ है और आज अच्छा काम काम कर रहे हैं उनको आप दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसलिये इस धारा का adverse effect होगा।

१०. ४७ म० पू०

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक तो आपको उन लोगों का जिनको इतने अर्से तक काम करते हुए हो गये हैं, उनके अनुभवों का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी और एसेसिंग ऑथेरिटी निर्माण करना चाहते हैं जिसका मतलब यह होगा कि गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर और ज्यादा बर्डन बढ़ेगा और पब्लिक के सामने भी कई प्रकार की डिफिकल्टीज़ आवेंगी। यदि कोई मकान बनावेगा तो उसका एसेसमेंट हाउस पर्पज के लिये म्युनिसिपेलिटी करेगी और बाकी यह एसेसिंग ऑथोरिटी। तो एक मकान मालिक से हम टैक्स लेंगे। अब यह टैक्स लिया जावे या नहीं यह दूसरा प्रश्न है। सरकार ने यह किया है कि जो लोग टैक्स देते है उनसे टैक्स तो लिया ही जाए मगर उनको और परेशान भी किया जावे और उनको टैक्स किया जावे। अगर सरकार इस प्रकार की मंशा रखती है तो हमें इस प्रकार की कोई कमेटी की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो मान कर चलते हैं कि टैक्स कॉम्पलीकेटेड करना होगा उतना ही टैक्स और एसेसमेंट के पर्व्यू में जो टैक्स लगाने के लिये व्यवस्था करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी प्रोसीजर हैं, क्लॉजेज़ के उनके द्वारा जो नगरपालिका में हाउस टैक्स एसेसमेंट के बारे में एसेसमेंट ऑथोरिटी के बारे मे, ऑब्जेक्शन और अपील के बारे में, जो सारी व्यवस्था की हैं उसको हम नगरपालिका के अधिकार में दें। नगरपालिका का काम करेगी इस प्रकार से डुप्लीकेट काम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक तरफ एसेसमेंट नगरपालिका करेगी और एक तरफ सरकार करेगी। आप कहते हैं कि इसमें कोई कॉम्पलीकेशन नहीं आते मगर मैं यह कहूँगा कि आगे चल कर कई प्रकार की कॉम्पलीशन्स

(श्री भैरोंसिंह)

आवेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का एडिशन एन्ड आल्ट्रेशन करे तो उसके लिये उसको एसेसिंग ऑथोरिटी को इत्तला देनी होगी। अगर उसको एक तरफ मकान बनाना है और काम शुरू करना है तो वह नगरपालिका में अपना नक्शा पेश करेगा। नक्शा एप्रूव होगा और उसको पर्मिशन होगी और मकान पूरा हुआ तो उसको एसेसमेंट ऑथोरिटी को इत्तला देनी होगी। इसका दफ्तर अलग होगा, कहां होगा। क्या प्रोसेस है, उसमें से निकलने का तरीका नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो अर्बन एरीयाज़ में रहते हैं उसमें टैक्स लेने वालों को सरकार ज्यादा से ज्यादा किस तरह परेशान कर सकती है, उसका प्रावधान हमने इसमें दिया है। इसलिये नगरपालिका अधिनियम में हाउस टैक्स का एसेसमेंट हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सरकार को यह अधिकार नगरपालिका को देना चाहिये। आप यह कह कर नहीं चल सकते कि हम उन पर विश्वास नहीं करते। अगर सरकार यह चाहे कि नगरपालिका को इसके लिये कुछ रिटर्न देना पड़े वह सरकार देगी, मगर यह खर्चा जो होगा वह ज्यादा होगा और म्युनिसिपलिटी एडिशनल खर्च अपने पर लेना पसन्द नहीं करेगी। इसलिये हम कुछ खर्चा देने की व्यवस्था करें और दयानतदारी से काम कर सकें। इतना खर्चा जो आप लगायेंगे तो इतना खर्चा होगा जिसके द्वारा आपको आमदनी होने वाली है?

माननीय मन्त्री महोदय से मैं कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी के एक्स्पेंशन का यही तरीका है। इसी प्रकार के हालात में ब्यूरोक्रेसी एक्सपेन्ड करती है, जब भी उसे कोई मौका मिलता है। तो उस मौके का फायदा उठाये बगैर वह नहीं रहती है। आज नये नये टैक्स लगाने को सरकार तैयार रहती है, पर उस पर होने वाले एक्स्पेन्डीचर का वह कतई ख्याल नहीं रखती। क्या आप कह सकते हैं कि आप जो यह नया तरीका काम में लाने जा रहे हैं, नई व्यवस्था करने जा रहे हैं इसमें आपको एक नई मशीनरी नये रूप में इवोल्व नहीं करनी पड़ेगी, एसेसिंग ऑथोरिटी, एसेसिंग मशीनरी नये ढंग से आपको इवोल्व नहीं करनी पड़ेगी, नये तरीके से एक्स्पेन्डीचर नहीं करना पड़ेगा? आप कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट से आदमी इसमें ट्रान्सफर हो जायेंगे पर कई एसेसिंग ऑफिसर्स, जूनियर एसेसिंग ऑफिसर्स नियुक्त किये जायेंगे, अपीलेंट ऑथोरिटी की, अपीलेंट कोर्ट की नियुक्ति की जायगी और उन सबका असर टैक्सपेइंग पब्लिक पर पड़ेगा। १० लाख रुपया इस टैक्स से आप रियेलाइज़ कर सकेंगे और १० लाख रुपया ही इस टैक्स के रियलाइजेशन पर खर्च हो जायगा जितना आप टैक्स से वसूल करेंगे उतना ही आप इसकी वसूली करने में खर्च कर देंगे, इसमें कहीं भी जनहित छुपा नहीं है। टैक्स लेने के बाद उस टैक्स के पैसे की सेविंग हो और उस पैसे का जनहित में उपयोग हो, सरकार इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर चले तो टैक्स उपयोगी हो सकता है, उससे जनहित हो सकता है, पर आपने ५० रुपया टैक्स लगाया और ५० रुपया ही उसको वसूल करने में लगा दिया इस प्रकार के टैक्स से न आज तक सरकार को कोई फायदा हुआ है और न भविष्य में ही इससे कोई फायदा हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं को ही आप इस प्रकार का अधिकार दे देते, नगरपालिकाएं ही एसेसमेंट करतीं, और

(श्री भैरोंसिंह)

जितना इस टैक्स से नगरपालिकाएं वसूल करतीं उसका कुछ पोर्शन स्टेट के कन्सोलिडेटेड फण्ड के लिये रख सकते थे, पर ऐसा नहीं कर के सरकार ने गरीब नगरपालिकाओं पर एन्क्रोचमेंट किया है। इस प्रकार के टैक्स से जितना कमाया जाय उतना ही उसकी वसूली में खर्च कर दिया जाय, इसमें न जनहित है और न सरकार को ही इससे कोई फायदा है।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यह सारा प्रोसीजर इस कानून के द्वारा प्रोपोज किया है उसे हटा दिया जाय और नगरपालिकाओं को कह दिया जाय कि नगरपालिकाएं इस प्रकार का टैक्स लगायें, टैक्स वसूल करें और यदि नगरपालिका इस प्रकार का टैक्स लगाना उचित नहीं समझती तो यह कह दिया जाय सरकार की तरफ से कि लाजमी तौर पर यह टैक्स नगरपालिका लगाये। किस पर यह टैक्स लगाया जाय, किस पर नहीं लगाया जाय, इस सम्बन्ध में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि इस एन्क्रोचमेंट से, इस कॉम्प्लीकेटेड लॉ से जनता को बचाने की आवश्यकता है ताकि जितना टैक्स हम लगायें वह स्टेट के कन्सोलिडेटेड फंड में जमा हो और वह पैसा जनहित में खर्च किया जाय। जिस प्रकार के प्रोसीजर को इस बिल के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है उससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे प्रोसीजर को हटा कर जो हाउस टैक्स लगाने का प्रावधान है उसमें ही मामूली सा प्रावधान करके उस कानून में इन्कोर्पोरेट कर देना चाहिये ताकि इस कानून की कॉम्प्लीकेसी, डुप्लीकेसी अपने आप ही समाप्त हो जाय।

(कुछ क्षण विराम)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : माननीय उपाध्यक्ष, कोई नहीं बोलने वाला है तो मैं बोल लूं।

(उप-मंत्री महोदय उत्तर देने खड़े हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में ही कुछ इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। इसके लिये मशीनरी, नक्शे जहा से पास होते हैं, जहां बनाने की परमिशन दी जाती है, सारा का सारा सर्वे है वह सब म्युनिसिपेलिटीज़ से ही कन्सर्न्ड है और म्युनिसिपेलिटीज़ में ही यह सारा रेकार्ड रहता है। इस सम्बन्ध में किसी को भी कुछ जानना होता है तो उसे म्युनिसिपेलिटीज़ में ही जाना पड़ता है। दूसरे और कॉम्प्लीकेशन्स का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिये। बहुतों के पुराने मकान बने हुए हैं, हाउस टैक्स लगाया जा रहा है, यह हाउस टैक्स लिया जाना और नक्शे बनाना दोनों एक ही हैं, जिनके पुराने मकान बने हुए हैं और उनके पास नक्शे नहीं हैं तो उन लोगों को इस तरह से हैरान किया जायगा हरेस, किया जायगा कि तुमने यह यह चेन्ज कर ली, यह काम बिना मंजूरी के, बिना नक्शा पास कराये करा लिया, इस तरह कई प्रकार से लोगों को हरेस किया जायगा। जो एक्चुअल रेकार्ड इस सम्बन्ध का है वह सब म्युनिसिपेलिटीज के पास है, म्युनिसिपेलिटीज के सिवा उस सारे रेकार्ड को और कोई रख नहीं सकता। पहले डयूअल गवर्नमेंट की बात तो आई है पर यह तो तीसरी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। शहर का बंटवारा हो रहा है, शहरों के लोग ही तो बंटवारा कर रहे हैं, आज शहर बढ़ रहे हैं इस वजह से म्युनिसिपेलिटीज़ की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो म्युनिसिपेलिटीज़ की उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिये यह परम आवश्यक है कि म्युनिसिपेलिटीज़ के पास आमदनी के सोर्सेज़ होने चाहिये। पर आप आज नगर विकास मंडल को उसके ऊपर थोप रहे हैं जिसके पास कि कोई नक्शे नहीं है, सारे शहर के बंटवारे को इस तरह से आप रोकना चाहते हैं। इस तरह से तीसरी तरह की गवर्नमेंट का कायम करना ठीक नहीं होगा। टैक्स और लगें, ज्यादा लगें पर इसमें डिस्क्रिशन नहीं होगा चाहिये, सिलेब्स अच्छी तरह स्पष्ट और निश्चित होने चाहिये। जब जब इन्होंने जहां जहां डिस्क्रिशन को यूज़ किया है वहां वहां इनकी शक्ल साफ हमारे सामने आईने में है। इसलिये मैं कहूंगा कि इन तीनों का काम एक हो जिसे हाउस टैक्स कहा जाता है वह हाउस टैक्स नहीं है, सरकार एक्सप्लेनेशन दे, यह हाउस टैक्स नहीं प्रोपर्टी टैक्स है। किस केटेगरी में लगे यह मुझे नहीं मालूम पर प्रोपर्टी टैक्स का मतलब है कि किसी की जमीन पड़ी हुई है तब भी हम टैक्स वसूल करते हैं, तो यह हाउस टैक्स नहीं, लकड़ी का खोखा कहीं लगा रखा है तो प्रोपर्टी मान कर उसका टैक्स लेते हैं, हाउस टैक्स की बात गलत है। एसेसिंग ऑथोरिटी उस कानून के मातहत एस्टेब्लिश्ड है, उससे सारे शहर वाले वाकिफ हैं, यही एसेसिंग ऑथोरिटी रहनी चाहिये। पर यहां तो उल्टे बांस बरेली को चलते हैं, शहर में सड़कें म्युनिसिपेलिटीज़ बनायें और रोड टैक्स आप ले लेते हैं, बसें मोटरें ट्रक चलते हैं उनका टैक्स आप ले लेते है, एन्टरटेनमेंट टैक्स आप ले लेते हैं, प्रोपर्टी टैक्स भी आप अपने पास ले लेना चाहते हैं तो फिर म्युनिपिसिलटीज़ के पास क्या बचा ? रूरल एरिया को आज जिस प्रकार के अधिकार दे रहे हैं, स्कूल्स उनके अन्डर में हैं, पर शहरों को आप कुछ भी अधिकार नहीं देना चाहते, नगरपालिकाओं के लिये आप चाहते हैं कि चुंगी वगैरह एक्स्ट्रा टैक्स से अपना काम चलायें। तो इस तरह से तो कैसे इनकी आमदनी बढ़े और कैसे शहरों को ऊंचा उठायें, शहरों का विकास करें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप ८ आना फी मैन देते हैं वह भले ही आप बन्द कर दीजिये पर इस टैक्स को डाइरेक्ट ट्रान्स्फर कर दीजिये म्युनिसिपेलिटीज़ को, व्हिकल टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स, एन्टरटेनमेंट टैक्स, सब इनको ट्रान्स्फर कर दीजिये। तीनों ऑथोरिटीज़ एक होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर गौर करेगी।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ८ के सब-क्लॉज़ (३) पर यह संशोधन रखा है; लाइन दो के वर्डस् : "shall give" and "public notice" के बीच में "notice to each assessee in the prescribed manner and a" जोड़े जायं। मैं उनके इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

(११.०० म० पू०)

इसका मतलब यह होगा कि प्रोवीजनल

(श्री परसराम मदेरणा)

लिस्ट के तैयार होते ही हर इन्डीविजुअल को नोटिस देना पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : देना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : और उसको नोटिस देने से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास unnecessary heavy work हो जायगा और उसके एडीशनल फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स होंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह कभी नहीं हो सकता। नोटिस निकालने से पहले इन्डीविजुअल को नोटिस देना चाहिए। टैक्स लगाने का तरीका तो यही है।

श्री परसराम मदेरणा : इस तरह का प्रावधान यू० पी० के एक्ट में भी है और वह जो इन्डीविजुअल नोटिस है वह लिस्ट के फाइनलाइज़ होने के बाद में it may be given. इसलिए मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

दूसरा संशोधन पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि क्लॉज २ का सब्स्टीट्यूट करना चाहिए और उनका मतलब यह है कि इन्डीविजुअल को अपने रिटर्न्स फर्निश करने चाहिए एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में और उन्हें डिक्लेयर करना चाहिए कि उसकी जमीन की मार्केट वेल्यू क्या होगी। अगर असेसी खुद अपने रिटर्न्स पेश करे तो तैयार की हुई लिस्ट प्रोवीज़नल कैसे मानी जायगी ? दूसरी शंका उन्होंने जाहिर की कि इसमें करप्शन के चांसज़ हैं वे कब हो सकते हैं, वे इसलिए कब हो सकते हैं कि कोई भी आदमी अपना डिक्लेरेशन देकर कमिटमेंट करता है तो असेसिंग ऑथोरिटी उनके नीचे का असेस नहीं कर सकता। लेकिन मैं निवेदन करूं कि इस प्रकार की असेसिंग ऑथोरिटी के ऊपर भरोसा सभी प्रकार के टैक्स स्टैचूट्स में है। इस तरह का डिक्लेरेशन देने के अन्दर जो समय लगेगा तो प्रोवीज़नल लिस्ट भी तैयार नहीं कर पाएंगे। एक इन्डविजुअल को नोटिस देंगे, नोटिस की सर्विस का प्रश्न आ जायगा और जब बहुत ज्यादा तादाद में एसेसीज़ होंगे तो सर्विस हुई है या नहीं, उस बात की भी प्ली ले सकते हैं और मैं समझता हूं कि कोई भी एसेसी जमीन का जो मालिक है, अपनी लैंड की मार्केट वेल्यू किसी भी प्रकार से सही नहीं बताएगा क्योंकि वह ह्यूमन टेन्डन्सी है। इसलिए मैं माननीय सदस्य के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने........

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ये क्लॉज़ ८ और ९ दोनों का कन्सीडरेशन एक साथ ही किया जाय क्योंकि दोनों ही कनेक्टेड हैं और यदि अकेली ही डिस्पोज़ कर दिया जाय तो फिर ९ का महत्व नहीं रहेगा, इसलिए दोनों क्लॉजेज़ को एक साथ कन्सीडर किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : यह क्लॉज काफी लम्बे अर्से से कन्सीडरेशन में चल रहा है, चेप्टर ३ के क्लॉजेज़ चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक एक लिया जाना ठीक रहेगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस टैक्स के रियलाइजेशन के लिए एक दूसरी मशीनरी खड़ी की जायगी और उस मशीनरी को खड़ा होने में फाइनन्शियल इम्प्लीकेशन्स ज्यादा होंगे इसलिए लोकल ऑथोरिटी

Page No. 69

(श्री परसराम मदेरणा)

म्युन्सिपेलिटी या ट्रस्ट वगैरह हैं उनके मारफत इस टैक्स को क्यों न वसूल करायें । उन्होंने यह भी कहा कि इस टैक्स का शेयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया जाना चाहिए । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि क्लॉज़ १५ के अन्दर इस बात का उल्लेख है कि :

"or such other authority including local authority as may be appointed by the State Government in this behalf."

इसलिए क्लॉज़ १५.........

श्री भैरोंसिंह : इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। जब यह आपने रखा है तो अलग से प्रोसीजर क्यों रखा है ? म्यूनिसिपल एक्ट में जो प्रोसीजर है वह ले-डाउन किया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : रियलाज़ेइशन का काम तो उनके हाथ में दे रहे हैं लेकिन बाकी मार्केट रेट्स हम फिक्स करेंगे, लिस्ट तैयार करने का मामला है यह सब हम दूसरी रेवेन्यू एजेंसी के थ्रू और हमारे दूसरे एसेसिंग ऑथोरिटी के थ्रू इसलिए रखना चाहते हैं कि..........

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि रेट्स रेवेन्यू ऐजेन्सी फिक्स करेगी.... ...

श्री परसराम मदेरणा : रेट्स तो गवर्नमेन्ट फिक्स करेगी, लेकिन प्रोवीज़नल लिस्ट तैयार करना, हियरिंग और जुडीशियल प्रोसीडिंग्ज़ जो होंगे उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हो सकती है और उसके बाद में गवर्नमेन्ट के पास रिव्यू का भी प्रोवीज़न रखा है । इसलिए एसेसमेन्ट का जहां तक सवाल है हम चाहते हैं यह एक अलग मशीनरी होनी चाहिए और रियलाइज़ेशन का जहां तक प्रश्न है वह क्लॉज़ १५ के सबक्लॉज (४) में जो लोकल ऑथोरिटी है वह टैक्स को रियलाइज करेगी तो उनको ५ परसेंट उस कलेक्टेड टैक्स का हिस्सा, रियलाइजेशन के लिए दिया जायगा, इस बात का प्रावधान इस में है । तो मैं समझता हूँ कि जब हम टैक्स रियलाइजेशन के लिए मेग्ज़ीमम ५ परसेंट टैक्स का हिस्सा देने का प्रावधान रख देते हैं तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट को इसमें इग्नोर किया गया है । लेकिन एक बात और निवेदन करूं कि एसेसमेन्ट पॉवर्स इसमें लोकल ऑथॉरिटी के हाथ में इसलिए नहीं दी है कि हमारा यह एक्सपीरियंस रहा है कि इस सदन ने जो ऑब्लीगेटरी टैक्सेज़ लगाए हैं उनको इम्पोज़ और लागू करने के अन्दर म्यूनिसिपेलिटीज़ नाकामयाब रही हैं । यह टैक्स का मामला है और टैक्स के मामले के अन्दर हम उपयुक्त समझते हैं कि करने वाली ऑथॉरिटी अलग से हो । वह सबको ऑपोर्चुनिटी देकर फाइनल लिस्ट तैयार करने बाद टैक्स रियलाइजेशन का काम शुरू करे । इसलिए अलवर से आने वाले और पाली से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो संशोधन क्लॉज़ ८ पर रखे हैं, उनको मानने में मैं असमर्थ हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to withdraw ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I press my amendment. I have to speak. I want to speak.

श्री उपाध्यक्ष : No please. प्रश्न यह

Page No. 70

(श्री उपाध्यक्ष)

है कि जो संशोधन क्लॉज ८ पर माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

जो पक्ष में हों, 'हां' कहें (हां की ध्वनि)

और जो विपक्ष में हों 'ना' कहें (नां की ध्वनि)।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We want division.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप अकेले हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is a very important question. You don't want to give even a notice to the assessee.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : हम तो डिवीज़न चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Should I put the motion again ?

अनेक माननीय सदस्य : Yes.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन माननीय श्री रामानन्द ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय। जो पक्ष में हों वे 'हां' कहें

और जो विपक्ष में हों 'नां' कहें।

(नां की ध्वनि)

(हां की ध्वनि)

श्री रामानन्द अग्रवाल : We challenge. 'Ayes' have it.

सरकारी पक्ष की ओर से कुछ माननीय सदस्य : 'Noes' have it.

(विभाजन घण्टी के पश्चात् पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से प्रश्न रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ८ पर माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना संशोधन विदड्रॉ करने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की यह आज्ञा है कि उनको संशोधन विदड्रॉ करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनराज : मैं अपना संशोधन विदड्रॉ करता हूँ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order, Sir, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नोज़ की आवाज थी वह वजनदार थी और एज़ की कोई आवाज नहीं थी, इसलिए माननीय सदस्य को इसको विदड्रॉ करने की इजाजत प्रदान नहीं की जा सकी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माइक से बोले थे।

Page No. 71

श्री उपाध्यक्ष : विद्ड्रॉ करने के पहले ही पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठना चाहिये था।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ९, श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : [संशोधन इस प्रकार है :—

After the words 'aggrieved by' Insert the words 'a notice received by im under sub-section (3) of Section ४ or by."]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ९ में मेरा अमेन्डमेन्ट है वह दरअसल क्लॉज ८ से सम्बन्धित है। इन्डिविजुअल आदमी को नोटिस मिलना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कांग्रेस के मेम्बर्स डिस्टर्ब कर रहे है। मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर एक एक साथ उठ तर जाते हैं। किसी रह से हाउस का डेकोरम मेन्टेन किया जाययह भी वे नहीं समझते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन पर क्लॉज लगायी जाय।

क्लॉज ९ में संशोधन है वह यह है कि एग्रीव्ड आदमी संशोधन फाइल करे, प्रोविज़नल लिस्ट है, उसमें उसका नाम आ गया हो, उससे कोई उसको एतराज हो और नोटिस मिले तो उसका कोई एतराज़ हो तो दोनों तरह के आदमियों को ओब्जेक्शन फाइल करने का अधिकार हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सामान्य न्याय के जो नियम हैं जिसमें इस बात को माना गया है कि proper notice individual को मिलना चाहिये और उसको अपना केस रखने का रीज़नेबल अवसर मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि जिस तरह की धारा सरकार इस बिल में रख रही है बावजूद इस बात के कि हम इस के बिल प्रिन्सिपल्स के पक्ष में हैं लेकिन जिस तरह का रुख सरकार अपना रही है, कुछ बातों में अपने हाथों में पॉवर रख कर, जितनी टैक्स की मेग्ज़िमम लिमिट हो वह भी जोड़ दी हो, लेकिन सरकार हाथ में पॉवर रखेगी तो वह उसको लगायेगी या नहीं लगायेगी इसलिए मुझे इससे खतरा मालूम होता है, मुझे इसमें संदेह मालूम होता है, सरकार जानबूझ कर इस कानून में खामी रखना चाहती है जिससे यह लिटिगेशन का आधार बने और एक्चुअली टैक्स नहीं करना चाहती, लोगों को फिर यह राह दे दी है कि हाईकोर्ट में जाओ इसमें हमने यह कमी रख दी है, आप इसको वहां ले जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, वह हाई-कोर्ट में जावेंगे और टैक्स से बच जावेंगे। बावजूद इस बात के कि इस प्रकार की unearned income सरकार के पहले से ही नोटिस में थी, सदन में बार बार इस किस्म की जमीनों पर अनअर्न्ड इन्कम पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया, सरकार ने इसको बार-बार इनकार किया, अभी भी जो बिल सरकार ला रही है और उसमें जिस

Page No. 72

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से जो कमियां छोड़ रही हैं उससे सरकार की नीयत पर सीधा सादा शक नजर आता है कि सिंसियरली सरकार उस नीयत से इसको इम्प्लीमेन्ट नहीं करना चाहता है। जिस वर्ग के कोल्युजन में यह सरकार चलती है, जिनसे बार बार समझौते करती है वे कभी थोड़े बहुत ग्रेंट दिखा देते हैं, उनको रियायतें दे देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का इस सदन को बार बार अनुभव है। मैं उल्लेख करूं इस सम्बन्ध में जब एस्टेट एबोलिशन और रिजम्पशन बिल इस सदन में पास किया गया और उसमें जो एक धारा थी कि सन् १९५२ से राजाओं से उस जमीन पर लगान लिया जायगा जो राजाओं के कब्जे में थी। जहां आम किसान से लगान अभी तक लिया जा रहा है राजाओं से नहीं लिया गया है, उसके मुताबिक राजाओं से भी लिया जाय तो इस सरकार ने कहा समझौता नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। राजाओं की ओर से दबाव डाला गया। यहीं दबाव नहीं डाला गया, दिल्ली तक दबाब डाला गया, बिल को पोस्टपोन किया, पर्दे के पीछे समझौते किये और आखिर में दस वर्ष तक के लिए राजाओं से लगान वसूल नहीं करके १९६२ में उसको लागू किया।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा सु.) : किस प्रकार राजाओं ने दबाव डाला ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजाओं ने किस तरह का दबाव डाला ? उपाध्यक्षजी, राजा लोग दबाव ओपनली और सीक्रेटली डाल रहे हैं। पोलिटिकल तरीके के दबाब आज राजा लोग खुले तौर पर डालते हैं। राजाओं का दबाब आज से ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जब से इस देश में transfer of power की चर्चायें चलीं, trnasfer of power एक्चुअली हो रहे थे। मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, उस समय राजाओं ने पोलिटिकल दबाव डाल कर अधिक से अधिक प्रिविलेजेज हासिल किये, अधिक से अधिक सुविधायें हासिल की, प्रिविपर्सेज हासिल किये, जनता के हकों के खिलाफ इस सरकार ने एग्रीमेन्ट किये, जिनकी चर्चा इस सदन में बार बार हो चुकी है। उसके बावजूद बार बार राजाओं को ओर से चुनाव लड़ने, इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने और कांग्रेस को हराने की ग्रेंट बार बार दी जाती है। यह सरकार बजाय इसके कि उनको पोलिटिकल ग्रेंट का पोलिटिकल तरीके से मुकाबला करे इसने उनको गलत तरीके से रियायतें दीं, सुविधायें दीं, प्रिविपर्सेज दिये, प्रिविलेजेज दिये, सामान्य नागरिक से कानून में उनको ऊपर रखा, उन तमाम प्रिविलेजज को यह सरकार खत्म कर दे, उनको आर्थिक स्तर जबरदस्ती ऊंचा दिया हुआ है, जो private property के रूप में अनुचित चीजें दे रखी हैं उनको लेकर, उनको खुला छोड़ दें, फिर वे चुनाव लड़ें जनता के सामने रेडिकल प्रोग्राम के बेसिस पर चुनाव लडें तो कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। यह सरकार उन चीजों को करने के लिए तैयार नहीं है। प्राइवेट तरीके से यह सरकार महाराजा कोटा को बीच में डालेगी आप किसी तरीके से उनको बिठा कर सोचिये। महाराजा बीकानेर के पास पहुंचेंगे कि हम आपके खिलाफ केन्डीडेट खड़ा करेंगे। आप हमारे खिलाफ केन्डीडेट खड़ा मत करना। और जोधपुर की दादीजी के पास पहुंचते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point order, Sir, these

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

are uncalled for references and not relevent to the issue. He must prove this.

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे सच्चाइयां हैं जिनके कारण....

श्री निरंजननाथ आचार्य : These are not relevant.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन कटु सत्यों का आप अपने जवाब में उत्तर दे देना।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : He is not speaking on a general debate and I would request you to ask him to come to the relevant clause.

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is true.

श्री बालकृष्ण कौल : This is not relevant.

श्री उपाध्यक्ष: Well that's all right. You continue and come to the point

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात की जानकारी चाही थी कि किस तरीके का राजा लोगों का दवाव था। मैं समझता हूं इस सरकार की ओर से कटु सत्य जब सामने आते हैं उस समय चिढने लग जाती है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : सत्य है कहां ? We can challenge it. It is based on surmises.

श्री उपाध्यक्ष : I think, the Hon. member will please confine to the amendment.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस अमेन्डमेन्ट के ऊपर सरकार जो इतनी एडेमेन्ड हैं उसको देखकर आश्चर्य होता है। एग्रीकल्चर लैन्ड पर सिलिंग कायम किया गया उसके बारे में हमारा अनुभव है और कटु अनुभव है। इस तरह के लूप-होल्स रूल्स में छोड़कर ऐसा मौका दिया इसी तरह से नेशनलाइजेशन ऑफ ट्रान्सपोर्ट के बारे में भी हमारा यही अनुभव है। इस प्रकार के लूप-होल्स छोडकर हाईकोर्ट को मौका दिया इन्टर्वीन करने का। इसी से, उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य कानून में जो प्रावधान होना चाहिये जिस आदमी के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं उस आदमी को इन्फॉर्म करें। आप उसको नोटिस दें ताकि वह ऑब्जेक्शन फाइल कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री महोदय ने यह बताया था कि इस प्रकार करने से समय बहुत लग जायगा और काफी टाइम इसी में लग जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह इस किस्म का टैक्स नहीं है जिसमें थोड़ा सा समय गुजर जाने के बाद इस टैक्स से बरी हो जायेंगे। ऑक्ट्रॉय और सेल्स टैक्स ऐसा टैक्स हो सकता है जिसमें चीज बाहर निकल जाने के बाद क्या वसूल करें। इसमें समय लग जाने से यह तो नहीं होगा, वह टैक्स बिल्कुल हट जायगा, वैसा तो हो नहीं सकता। मैं समझता हूं, १५ दिन का नोटिस अगर दे दिया जाय हरेक एसेसी को तो एक शहर के अन्दर आसानी से वह उस व्यक्ति के पास एक दिन में पहुंच सकता है। बाई पोस्ट भेजा, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें तो भी सात दिन से अधिक समय नहीं लगेगा, एक सप्ताह में यह कुछ हो सकता है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फिर यह सवाल नहीं होगा । सरकार की जिस प्रकार की मशीनरी है उससे तो सात दिन भी कम है। मैं इन शब्दों के साथ अपना अमेंडमेंट क्लॉज़ नाइन में पेश करना चाहता हूं इससे जो एग्रीव्ड पार्टी है सरकार अगर इसको स्वीकार कर लेती है तो इसका असर कोरेस्पोन्डिंग अमेन्डमेंट्स पर भी पड़ेगा, वह भी करना चाहिये । इसलिये मैं इस अमेन्डमेन्ट को मूव करना चाहता हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ के विरोध में निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें अमेन्डमेन्ट देने की अवश्यकता नहीं है। मैं इस क्लॉज़ को डिलीट करने के लिये निवेदन करना चाहता हूँ। क्लॉज़ नाइन जिस फॉर्म में पेश की गई है वह टैक्सेशन के समस्त सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। आप लैन्ड पर टैक्स लगाना चाहते हैं, आप आधा प्रतिशत लगाना चाहते थे, हमने सुझाव दिया कि दो प्रतिशत लगा सकते हैं। दो प्रतिशत टैक्स लगाने की सिफारिश हमने की, प्रस्तावित टैक्सेशन प्रोपोज़ल को कमजोर समझ कर फिर आप यह चाहते हैं उन लोगों को नोटिस ही न दिया जाय कि आप पर इतना टैक्स आयद किया है, मैं इसको बहुत ही आपत्तिजनक मानता हूँ। क्लॉज़ ८ के अन्दर आपने यह कहा है कि प्रोवीज़नल लिस्ट में नोटिस देना जरूरी नही है। मेरा निवेदन यह है कि प्रोवीजनल लिस्ट बनने से पहले चाहे किसी को नोटिस न दें, उसके फाइनेलाइज़ करने के बाद में आपकी यह जिम्मेवारी हो जाती है कि जिस पर टैक्स आयद किया गया है उसको सूचना दें। यह जो दलील है वह लचर दलील है। ३० दिन के अन्दर इन्स्पेक्ट करके उस लिस्ट का ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते है। सरकार की जो इससे मन्शा है वह बिल्कुल साफ है, लोग उस लिस्ट को इन्सपेक्ट करें और तीस दिन के भीतर भीतर ऑब्जेक्शन पेश करें। तीस दिन के अन्दर यदि किसी प्रकार के ऑब्जेक्शन नहीं आते हैं तो जो लिस्ट निकाली गई है यह ऑटोमेटिकली फाइनल हो जायगी। आप तीस दिन की जगह २१ दिन का नोटिस का समय रखिये, सात दिन का समय उसको सूचना देने में लग सकता है उसके बाद भी तीन सप्ताह का जो समय है वह काफी है नोटिस पर एतराज करने का। आप यदि रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा सूचना नहीं देना चाहते तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के जरिये सूचना दे दें जब आप उससे टैक्स वसूल करना चाहते हैं वैसे ही जनता के दिलों में यह भावना पैदा होती जा रही है कि सरकार डिस्क्रीमिनेटरी व्यवहार करती है, जो भी टैक्स लगाती है उसकी इतला नहीं देती है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस प्रकार की भावना नागरिकों के दिमाग में पैदा होने देना ही खतरनाक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपने जो तीस दिन की व्यवस्था रखी है उसके बजाय २१ दिन की रख दें, एक सप्ताह में सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और रजिस्टर्ड कवर द्वारा सूचना मिल सकती है, इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिये। ऐसा प्रावधान न करने से नतीजा क्या होगा, आपकी प्रोवीज़नल लिस्ट क्लॉज़ १३ में फाइनल हो जायगी। उसमें जो एन्ट्री हो जायगी उतना टैक्स उसको देना पड़ेगा, उसके बाद रिवीज़न नहीं हो सकता, रद्दोबदल नहीं हो सकता। धारा ११ और १२ में जो परिवर्तन के अधिकार रखे हैं वह सिर्फ क्लेरिकल एरर के बारे में हैं इसलिए कोई भी नागरिक जिसको यह सूचना नहीं वह प्रोवीज़नल

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

लिस्ट के फाइनल होने के बाद एतराज नहीं कर सकेगा। सिविल कोर्ट में भी एजीटेट करने की मनाही कर दी गई है। मान लीजिये किसी का वेकेन्ट प्लॉट आपने दस हजार का बता दिया जब कि वास्तव में वह दो हजार का ही है। वैसी हालत में आपकी ही व्यवस्था मान्य होगी। आगे उसके लिये अपील नहीं, उसका रिवीजन नहीं हो सकता, इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थाएं रखी हैं उसके अन्दर आप मूल रूप में नोटिस दे देते हैं, उसके बाद में सिविल कोर्ट में अधिकार नहीं दे रहे हैं। वर्तमान प्रावधान के अनुसार उसके साथ इन्जस्टिस भी हुआ है तो उसको रेक्टिफाइ नहीं किया जा सकेगा। आप यह जानते हैं कि म्युनिसिपेलिटी द्वारा जो हाउस टैक्स लगाया जाता है उसकी लिस्ट बनती है और हाउस टैक्स की इत्तला दी जाती है उसके बाद उस पर एतराज पेश करने की छूट दी गई है। हाउस टैक्स के लिये भी राज्य सरकार ने प्रावधान रखा है उसी तरह इसमें भी सूचना देने का प्रावधान होना चाहिये, यह नहीं करते हैंतो यह नेशनल जस्टिफिकेशन नहीं है। प्रोवीजनल लिस्ट को फाइनल करने से पहले रजिस्टर्ड कवर द्वारा या सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग द्वारा संबन्धित नागरिक को आवश्यक रूप से सूचना मिलनी चाहिये, इसका ध्यान रखा जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की धारा ९ का विरोध करता हूँ। ऐसा लगता है कि हमारी सरकार कई प्रकार की घोषणाएं करने के बावजूद भी यह चाहती है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार बना रहे और प्रशासन सुविधा के लिये न बन पाये। इस धारा को पढ़ें और उसके बाद में होने वाले कामों को सामने रख कर इस धारा के हैड को बदल दिया जाय। "objection to the entries in the list" के बजाय potential for corruption and harassment" इस धारा के अन्तर्गत जनता को जिस प्रकार की हैरानी होने वाली है, करप्शन को जिस प्रकार से बढ़ावा मिलने वाला है, इन दोनों को हम रेशनेलाइज् वे, नेशनलाइज्ड वे के अन्दर कानूनी रूप दे देते हैं। आपको यह बात तो उचित नहीं लगती है जिस पर टैक्स इम्पोज् किया जाय उसको नोटिस दिया जाय। उसमें आपके सामने कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयां पैदा होती हैं, कई प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा होती हैं. इस कारण इन कार्यवाहियों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आप कह रहे हैं कि हम किसी को एक महीने का नोटिस नहीं दे सकते।

एक तरफ तो आपकी यह मर्जी और दूसरी तरफ क्या ? इसमें एक प्रोविज़ो है, उसके जरिये व्यवस्था कर रहे हैं कि कोई आदमी इस प्रोवीज़नल लिस्ट के पब्लिश होने के बाद ३० दिन में ऑब्जेक्शन्स फाइल नहीं कर सके और एसेसिंग ऑथोरिटी को विश्वास हो जाय कि इसको किसी विशेष कारण से कठिनाई पैदा हो गई जिसमें वह ३० दिन में ऑब्जेक्शन नहीं कर सका तो एसेसिंग ऑथोरिटी कन्सीडर कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कन्सीडर करने का प्रावधान एसेसिंग ऑथोरिटी के हाथ में इस प्रकार का पॉवर देने का प्रावधान है, इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन यूज़ करने का प्रावधान है कि जिसको गाइड करने के लिये किसी प्रकार का कोई रूल्स या रेगुलेशन नहीं, कोई प्रेस्क्रा-

(श्री भैरोंसिंह)

इन्ड मैथड नहीं, उस सूरत में इसका मतलब यह होगा कि यदि अफसर ईमानदार है तो अपना डिस्क्रीशन ओनेस्टली यूज़ करेगा अप्लाई करेगा, और अगर अफसर भ्रष्ट है, बेईमान है, ईमानदार नहीं है, पार्टी को हैरेस करना चाहता है, तो इस एक ही क्लॉज़ के मातहत वह इतनी कमाई कर सकता है जितनी राजस्थान में इस कानून के बनने के बाद सरकार की नहीं होगी।

यह सम्भव नहीं कि आज जयपुर की चार लाख जनता अर्बन एसेसमेन्ट के काम को देखने के लिये, सरकार की विज्ञप्ति अखबारों में छप जावे और राष्ट्रदूत में केवल यह लिख दिया जावे कि ओरिजनल अर्बन एसेसेन्ट के लिये लिस्ट प्रकाशित हो गई है. और वह फलां दफ्तर में पड़ी है, तो मैं दावे के साथ निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति मामूली सी जिसकी प्रोपर्टी है वह सन्देह में चलेगा कि मेरे पर भी यह आयद होगा या नहीं। गवर्नमेन्ट की यह तथा कथित बड़ी एफीशियेन्ट मशीनरी मुझे भी इसमें फांस चुकी है या नहीं। तो इस दृष्टि से हर आदमी की यह इच्छा होगी कि वह इसकी जानकारी करके अपने इस वहम को दूर कर ले और अगर उसको भी फांस लिया है तो उसकी जानकारी करके उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करे। राजस्थान की राजधानी की चार लाख जनता को अनाज और चीनी के पर्मिट देने की बात को लेकर एक महीने में चार लाख जनता के पर्मिट के मामलों को कई दुकानों के बावजूद डिस्पोज़ ऑफ नहीं कर सकी, वह एक प्रोवीज़नल लिस्ट बनाकर एक दूकान में या दफ्तर में रख देगी और कह देगी कि दफ्तर में आजाओ और देख लो, तो ऐसी हालत में मैं दावे से कहता हूं कि रात-दिन एक लम्बा क्यू लगाकर भी जनता अगर वहां पड़ी रहे तो इस समय में जानकारी उसको नहीं हो सकती कि इसमें मेरा भी नाम है या नहीं।

और इस तरह से आज आप एक सही व्यवस्था करना नहीं चाहते हैं कि आप सबको नोटिस दे दें और स्वयं जानकारी दे दें। आप कन्फ्यूज़न पैदा करना चाहते हैं जनता में, उसमें भय, आतंक और डर पैदा करना चाहते हैं, एक अपनी अनोखी सूझबूझ के द्वारा एक ऐसी खतरनाक व्यवस्था करना चाहते हैं कि जिससे वे कसूरवार साबित हो जावें, कुसूरवार बन जावें और इसके बाद में वे अपील करते फिरें। इस तरह से वे आपके द्वारा फैलाये गये एक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के जाल में फंस जावें और इस तरह से आपके भाई-भतीजों को रिश्वतें लेने और अपनी जेबें भरने का एक और अवसर मिल जावे, एक और रास्ता निकल जावे। अब होगा क्या इससे ? आपने उनको कसूरवार बना दिया। वे कसूरवार बनकर इसके बाद में रियायत चाहने के लिये जाकर एसेसिंग ऑथोरिटी के सामने झूठे सर्टीफिकेट पेश करें, कि मैं आगरा या बम्बई चला गया था, मेरी दूसरे कोर्ट में पेशी थी, मेरी घरवाली बीमार थी, डाक्टरी सर्टीफिकेट पेश करता फिरेगा और फिर एसेसिंग ऑथोरिटी आपकी बनाई हुई जजमेन्ट देगी कि रीज़नेबल ग्राउन्ड है या नहीं और इस रीज़नेबल ग्राउन्ड की आड़ में वह पैसा कमावेगा और अगर किसी ने ओनेस्टली किया भी तो भी डिस्क्रीशन बिना मोटिव के नहीं हो सकता। पोलिटिकल मोटिव भी हो सकता है, पर्सनल मोटिव भी हो सकता है। इन ग्राउन्ड्स पर

(श्री भैरोंसिंह)

हैरेस भी किया जा सकता है और बेनिफिट भी दिया जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, राजनीतिक सौदेबाजी और लाभ भी उठाया जा सकता है।

मैं पूछता हूं आपको कठिनाई क्या आती है कि आप नोटिस भी नहीं दे सकते। आप लाखों की तादाद में इसके अन्तर्गत आने वाली जनता की हैरेसमेन्ट की चिन्ता नहीं करते। हमने कहा था सदन में, लोगों ने कहा था कि अर्बन लैंड पर जो बेनिफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, उस पर टैक्स लगाया जावे, पर इसका यह तो मतलब नहीं कि बन्दर के हाथ में तलवार पकड़ा दें जिसे वह मरजी आवे उस पर चला दे। यह मतलब आप इसका लेते हैं और इसी तरह से काम करने की आपकी नीयत है तो इन टैक्सों के कारण सरकार की आमदनी निल के बराबर होगी। पर सरकारी करप्शन आप इससे दुगुना और तिगुना बढ़ा देंगे। यह आपका करप्शन म्यूनिसिपेलिटी और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को रिफलेक्ट करेगा। इन तीनों मशीनरियों में भयंकर करप्शन व्याप्त हो जावेगा। कोई जाकर कहेगा आपने पांच सौ का एसेस कर दिया, गलत कर दिया। आपकी लिस्ट फाइनल होगी और इस पर एक गरीब इसलिये मर जावेगा कि उसके मकान की कीमत पांच हजार है पांच सौ टैक्स उस पर कहां से देगा। तो आपकी गलती के कारण उसको नोटिस नहीं मिला और आप उसे यह कहो कि सरकार के दफ्तर में जाकर क्यू में खड़े रहो और एक दिन जाकर खड़ा भी हुआ पर उसको अवसर नहीं मिला, उसे महीने भर क्यू में जाना पड़ेगा और अगर नहीं गया तो एक महीने में देख नहीं सका तो कसूरवार हो गया और उसकी सजा आपके हाथों भुगतेगा, आपकी करप्ट मशीनरी के द्वारा भुगतेगा।

बाकी बड़े बड़े सरकारी अफसर, सेठ-साहूकार, नेता इन लोगों पर एसेसमेन्ट नहीं होगा। जो प्रभावशाली हैं हर प्रकार से एग्जेम्पट होने की कोशिश करेंगे। वे सरकार को टैक्स देने वाले नहीं हैं। वे मरेंगे जो बेवसीले हैं, जिनका अफसर आला तक और इन मिनिस्टरों और सिफारिश वालों तक पहुंचना मुश्किल है। वे बेवसीले वाले लोग लाभ नहीं उठा सकेंगे। और आज टैक्स पेअर वास्तविक रूप से वे ही हैं और उन पर आघात किस तरह से किया जावे, इसी की यह व्यवस्था आपने की है।

इस एसेसमेन्ट के साथ साथ जैसे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा था उसे आप मान लेते हैं तो खर्चा होता है। आपका यह कहना है। ठीक है खर्चा बढ़ता है थोड़ा। पर उस खर्चे को नगरपालिका बर्दाश्त कर सकती है, पंचायत समितियां बर्दाश्त कर सकती हैं पंचायतें बर्दाश्त कर सकते हैं अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बर्दाश्त कर सकता है। पर सरकार इतनी गरीब है कि वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि आपको दूसरों पर इस तरह का कानून लागू करना अच्छा लगता है पर अपने पर खुद पर लागू करने से खर्चा का डर लगता है और इस खर्चे के कारण नोटिस देना जरूरी नहीं समझते हैं तो म्युनिसिपेलिटियों के रूल्स रेगुलेशन में, उसके बाई-लाज में, पंचायतों और अर्बन इम्प्रूवमेंट के बोर्डों के बाई लॉज में पंचायतों के टैक्सों के प्रोवीजनों में भी संशोधन कर दीजिये कि उनके लिये भी यह जरूरी नहीं कि इन्डिविजुअल को वे नोटिस दें, वे भी एक प्रोवीजनल लिस्ट बनावेंगे और

(श्री भैरोंसिंह)

उसे एक जगह टांक देंगे, देखने वाले आकर देख लें। अलग से सबको अलग अलग नोटिस देने की जरूरत नहीं है।

आप नगरपालिकाओं को तो कहते हैं, नोटिस दो हरेक को, पंचायतों को कहते हैं नोटिस दो, इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड को कहते हैं नोटिस दो, पर सरकार नहीं दे क्योंकि उसका खर्चा होना है, तो क्या इन दूसरों का पैसा मुफ्त में आता है, क्या इनके पास पैसा कोई रिश्वतखोरी का या चोरी-डाके का आता है कि ये तो खर्च करें तो कुछ नहीं और सरकार खर्च करे तो उसको दर्द होता है। मैं कहता हूं, अगर सरकार को पब्लिक की सहूलियत के लिये खर्च भी करना पड़े तो करना होगा। सरकार आमदनी बढ़ाना चाहती है पर उसे जनता को सहूलियत देते हुए लेने की व्यवस्था अपनाना नहीं चाहती।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस समय शायद है वे जिद्द पर हों, हो सकता है कभी ऐसा फीलिंग डेवलप हो गया हो कि अगर विरोधी लोगों की बात मान लेंगे इस मुद्दे पर तो हमारी तौहीन होगी कि बिना समझदारी के इस प्रकार का मसला रख दिया तो आज नहीं, हम इस पर कई दिन तक बैठ सकेंगे इसे सारे प्रोसीजर को ठीक करने के लिये तो आप इसके लिये इसको डेफर कर दीजिये। अपन बैठकर बात कर सकते हैं सहूलियत में। इसके बाद साथ साथ म्यूनिसिपल के, पंचायतों के बाई-लॉज, रूल्स और दूसरे प्रावधानों को सामने रखकर एक तरीका अपनाया जा सकता है जिसके आधार पर टैक्स मिल जावे और जनता का भी हैरेसमेंट कम हो। तो इस दृष्टि से या तो नोटिस वाला संशोधन स्वीकार कर लिया जावे, नहीं तो इन क्लॉजेज को डेफर कर दिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, आबकारी एवं कर) : उपाध्यक्ष महोदय, दो तारीख को मोशन मूव किया था कन्सीडरेशन के लिये। उसको तीन चार दिन का समय मिल गया जिसमें बहुत ध्यान से इसकी स्क्रूटिनी की जा चुकी है और मैं नहीं समझता कि पब्लिक नोटिस के मामले पर माननीय सदस्यों को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? पब्लिक नोटिस का जहां प्रश्न है उसमें यह लिखा है साफ कि 'Assessing autthority shall give public notice in such manner as may be prescribed"

श्री भैरोंसिंह : कहां लिखा है?

श्री परसराम मदेरणा : मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि यह पब्लिक नोटिस का प्रेस्क्राइब करेंगे इसमें आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा इस की पब्लिसिटी हो, जो भी मोड्स हैं इसके अखबारों से, पेम्फलेटों से beat of drum से, हो किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब नहीं है कि इन्डिविजुअल को आप नोटिस देंगे। This is for the preperation of lists.

श्री परसराम मदेरणा : But the list has already been prepared....

श्री भैरोंसिंह : यह एसेसिंग ऑथोरिटी?

श्री परसराम मदेरणा : सब–क्लाज (३) में पढ़ रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : Public notice has been defined already.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : But public notice cannot be an individual notice.

श्री परसराम मदेरणा : Yes, इन्डिविजुअली तो नहीं होगा । Widest possible publicity जरूर दे दी जावेगी; पेम्फलेट के जरिये, अखबारों के जरिये, बीट ऑफ ड्रम के जरिये और पब्लिसिटी के मोड को प्रेस्क्राइब करते समय सरकार सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं को और राय को ध्यान में रखेगी ।

जहां तक अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्लॉज़ ६ में अमेन्डमेंट पेश किया है, यह कॉन्सीक्वेन्शियल है........

श्री भैरोंसिंह : अमुक समय में प्रोवीज़नल लिस्ट आने वाली है, वह राष्ट्रदूत, लोकवाणी को पढ़े नहीं तो मारा जायेगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पब्लिक नोटिस किसी अखबार में शाया करेंगे क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो आप इसको मन्ज़ूर कर लीजिए । उस पर खर्चा कितना पड़ेगा, कितने पेजेज़ का एडवर्टाइज़मेंट होगा और सर्टीफिकेट ऑफ पोस्टिंग में कितना खर्च होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रावीज़नल लिस्ट आउट हो गयी है और अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो वह ऑब्जेक्शन कर सकता है । इस तरह की widest publicity देंगे ।

श्री भैरोंसिंह : एक आदमी को लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए कितना टाइम लगेगा । मान लीजिए कि मुझे देखना है कि मेरा नाम है या नहीं और मैं लिस्ट को देखने जाता हूँ तो कितना समय लगेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : आपको ३० दिन का समय दिया है और ३० दिन के बाद भी किसी कारण से नहीं देख सके तो जब तक डिमाण्ड नोटिस दिया जायेगा और उसके जो २० दिन का समय है वह भी समय खत्म न हो उससे पहले पहले ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और एसेसिंग ऑथोरिटी उस पर कन्सीडरेशन कर सकती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या गवर्नमेंट एश्योरेन्स देने के लिए तैयार है कि जिस पब्लिक नोटिस का इसमें जिक्र है और जो अमेन्डमेंट आप प्रेस्क्राइब करेंगे उसमें जो प्रोवीज़नल आप एसेसमेंट करके पूरी प्रोवीज़नल लिस्ट बनायेंगे उस सारी की सारी को पब्लिश करके पब्लिक में वितरण कर दें, इस तरह का कस्टोडियन ऑफ इवेक्यू प्रोपर्टी विभाग करता है, वह पूरी की पूरी लिस्ट में जमीन का नम्बर सब कुछ छपा है इन्डीविजुअल नोटिस नहीं देते लेकिन उससे वह बच जाते हैं तो उसमें अगर यह रेस्पोन्सीबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि इन्डीविजुअल को नोटिस दें तो उसको इवेड करने का मौका मिलेगा तो आप यह रेस्पोन्सीबिलिटी लें कि पूरी लिस्ट छापकर पब्लिक को बांट दें, पोलीटीकल पार्टीज, बार एसोसियेशन में, लिस्ट पहुँच जाये तो वहां देख लेंगे । वर्ना ५ लाख की आबादी का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जयपुर नगर है ३० दिन में १० जगह भी रखें तो कैसे देख लेंगे ? आप कुछ तो रेस्पोन्सि-बिलिटी रीज़नेबल अपने ऊपर लें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप ३० दिन को चाहे २१ दिन कर दीजिए, लेकिन इन्डीविजुअल नोटिस सर्व कर दीजिए ।

श्री भैरोंसिंह : कभी कभी तो समझ-दारी का काम करना ही चाहिए ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ से पहले उसके साथ ही साथ क्लॉज़ ८ पास हो चुका है इसलिये मैं उसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि क्लॉज़ेज़ ८ और ६ दोनों एसेसमेंट के सम्बन्ध में नोटिस से सम्बन्धित हैं । दूसरा क्लॉज़ ले लें, इस समय इसको डेफर कर दिया जाये, ताकि हम इस पर विचार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष : Clause 9 to be deferred.

Clause 8 has already been passed.

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ १४ तक आप डेफर कर दें क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने पहले ही कहा था कि ८ और ६ क्लॉज़ को एक साथ कन्सीडर किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ६ डेफर किया जाता है और क्लॉज़ ८ पहले ही पारित कर दिया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १४ तक सब इन्टर-रिलेटेड हैं । यदि आप क्लॉज़ ८ में अमेन्डमेंट करेंगे तो सबमें अमेन्डमेंट करना पड़ेगा । ६ में अमेन्डमेंट होता है तो सबमें करना पड़ेगा । इसलिए निवेदन यह है कि सबको डेफर कर दिया जाये । एक में होगा तो सब अमेन्डमेंट करना पड़ेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं समझता कि १०, ११ और १२ क्लॉजेज़ नोटिसेज़ से सम्बन्धित नहीं हैं । वे अमेन्डमेंट छोटे अमेन्ड-मेन्टस हैं और इसलिए वे कॉन्सीक्वेन्शियल अमेन्डमेन्टस हैं । नोटिस के सम्बन्ध में नहीं है इसलिए उनको लिया जावे और तब तक मैं समझता हूँ कि लीगली इस क्लॉज़ ६ को देख सकेंगे कि क्या किया जा सकता है और उसको सबके बाद में ले लेंगे क्लॉज ८ और ६ को ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ १० ।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : In sub-clause (5) substitute the word "Three" for the word "Five".

श्री मोहनराज (पाली) : (5) In sub-clause add "or even earlier provided the local authority so desires by a resolution" after the words "five years".]

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १० में मेरा यह संशोधन है :

सब–क्लॉज़ (५) यह है:

"The Assessing Authority may, in the manner laid down in sections 8, 9

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

and subsections (1) to (4) of this section, prepare a new list once in every five years."

मेरा यह संशोधन है कि यह लिस्ट ५ साल के बजाय ३ साल में तैयार होनी चाहिये। इसका कारण यह है कि आज जिस तेजी से इन नगरों में जमीनों की कीमतें बढ़ती जा रही है हर साल हम यह देखते हैं कि पिछले साल जिस जमीन की कीमत १०) रुपये गज थी इस साल में जमीन की कीमत १५) रुपये और २०) रुपये गज तक हो गयी। तो इसलिए ३ साल में जमीनों की कीमतों में काफी बड़ा फर्क आ जायगा। दूसरे हाउसिंग एक्टीविटीज् भी हैं तो बहुत सी जो जमीनें हाउस से कवर भी हो जायेंगी इसलिए दोनों दृष्टिकोणों से वह जो लिस्ट पहले तैयार हुई उसमें काफी नॉन-टैक्सेबल हो जायेंगे। जिसमें एक साथ एसेसी अपनी दर्ख्वास्त देकर दुरुस्त करायें वे आम तौर पर दुरुस्त हो जायें और दूसरी जो जमीन टैक्सेबल है उसकी मार्केट वेल्यू ज्यादा बढ़ जायेगी। इसलिए बजाय इसके कि सरकार उस टैक्स से वंचित रहे जो टैक्सेबल लैंड है उससे सरकार को ज्यादा टैक्स आ सकेगा। इसलिए "आफ्टर थ्री ईयर्स" उसका रिवीज़न होना चाहिए, यह मेरा संशोधन है।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज् १० में है कि जहां ५ वर्ष का प्रावधान है वहां पर ५ वर्ष के साथ साथ में ये शब्द और जोड़े जायें:

"Or even earlier; provided the local authority so desires by a resolution."

जैसा कि आजकल विकास कार्य जगह जगह हो रहे है और कई स्थानों पर आज भी जमीनों की कीमतें कम हैं लेकिन कतिपय कारणों से कहीं उद्योग खुलने की वजह से या और मण्डी वगैरह स्थापित होने की वजह से हो सकता है वहां जमीनों की कीमतें बढ़ें और चूंकि वहां की नगरपालिका या पंचायत यह महसूस करती है कि ५ वर्ष के दर्मियान बहुत रद्दोबदल हुए हैं इसलिए री-एसेसमेंट होना जरूरी है और अगर वह इस प्रकार की राय जाहिर करें तो यह आवश्यक होना चाहिए कि इस तरह का फायदा अवश्य मिले और उसके लिए ही मैं चाहता हूं कि अगर वहां की लोकल ऑथोरिटीज् नगरपालिका या पंचायत इस बात की मांग करें कि यह एसेसमेंट होना जरूरी है तो यह किया जाये। दूसरा इसका पहलू भी है कि कई ऐसे स्थान हैं जहां जमीन की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं लेकिन कतिपय कारणों से, प्राकृतिक या राजकीय हो सकते हैं, उन कारणों, से वहां के स्थान का महत्व घट सकता है और उसको देखते हुए जो एसेसमेंट हाई रेट पर हुआ है अगर उसे ही रखा जाये तो लोगों पर बड़ा हैरेसमेंट हो सकता है। इसलिए इसमें यह भी सुविधा मिलेगी कि वहां की नगरपालिका या पंचायत यह महसूस करती है कि किन्हीं कारणों की वजह से जमीन की कीमतें कम हो गयी हैं और री-एसेसमेंट करके शहर के लोगों को राहत पहुँचाई जाये तो यह भी सुविधा रहेगी। इसलिए ५ वर्ष की जो अवधि हैं वह सामान्यतया है और वहां की लोकल ऑथोरिटी प्रस्ताव के द्वारा मांग करे कि री-एसेसमेंट किया जाये तो इस तरह की सुविधा देने से राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा और जनता को भी समय समय पर राहत पहुँच पायेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह संशोधन स्वीकार किया जायेगा।

Page No. 82

श्री परसराम मदेरणा (उप–मंत्री, आबकारी एवं कर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० के सब-क्लॉज (५) की जो आखिरी लाइन में वर्ड 'थ्री' को अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सब्स्टीट्यूट करवाने का एमेंडमेंट रखा है और बाली से आने वाले माननीय सदस्य ने फाइव ईयर्स के बाद "or even earlier provided the local authority so desires by a resolution." यह एमेंडमेंट रखा है। मैं समझता हूँ कि जहां तक इस लिस्ट का सवाल है उसे अगर इतनी जल्दी समय में तरमीम करते रहेंगे तो यह सम्भव नहीं हो सकेगा, लेकिन अगर कोई लोकल ऑथोरिटी रिज़ोल्यूशन से ऐसा करवाने का सुझाव देती है तो उस सुझाव को मानने में मुझे एतराज नहीं है। इसलिए अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन तो स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ लेकिन बाली से आने वाले माननीय सदस्य का संशोधन मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I don't press.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की इजाजत है कि इनको विद्ड्रॉ करने दिया जाय, माननीय रामानन्दजी के संशोधन को।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १० में श्री मोहनराज ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १०, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १०, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १२

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १२ पर मेरा यह संशोधन है:

"In proviso to this clause word 'five' be substituted for the word 'three'."

इस प्रोविज़ो में यह कहा गया है:

"Provided that no assessment of the tax for any period beyond three years preceeding the year of assessment shall be made by the Assessing Authority."

यानी अगर किसी शख्स जिसकी कि लैंड टैक्सेबल है वह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

टैक्स से एस्केप हो गया है तो उसको पिछले तीन साल तक का ऐसेसिंग ऑथोरिटी एसेसमेंट कर सकती है। मेरा यह सुझाव है कि पिछले तीन साल तक नहीं बल्कि ५ साल का इस प्रकार का एस्केप एसेसमेंट का एसेस करने का अधिकार एसेसिंग ऑथोरिटी को होना चाहिए। इसके रीजन्स मैं समझता हूँ कि बहुत साफ है। अगर वह टैक्सेबल है तो कोई ऐसी वजह नहीं कि बहुत आगे जाकर वह टैक्स नहीं लिया जाय। ५ साल तक का पीछे का जो रह गया है उन पर टैक्स सरकार लगा ले ताकि सरकार की आमदनी बढ़ जाय और सरकार की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से यह सुझाव मैंने दिया।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज १२ पर माननीय सदस्य ने जो एस्केप एसेसमेंट है उस एस्केप एसेसमेंट का पीरियड ३ ईयर्स से बियोन्ड नहीं होगा, ऐसा प्रावधान क्लॉज के अन्दर है, लेकिन वे चाहते हैं कि 'थ्री' की जगह वर्ड 'फाइव' सब्स्टीट्यूट कर दिया जाय। मैं ऐसा मानता हूँ कि जहां तक एस्केप एसेसमेंट का प्रश्न है ३ साल के अन्दर देखा जा सकता है कि किसने एसेसमेंट एस्केप किया है, लेकिन इतना ज्यादा लम्बा अर्सा रख कर इस चीज को हेंगिंग स्वोर्ड की तरह रखना मैं इसको हार्डशिप की संज्ञा दूंगा, और यह उचित ही है कि जिस किसी व्यक्ति ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसानों से लगान कितने अर्से तक पेंडिंग रखते हैं। आप कितने पीछे तक का वसूल कर रहे हैं। तीन साल से ज्यादा उसमें हेंगिंग स्वोर्ड रखने में आपको शर्म नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ पर जो श्री रामानन्द ने संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १४

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १४ पर मेरा संशोधन है :

"Substitute word 'Ninety' for the word 'thirty' in the third line."

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

क्लॉज़ १४ में यह कहा गया है कि यदि कुछ जगह में जो टैक्सेबल है उस पर कोई बिल्डिंग बना ली है या और कोई कन्स्ट्रक्शन कर लिया जिसकी बुनियाद पर यह क्लेम करे कि यह जमीन टैक्सेबल नहीं रही है तो उसको ३० दिन के अन्दर ऐसेसिंग ऑथोरिटी को यह सूचना देनी चाहिये। मेरे ख्याल से ३० दिन की अपनी हालत को देखते हुए यह थोड़ा है। इसलिए ३० दिन के बजाय वह ६० डेज़ का, तीन महीने का, मौका देने को कहना चाहता हूँ। इस समय के बढ़ाने से किसी तरह से टैक्स से कोई आदमी बच जायगा यह बात नहीं है, क्योंकि उसमें ३ साल तक के पहले के एस्केप के एसेसमेंट की गुन्जाइश है, और फिर जो आदमी इस तरह की दरख्वास्त देगा वह दरअसल में एग्ज़ेम्पशन ही क्लेम करता है कि अब मैंने मकान बना लिया है या रिकन्स्ट्रक्शन या नई बिल्डिंग बना ली है, इसलिए अभी तक जो यह लैन्ड टैक्सेबल है वह अब टैक्सेबल नहीं रही। इसलिए मैं समझता हूँ कि सामान्य न्याय आपको करना है। ज्यादा टैक्स लगाना हो, ज्यादा टैक्स वसूल करना हो तो रेट बढ़ाये उससे अपने को इन्कार नहीं है, लेकिन सामान्य कानून में जो किसी आदमी को रीज़नेबल नोटिस, रीज़नेबल ऑपोर्चुनिटी मिलनी चाहिए उससे आप इन्कार करके और इन्डाइरेक्टली आप इसको थोपना चाहें तो वह उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसका नतीज यह होगा कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, थोड़े पढ़े-लिखे लोग हैं, थोड़े साधन वाले लोग हैं उनको आप ऑपोर्चुनिटी नहीं दें या थोड़ा समय दें तो वह लोग पीनेलाइज़ होंगे। जिन लोगों के पास में बहुत साधन हैं, अलग एजेन्ट रख सकते हैं, कौन्सिल रख सकते हैं, लीगल एडवाइज़र रख सकते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा भी समय रख दें तो एक हफ्ते के अन्दर वे ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहूँगा कि रीज़नेबल ऑपोर्चुनिटी के लिए उन्हें इन्कार नहीं करना चाहिये। जैसा पहला मामला उन्होंने अन्डर कन्सीडरेशन रखा है तो करीब उसी तरह का यह मामला है। इसलिए एक महीने के बजाय ३ महीने का समय उनको देना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज़ १४ का पूर्णतया विरोध करता हूँ। इस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि कोई आदमी अर्बन लैन्ड पर मकान बनाये, उसको बढ़ाये या उसका पुनर्निमाण करे तो ३० दिन के अन्दर अन्दर एसेसिंग ऑथोरिटी को उसकी सूचना देनी चाहिए। जहां तक टैक्सपेयेर और टैक्स-कलेक्टिंग ऑथोरिटी का टैक्स के बारे में सम्बन्ध होना चाहिए वहां तक इस धारा पर यदि विचार किया जाय तो जैसे बाकी के टैक्सों में सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि वह बिना सूचना दिये ऐसे किसी मसले का जिस पर सरकार को टैक्स लगाने की कोई पाबन्दी हो बिना लाइसेन्स लिए कोई बिजीनेस नहीं करेगा। इस धारा में उन्होंने व्यवस्था की है कि मकान बना लिया जाय, मकान पूरा हो जाय, मकान का एन्लार्जमेंट हो जाय या रिबील्ड किया हो उसको ३० दिन में इत्तला देनी चाहिए।

अब यह क्लॉज़ बहुत सीधा लगता है और सीधा लगाने के कारण शायद सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

इस पर विचार नहीं कर सकती है कि इस प्रकार का सीधा क्लॉज इस कानून में, उपाध्यक्ष महोदय, क्या हो सकता है ?

(१२.०० मध्यान्ह)

इस सदन को यह तो मालूम है कि अर्बन लैंड में कोई भी आदमी यदि वह नगरपालिका क्षेत्र में रहता है तो नगरपालिका के अधिकारियों से उसको नक्शा एप्रूव कराना पड़ता है। और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के एरिया में आता है तो वहां से पर्मिशन ली जायगी। म्युनिसिपैलिटी से नक्शा एप्रूव कराया जायगा और अब कई एरियाज़ ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के एरियामें आते हैं तो पर्मिशन ली जायगी और म्युनिसिपेलिटी से नक्शा एप्रूव कराया जायगा और टैक्स देने के लिये उसे एसेसिंग ऑथोरिटी को सूचना देनी पड़ेगी। तो एक मकान बनाने वाले को या मकान में एडीशन और ऑल्ट्रेशन्स कराने वाले को तीन बार उसके लिये पर्मिशन लेनी पड़ेगी कि किस प्रकार क मकान बनाया जाय। टेक्निकल एप्रूवल लेने के बाद उसने मकान बनवा लिया, उसके बाद एसेसिंग ऑथोरिटी को उसे सूचना देनी पड़ेगी। तीन तरह की व्यवस्था इस कानून से होती है।

नगरपालिका क्षेत्र में और यू० आई० टी० एरिया में इस प्रकार की शिकायत एक नहीं मिलेगी, हजारों मिलेंगी जिनमें उन्होंने पर्मिशन नहीं दी। और अगर यू. आई. टी. वाले पर्मिशन दे देते हैं तो म्यूनिपेलिटी वालों ने नक्शा एप्रूव नहीं किया, कई दिनों तक एप्रूव नहीं होता। इस नक्शा एप्रूव की मयाद निकल जाती है तो एप्लीकेंट को राइट हो जाता है कि वह मकान बना ले। अब उसने मकान वाजिब बनाया या गैर-वाजिब बनाया उसकी निगरानी नगरपालिका अधिनियम के करानी पड़ेगी। और उसके बाद भी यह गारन्टी नहीं है कि कहीं नगरपालिका नोटिस तो नहीं देगी कि तुमने जो मकान बनाया है वह गलत है और कहीं यू. आई. टी. वाले तो नोटिस नहीं देंगे कि उनके अधिनियम की धाराओं के विपरीत है। उसको एक तरफ तो यह नोटिस मिलेगा कि निर्माण कार्य गलत कराया है इसलिये क्यों नहीं इसको डिमोलिश किया जाय। इसके बाद एसेसिंग ऑथोरिटी नोटिस देगी कि तुमने मकान पूरा करा लिया क्यों नहीं उसका ऐसेसमेन्ट किया जाय। और व्यवस्था यह दी गई है कि इन दोनों कानूनों के अन्तर्गत यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो इस कानून पर कोई असर नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नगरपालिका किसी मकान को डिमोलिश करने का नोटिस देती है तो डिमोलिश का नोटिस होते हुए भी, मकान टूट गया है तो भी एसेसिंग ऑथोरिटी उससे टैक्स वसूल कर लेगी। इसमें आपकी मंशा यह है कि आप खाली टैक्स ही वसूल नहीं करना चाहते बल्कि लोगों को परेशान करना चाहते है तो इसको टैक्स वसूल करने का कानून कहने को बजाय "परेशानी" कानून कहने की व्यवस्था करिये।

क्यों नहीं ऐसेसिंग ऑथोरिटी को सूचना देने का कार्य नगरपालिका पर ही छोड़ा जाय। नगरपालिका जब नक्शा पास करती है तो ओटोमेटिकली एसेसिंग ऑथोरिटी को

(श्री भैरोंसिंह)

उसे सूचना देनी चाहिये कि यह नया मकान बनने जा रहा है या इसमें रिपेयर हो रहा है। टैक्स लगाने वाली मशीनरी भी सरकारी है और नगरपालिका भी सरकारी मशीनरी का एक अंग है। इसलिये नगरपालिका अगर एसेसिंग ऑथोरिटी को सूचना दे दें तो पब्लिक को उस हैरेसमेन्ट से बच जायगी जो आगे चल कर उस पर आने वाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर आदमी इस बात की सूचना दे कि मैं मकान में आकर रह गया हूं इसके बजाय अच्छा यह होगा कि नगरपालिका और यू. आई. टी. जिनसे पर्मिशन ली जाती है और पर्मिशन देने की सूचना मकान मालिक को इनसे दी जाती है उसकी कॉपी एसेसिंग ऑथोरिटी के पास भी चली जाय और एसेसिंग ऑथोरिटी टैक्स लगाने की कार्यवाही करले। इससे एक फायदा यह भी होगा कि जो लोग टैक्स इवेड करना चाहते हैं वे भी इवेड नहीं कर सकेंगे और एसेसिंग ऑथोरिटी के ऊपर भी दायित्व आयेगा क्योंकि बिना नगरपालिका की अनुमति के मकान बन नहीं सकता और एसेसिंग ऑथोरिटी के विजिलेन्ट रहने से टैक्स इवेड नहीं हो सकेगा। टैक्स इवेड करने के भी कई तरीके हो सकते हैं, बाहर से मकान की पुताई नहीं हुई या बिजली का फिटिंग नहीं हुआ जिस सेन्स में कम्पलीट कहते हैं उस सेन्स में पूरा नहीं हुआ तो कह सकते हैं मकान इन्कम्पलीट है, इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। मकान मालिक खुद अधूरा मकान समझ कर एसेसिंग ऑथोरिटी को सूचना नहीं देगी और टैक्स से बचता रहेगा। एक तो यह चीज है और लोगों को परेशानी नहीं हो यह दूसरी चीज है, इसलिये ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि नगरपालिका ही मकान मालिक को नक्शा पास करने की सूचना देती है वही सूचना एसेसिंग आथोरिटी के पास चली जाय और वह एसेसमेन्ट करले कि मकान कम्पलीट हुआ है या नहीं हुआ है, कितना टैक्स होगा। इस बात को लेकर मैं इस धारा का विरोध करता हुआ मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन सुझावों को एडजस्ट करना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस समय किसी क्लॉज़ को निरस्त करने के लिये उठें तो उस धारा को निरस्त करने की दृष्टि से ही प्रकाश डालें न कि अमेन्डमेन्ट करने की दृष्टि से।

श्री भैरोंसिंह : 'कंडीशनल निरस्त करना' मतलब था।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर यह बात कही कि इस तरह से जो इन्डिविज्युअल ओनर जो अपना मकान बनाते हैं उसके ३० डेज़ के अन्दर कम्पलीशन की इत्तला उनको एसेसिंग ऑथोरिटी को देनी पड़ेगी, इसको डिलीट करने के लिए तो पूरी तौर से नहीं कहा, जैसा आपने अभी आदेश दिया, लेकिन उन्होंने यह बात कही, तरमीम करके.......

श्री भैरोंसिंह : दोनों मत छोड़ देना।

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने यह बात कही कि इसमें जो प्रावधान है और नगरपालिका अधिनियम और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट में जो नियम हैं उन दोनों में इस तरह से विरोधाभास होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा।

Page No. 87

(श्री परसराम मदेरणा)

उन्होंने इस दलील को प्रस्तुत करते हुए यह कहा कि म्युनिसिपेलिटी पहले नक्शा एप्रूव करती है, बाद में मकान बनाने की पर्मिशन देती है, और मकान बनाने की पर्मिशन देती है तो म्युनिसिपेलिटी एसेसिंग ऑथोरिटी को इत्तला क्यों नहीं करें कि हमने पर्मिशन दे दी है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज़ है बिल्डिंग बिल्ड किया गया है या नहीं, इस बारे में। नगरपालिका नक्शा एप्रूव कर सकती है और पर्मिशन देने के बाद न मालूम वह कब मकान बनाना शुरू करेगा। ऐसा अनुभव रहा है कि बहुत से लोग मकान बनाने की पर्मिशन तो ले लेते हैं, नक्शा एप्रूव भी करवा लेते हैं लेकिन उनके सामने आर्थिक कठिनाई होने के कारण या और बातों के कारण मकान बनना शुरू नहीं होगा। इस धारा में यह चाहा गया है कि मकान कम्पलीट होने के ३० दिन बाद मकान मालिक एसेसिंग ऑथोरिटी को इत्तला देगा कि मैंने हाउस कम्पलीट करा लिया है। यह कंस्ट्रक्शन की इत्तला है, एसेसिंग की नहीं। म्युनिसिपेलिटी के पास इस तरह की रिपोर्ट नहीं रहती कि किसने कन्स्ट्रक्शन करा लिया है, किसने नहीं ....

श्री भैरोंसिंह : एक मुगालता हो रहा है। म्युनिसिपेलिटी के पास नक्शा इसलिये भेजा जाता है कि वह हाउस टैक्स लगाती है।

श्री परसराम मदेरणा : हाउस कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं, यह देखना होता है। यदि कंस्ट्रक्ट हो गया है तो हाउस टैक्स लगायेंगे, लेकिन यहां पर हम कंस्टक्शन "constmctian or from the date of occupation of such building, whichever date may be earlier, give notice thereof to the Assessing Authority in such manner and containing such particulars as may be prescribed."

और जहां तक पर्टीक्यूलर्स का सम्बन्ध है, पर्टीक्यूलर्स के लिए यह प्रेस्क्राइब करेंगे कि मकान कम्प्लीट हो जाय तब अगर पर्टीक्यूलर्स पूरे हो जाते हैं तो मकान कम्प्लीट समझेंगे। म्यूनीसिपेलिटी देखती है सिर्फ यह कि जो नक्शा दिया है उसने उस नक्शे को किसी तरह से उसने वायोलेट तो नहीं किया है, ज्यादा जमीन तो कब्जे में नहीं ली है, जो प्लान एप्रूव किया है, उसमें ऑल्टरेशन या एडीशन तो नहीं किया है। यह प्रश्न है कि बिल्डिंग के कम्प्लीशन के बाद में, जिस प्रकार के पर्टीक्यूलर्स हम चाहेंगे वह पर्टीक्यूलर्स प्रेस्क्राइब करने के बाद, उन पर्टीक्यूलर्स को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे और उसके बाद कम्प्लीट मानेंगे। इसके साथ ही विदिन ३० डेज जो व्यक्ति हाउस बनाता है उसको एसेसिंग ऑथोरिटी को इत्तला करनी पड़ेगी। इसलिए माननीय सदस्य की दलील है वह खुद कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स है।

अलवर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने तरमीम रखी है कि ३० डेज़ की जगह ६० डेज़ कर दिया जाय। वह इसलिए कराना चाहते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति को इतना मौका मिलना चाहिये मकान बनाने के बाद, ऐसा समय मिलना चाहिये जो रीज़नेबल हो और उस समय के अन्दर वह असेसिंग ऑथोरिटी को अपने हाउस-कन्स्ट्रक्शन के सम्बन्ध में इत्तला कर सके। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट काफी रीज़नेबल और

Page No. 88

(श्री परसराम मदेरणा)

जस्टीफाइड मालूम पड़ता है । इसलिए अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का यह अमेंडमेंट स्वीकार करता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Thank you.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने क्लॉज़ १४ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४, यथा संशोधित, विधेयक का अङ्ग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ यथासंशोधित विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज १५

[खण्ड १५ व १५–ए पर संशोधन इस प्रकार प्रस्तुत हुए :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

[i] In sub-clause (4) after the words 'entitled to' insert the words 'in addition to its share of the tax.'
New clause 15 A.

[ii] The following new clause 15 A be inserted after clause 15 :—

"15 A. Share of tax to local authority: The State Government shall frame rules to apportion the share of the urban tax realised in an urban area between it and the municipality or panchayat, as the case may be, but in no case the share of the municipality or panchayat shall be lass than 50 percent of the gross tax realised from that area."]

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, धारा १५.......

श्री उपाध्यक्ष : I think you can deal with both Clauses 15 and 15 A.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने १५ में एक संशोधन किया है, जो दरअसल एक नई क्लॉज़ १५ ए जोड़ना चाहता हूँ, उससे सम्बन्धित है । इसलिए इन दोनों अपने अमेंडमेंट्स के बारे में मैं इस सदन में बोलना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने क्लॉज़ १५ ए इसमें जोड़ा है जो इस प्रकार से है :

"15-A—Share of tax to local authority: The State Government shall frame rules to apportion the share of the urban tax realised in an urban area between it and the municipality or panchayat, as the case may be, but in no case the share of the municipality or panchayat shall less than 50 percent of the gross tax realised from that area."

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अर्बन लैंड पर टैक्स लगाने से राज्य सरकार को आमदनी होगी, उसका इस बिल में यह प्रावधान रखा गया है कि वह तमाम का तमाम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के कन्सोलिडेटेड फन्ड का हिस्सा बनेगा। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार बार इस प्रश्न को उठाया गया है कि जो म्युनिसिपल कमेटीज़ हैं, उन म्युनिसिपल कमेटीज़ की आर्थिक दशा ठीक नहीं है। पहले राजाओं के जमाने में इन म्युनिसिपल कमेटीज़ को, जो आम तौर पर बड़े बड़े शहरों और राजधानियों में थीं, स्टेट की तरफ से सब्सीडी देकर चलाया जाता था। आम तौर पर राजस्थान बनने के बाद भी राजस्थान में इन बड़े बड़े शहरों की म्युनीसिपल कमेटीज़ को स्टेट की तरफ से वैसे लोन देकर चलाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी तक राज्य सरकार यह फैसला करके, डिटर्मिन तरीके से यह आधार निर्धारित नहीं कर सकी कि किस प्रकार वह म्युनिसिपल बोर्ड अपनी आमदनी का जरिया इतना बनाये कि वह सेल्फ सफीशियेन्ट हो सके। उनको राज्य सरकार के पास बार बार अपनी सामान्य खर्चा चलाने के लिए और लोन्स के लिए न आना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, आज म्युनीसिपल बोर्ड्स की स्थिति इतनी भयावह है कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को पांच रुपये मंहगाई भत्ते में और देने का निर्णय किया उस पांच रुपये के मंहगाई भत्ते को म्युनीसिपल कमेटियां अपने कर्मचारियों को देने का निर्णय अभी तक नहीं कर पाई हैं, केवल इस कारण से, वह कहते हैं, कि हमारी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि अपने फंड्स में से इतना पैसा निकाल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को सिद्धान्ततः नहीं कहता कि शहरों में रहने वाली आबादी से या शहरों में होने वाली किसी प्रोपर्टी से कोई भी टैक्स वसूल हो तो वह सारा का सारा खर्चा शहरों पर ही होना चाहिए। मैं इस बात को तो स्वीकार नहीं करता जैसा कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से इस बात की शंका व्यक्त की गई कि सारा का सारा स्टेट का खर्चा देहातों और रूरल एरिया में होता है और शहरों की ओर कोई ध्यान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि वास्तविक रूप से यदि देखा जाय तो दरअसल बात उल्टी है, दरअसल हमारी स्टेट का एक्सपेंडीचर अर्बन ओरियेंटेड है, और रूरल एरियाज़ और देहाती एरियाज़ ज्यादा निग्लेक्टेड हैं। और उसकी वजह, उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ समझता हूँ कि सरकार की नीति ऊंचे तबके के लोगों को, सरमायेदारों को, बड़े बड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें पहुँचाने, ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिलाने की है। इसलिए असली मायने में चाहे शहरों में खर्चा हो और चाहे देहातों में खर्चा हो-इस सरकार की नीति ऊंचे वर्ग की सेवा करने की रहती है। और इस रूप में चूंकि शहरों में इस प्रकार का तबका अधिक होता है, इस सरकार की खर्च करने की नीति, समाज कल्याण या इस प्रकार की पब्लिक इन्स्टीट्यूशन्स को सपोर्ट करने की नीति इन जगहों पर होती है। तो मैं इस प्रश्न को नहीं रखना चाहता और न ही मैं समझता हूं कि इस सदन में इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक कन्ट्रोवर्सी-शहरों और देहातों की जनता में विरोध खड़ा करने के लिए-पैदा की जानी चाहिए। वास्तविकता तो यह है, उपाध्यक्ष जी, कि चाहे शहरों के रहने वाले गरीब हों और चाहे देहातों के रहने वाले गरीब हों-यह सबका दरअसल इस सरकार की डिस्क्रिमिनेटरी नीति का शिकार है और सरकार की नीति देहाती बेसिस पर नहीं है, गरीबों के बेसिस पर नहीं है बल्कि अमीरों के बेसिस पर है और अमीरों को डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली शब्सिडी करती है और रियायत देती है, उनको ज्यादा फायदा पहुँचाती है। और गरीबों की सेवा करने का नारा लगा कर, वोट लेकर भी यह सरकार उन पर ज्यादा टैक्स लगाती है और कम से कम सुविधा देने की कोशिश करती है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यदि हम अपनी लोकल बॉडीज़ को, अपनी स्वायत्त संस्थाओं को वास्तव में आत्म-निर्भर बनाना चाहते हैं, वास्तव में ऐसी संस्थायें बनाना चाहते हैं कि जो अपनी सही भूमिका अदा कर सकें, जो वास्तव में प्रजातंत्र में एक ओटोनोमस बॉडी सही रूप से प्रशासन को और जिम्मेदारी को सम्भाल ले। तो हमें निर्णय करना होगा कि किस प्रकार से हमारी पंचायतें, पंचायत समितियां और म्युनिसिपल बोर्ड्स आर्थिक रूप से, बजट के पहलू पर आत्म-निर्भर हो सकती हैं। अभी तक जो सरकार की नीति है वह यह नीति है कि जो सामान्य स्रोत हैं आमदनी के, उनको तो सरकार अपने हाथ में ले लेती है और इन लोकल बॉडीज के, इन म्युनिसिपल बोर्ड्स के, इन पंचायत और पंचायत समितियों के द्वारा अतिरिक्त टैक्स जनता के ऊपर लगाने के लिए मजबूर करती है। इस तरीके से उन लोगों का घोर विरोध करने के लिए मजबूर करती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह जो टैक्स है अर्बन लैंड टैक्स या चाहे इसको एन्टरटेन्मेंट टैक्स कह दें जैसा इसके लिये मेरे से पूर्व वक्ता माननीय सदस्य ने जिक्र किया इस तरह से अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट के अन्दर संशोधन रख कर या म्युनिसिपल एक्ट में संशोधन रख कर के जो अभी विचाराधीन है, ये टैक्स अर्बन इम्प्रूवमेंट से हो उसका हिस्सा लोकल बॉडीज़ को चाहे वे पंचायतें हों, चाहे म्युनिसिपेलिटीज़ हों, उनको मिलना चाहिये, इस बात को सरकार को निश्चित रूप से स्वीकार कर लेना चाहिये। सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। वह कमेटी इस पर अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँची और अगर हम इस कमेटी की सिफारिशों को देखें तो उन्होंने भी यही रूप दिया था। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस नीति में बुनियादी तौर से परिवर्तन करने की जरूरत है। जिन टैक्सों को सरकार लगाना चाहती है उसका हिस्सा लोकल बॉडीज़ को मिलना चाहिये। चाहे वह एन्टरटेनमेंट टैक्स हो, चाहे विहिकल्स टैक्स हो। उसका हिस्सा उनको यानि म्युनिसिपेलिटी या पंचायतों को, जैसी भी संस्थाए अरबन एरियाज़ में हैं मिलना चाहिये। इसलिये मैंने जो एमेंडमेंट मूव किया है उसमें धारा १५ (ए) की तहत उसमें यह किया है कि सरकार कितना कितना एमाउन्ट किस किस को देना चाहती है और कितना अपने पास रखना चाहती है और कितना लोकल बॉडीज़

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को देना चाहती है इसके लिये सरकार निर्णय करे। लेकिन यह ५० परसेन्ट से कम जो भी ग्रोस इन्कम हो उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर कलेक्शन ओफ टैक्सेज़ का काम भी आप उन पर छोड़ते हैं तो सरकार की मशीनरी उसमें लगती है उसके लिये लोकल बॉडीज़ को एडीशनल वर्क उठाने पड़ेंगे उसकी उनको मजदूरी मिलनी चाहिये। इसलिते क्लॉज़ १५ में मौजूद है : "in addition to that share which may be allotable under that,"

जो १५ (१) में प्रावधान है उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपेलिटीज़ या लोकल बॉडीज़ को दे उसके अलावा यह होना चाहिये। यह मेरा दूसरा संशोधन है। मैं समझता हूं कि इसको माननीय मंत्री स्वीकार करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) : उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : That will make it very late.

श्री भैरोंसिंह : यही तो एक इम्पोर्टेन्ट बात है। इसी पर तो मैं बोलना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Then please be very brief and confine yourself...

श्री भैरोंसिंह : सदा ही अपनी आदत के मुताबिक कन्फाइन करके चलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस सेक्शन की इन्कम का हिस्सा म्युनिसिपेलिटीज़ को मिले और वह ५० परसेन्ट से कम नहीं हो, इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत किया है। इस संशोधन का मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक हम नगरपालिकाओं और सरकार इन दोनों के बीच आमदनी का इन्डिपेन्डेन्ट जरिया कौन कौनसा होगा इसका निर्णय अभी तक नहीं कर पाये। जो कुछ भी हमने निर्णय किया है उस पर सरकार एन्क्रोचमेंट की नीति को अभी तक छोड़ नहीं पाई है और इन दोनों का परिणाम यह हो रहा है कि नगरपालिका को इन्कम के बेसिस पर टैक्सेज़ के जरिये जो उसकी आमदनी हो सकती है, इस अच्छे मार्ग से अलग होकर इस प्रकार का डाइरेक्ट टैक्स लगाने के लिये उनको मजबूर होना पड़ता है जिन डाइरेक्ट टैक्सों का समर्थन वहां की जनता नहीं करती। नगरपालिका जब इस प्रकार के टैक्सों का विचार करती है और वहां पर लागू करने की चेष्टा करती है उस समय इस प्रकार के टैक्स लागू करने वाली मशीनरी के खिलाफ जनता में वातावरण बनता है और उसका विरोध किया जाता है और स्थिति इस प्रकार हो जाती है कि वहां की जनता द्वारा चुनी हुई नगरपालिका के सदस्यों और जनता में इस प्रकार की भावना पैदा हो जाती है जैसे वे कोई अलग अलग हों और अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं और एक दूसरे के विरोधी हों। जब स्वायत्त शासन में इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

की स्थिति पैदा हो जाए और इस प्रकार के भाव पैदा हो जाते हैं कि चुने हुए सदस्य जनता की आर्थिक स्थिति को नहीं पहिचान पाते हैं और टैक्स का भार उन पर डाल कर टैक्सों के जरिये उन लोगों को हैरान करना चाहते हैं, तो जनता में इस प्रकार का फीलिंग बनता जाता है कि हम टैक्स देने की स्थिति नहीं रखते, उस पर भी नगरपालिका टैक्सों का प्रावधान करती है तो उन दोनों के बीच में आपस में विरोधाभास बढ़ता जाता है और उसका परिणाम हम टैक्सों के रूप में नहीं, आंकड़ों के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, लेकिन नगरपालिका की वास्तविक स्थिति देखेंगे तो पता चलेगा कि पब्लिक का उन चुने हुए सदस्यों में धीरे धीरे कॉन्फीडेन्स लूज़ होता जा रहा है। यह डेमोक्रेसी में कोई अच्छी चीज नहीं है।

डेमोक्रेसी का मुख्य सिद्धान्त है कि जनता में उनके प्रति विश्वास और सहयोग करने की भावना पैदा हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जहां हमारी सरकार ग्राम पंचायतों या नगरपालिका को अधिकार देगी डाइरेक्ट टैक्सों को वसूल करने का और उसका नतीजा यह होगा कि जनता और उनमें आपस में भेद-भाव पैदा होगा और इसका परिणाम यह होगा कि जिस नगर की नगरपालिका के माध्यम से विकास करना चाहते हैं वह नहीं होगा और वह म्युनिसिपेलिटी झगड़े की खान बन कर जनता के साथ भेद-भाव उत्पन्न करने की स्थिति पैदा करेंगे।

हम देखें तो नगरपालिका के कानून में कम्पल्सरी टैक्स इम्पोज़ करे, कुछ ऐसी बात है। एक टैक्स है :

"(1) a tax on the annual letting value of buildings or lands or both, situated within the municipality."

नगरपालिका मकानों पर ही टैक्स नहीं लेती अगर कोई दूसरी भूमि हो उस पर टैक्स लगा सकती है और उसके साथ साथ नगरपालिका को यह अधिकार है :

"106. Levy of rate on buildings.- A board may, in lieu of imposing separately all or any of the taxes mentioned in clauses (vi), (viii) and (x) of section 105, impose a consolidated tax as a rate on buildings or lands or both."

तो नगरपालिका को हमने हाउस टैक्स लगाने का अधिकार दिया था, भूमि पर भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया। सरकार ने यह प्रावधान रखा है कि नगरपालिका टैक्स लगाए। हाउस टैक्स लगाए और अगर अगर कोई म्युनिसिपेलिटी टैक्स नहीं लगाती तो सरकार के लेटेस्ट सक्यूलर के अनुसार उनको ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जावेगी, जिन्होंने कम्पलसरी टैक्सों को लगाने या लागू करने में कोई किसी तरह की कोताई करें। अन्दाज लगावें कि जनता पर टैक्स लगे और एक टैक्स अर्बन एसेसमेंट के आधार पर लगेगा इसका मतलब यह होगा कि टैक्सेज़ बढ़ेंगे और इन टैक्सेज़ का बर्डन उन लोगों पर बढेगा जिनकी आमदनी से म्युनिसिपेलिटी की आय बढ़ेगी। कम्पलसरी टैक्स लगा कर सरकार एक तरफ टैक्स वसूल करेगी लेकिन इसका असर यह होगा कि नगरपालिका के टैक्स पेईज़ हैं वे कोताई करेंगे और टैक्स कम आएगा। नतीजा

(श्री भैरोंसिंह)

यह होगा कि हमारे यहां हाउस और लैन्ड टैक्स की आमदनी होती है वह कम होगी और सरकार की इन्कम जिससे बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ेगी। अब सरकार ने यह व्यवस्था की है कि टैक्सेज़ म्युनिसिपेलिटीज़ की मारफत रिएलाइज़ किये जावे और उसके लिये सरकार ५ प्रतिशत और देगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने पटेलाई प्रथा को समाप्त किया और आप यह ५ प्रतिशत लगा करके पटेलाई प्रथा को वापिस शुरू करना चाहते हैं, मगर इन दोनों के बीच में अन्तर है। उनके बीच में कोई दूसरी मशीनरी नहीं है। वह एक आदमी ही मेहनत करता था और उसको मेहनत के रूप में टैक्स का कुछ हिस्सा देते थे। जब इसको म्युनिसिपैलिटी वसूल करेगी तो आपने यह कैसे लगाया कि यह मेग्जिमम ५ प्रतिशत ही मशीनरी पर खर्च होगा। आप इस बात को मान कर चलिये कि जितना खर्चा आप देना चाहते हैं उससे ज्यादा पैसा खर्च होगा....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें। दो-तीन मिनट में।

श्री भैरोंसिंह : दो-तीन मिनट में समाप्त नहीं हो सकता। आप आज्ञा दें तो मैं बैठ जाऊं। ऐसे इम्पोर्टेन्ट क्लॉज़ पर भी अगर इस तरह घंटी बजेगी तो इससे अच्छा है कि मैं बैठ जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : आप चलिये।

श्री भैरोंसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार के इश्यूज़ पर हमें थोड़ा गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। आज चाहे लेजिस्लेचर के पॉवर्स बढ़ाये हों, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के प्रति श्रद्धाओं का निर्माण किया हो पर स्वायत्त शासन संस्थाओं के प्रति जनता का सम्मान किस तरह से बढ़े इस तरह की चेष्टा सरकार की ओर से नहीं की गई है। यदि भारत सरकार किसी भी तरह हमारे टैक्सेज़ के ऊपर एन्क्रोचमेंट करती है, हमारी इन्कम के ऊपर किसी भी तरह से एन्क्रोचमेंट करती है, इन्कम टैक्स, एक्साइज़ टैक्स और दूसरे टैक्सेज़ के रूप में एन्क्रोचमेंट करती है तो जिस समय फाइनेन्स कमिशन की नियुक्ति होती है, राज्य सरकार, राज्य सरकार का फाइनेन्स डिपार्टमेंट, और राज्य सरकार की सारी मशीनरी इस बात की कोशिश करती है कि भारत सरकार को जो हमारे टैक्सेज के रूप में आमदनी हुई है, उसका हिस्सा हमको दे, डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली उसका हिस्सा हमको दे और यदि डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली नहीं मिलता है तो राज्य सरकार भारत सरकार को धमकी भी दे। राजस्थान सरकार अपनी इन कमजोरियों को महसूस करते हुए भी उस अपनी दृष्टि से नगरपालिकाओं का मूल्यांकन नहीं करना चाहती। नगरपालिकाओं के टैक्स आप खाते हैं, नगरपालिकाएं आपको नहीं कह सकतीं कि हमारा टैक्स आप हमें दो, नगरपालिकाओं की इन्कम को आप खा जाते हैं, नगरपालिकाओं को नहीं देते, इसका असर वहां रहने वाली जनता पर पड़ता है। नगरपालिकाएं सफाई का इन्तजाम नहीं कर सकतीं, सड़कों का निर्माण नहीं कर सकतीं, पानी का इन्तजाम नहीं कर सकतीं, पब्लिक लेट्रिन्स का इन्तजाम नहीं कर सकती, यूरिनल्स का अभाव

(श्री भैरोंसिंह)

है, उस अभाव को पूरा नहीं कर सकतीं, इन एसेन्शियल चीजों की, पब्लिक एमिनिटीज़ की जितनी चीजें हैं उनको कर्व करने की गरज से यदि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करती है तो वह जन-जीवन पर एडवर्स इफेक्ट करती है, आपके कन्सोलिडेटेड फण्ड के ऊपर असर नहीं करती। आपका लक्ष्य एक होना चाहिये, जिस तरह भारत सरकार से आपकी आमदनी के हिस्से की आप मांग करते हैं उसी प्रकार आपका लक्ष्य एक होना चाहिये कि जिन जिन क्षेत्रों के टैक्सेज़ हैं, उनको आप वसूल करते हैं तो उनका एक निश्चित हिस्सा वहां की नगरपालिकाओं को देना चाहिये, जैसा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि वह नगरपालिकाओं को दिया जाय। नगरपालिकाओं का खर्चा आप करते हैं और फिर उनके ऊपर उसको इम्पोज़ करने की स्थिति में आप आते हैं। ४ लाख के व्हील बैरोज आपने खरीद लिये, उसमें लाखों का घोटाला हुआ, आपके अधिकारियों ने लाखों रुपयों का फायदा उठाया और नगरपालिका को अकाउन्ट डेबिट करने का लिख दिया, १० लाख इधर से वसूल करना चाहते हैं, चार लाख रुपया व्हील बैरोज़ का बता कर रुफाया करना चाहते हैं, वह आप नहीं कर सकते। आज नगरपालिकाओं की इन्कम को सरकार किस प्रकार खा रही है और उस पर यह कह रही है कि उन्हें ग्रान्ट-इन-एड नहीं दी जाय। पचास वर्ष के पहले के बाबा आदम के जमाने की बकाया निकाल कर नगरपालिकाओं को धमकाया जाय कि यदि यह बकाया नहीं चुकाते तो नगरपालिका को भंग कर दिया जायगा। इससे तो अच्छा यह हो कि सरकार एक इस प्रकार की आज्ञा निकाल दे, कानून निकाल दे कि नगरपालिकाओं के कानून को वापिस लिया जाता है, सारी एमिनिटीज़ को सरकार विथड्रा करती है। पर सरकार न तो ऐसा कानून लाती है, न उनकी आमदनी को उन्हें देना चाहती है, वह तो इन्हें इस मौत से रिबा रिबा कर मारना चाहती है कि जिस मौत से न तो मरने वाले को ही कोई मजा आय और न मारने वाले को मजा आता है। इसलिये मैं खास तौर से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने नगरपालिका अधिनियम बनाया था, हमने उसमें इनकी इन्कम के जरिये नियत किये थे, यह सरकार आज उन पर एन्क्रोचमेंट कर रही है वह इस सदन के साथ विश्वासघात है, इस सदन द्वारा दी हुई सिविक एमिनिटीज़ को किस प्रकार कर्व किया जाय इस बात की व्यवस्था करने जा रही है। इसलिये इस प्रस्ताव का डट कर समर्थन किया जाय और इसे मंजूर करा के नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने की चेष्टा की जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि समयाभाव को ध्यान में रखते हुए ब्रीफ में कहें तो अच्छा होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १५ के सब-क्लॉज़ (५) को डिलीट करने के लिये अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि सब-क्लॉज़ ५ को रखने में सरकार की नीयत क्या

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है। क्लॉज़ १५ की सब-क्लॉज़ ५ कहती है कि जहां राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट के प्रावधानों में और नियमों में, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों और नियमों में और अर्बन लैंड टैक्स एक्ट के प्रावधानों और नियमों में कहीं कन्फ्लिक्ट हो तो अर्बन लैंड टैक्स के प्रावधान सुप्रीम होंगे।

क्या सरकार सोचती है कि अर्बन लैंड टैक्स बिल, राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट और राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के प्रावधानों में कन्फ्लिक्ट आने वाला है ? एक ही कन्फ्लिक्ट आने वाला है वह यह है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के नियमों में प्रावधान है कि किसी को प्लॉट अलॉट किया गया, दो वर्ष तक उसने उस प्लॉट को यों ही पड़ा रखा, मकान नहीं बनाया तो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अधिकार है कि उससे उस प्लॉट को सरेंडर करा ले, वन फोर्थ उसकी कीमत उसको वापिस दे दे और वह प्लॉट सरेंडर करा ले। सरेंडर कराने के बाद नीलाम कर दे। यह प्रावधान अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट में है, वह एक प्रगतिशील प्रावधान था, उसको यदि कड़ाई से एग्ज़ीक्यूट किया जाता, जहां इस बिल के, इस प्रावधान से सरकार १० लाख रुपया वसूल करना चाहती है वहां मैं कहता हूं कि यदि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट के कम्प्लीट प्रावधानों का पूर्ण रूप से एग्ज़ीक्यूशन किया जाता तो एक साल में ही गवर्नमेंट को २ करोड़ रुपयों की आमदनी होती। सरकार को नहीं अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को २ करोड़ की आमदनी हो सकती थी, पर सरकार नहीं चाहती कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को इस तरह के प्लॉट्स सरेंडर कराये जायं, क्योंकि यदि सरेंडर कराये जायं तो बड़े बड़े आदमियों के प्लॉट्स छिन जाते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारियों ने, प्रभावशील आदमियों ने, जो पहले अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चैअरमैन रह चुके हैं उनके भाई भतीजे, रिश्तेदारों के नाम से प्लॉट दिये गये हैं, वे सरेंडर हो जाते हैं। क्या सरकार ने कभी जांच की है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भूतपूर्व चेअरमैन श्री देवीशंकर तिवारी के भाई-भतीजों, रिश्तेदारों के नाम कितने प्लॉट्स हैं, जो बने नहीं हैं। पर सरकार उन्हें सरेंडर नहीं कराना चाहती। आप हम लोगों के दबाव से उनसे केवल दो परसेंट टैक्स वसूल करना चाहते हैं। राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में हर प्लॉट की कीमत १०० प्रतिशत बढ़ी है, यदि उन्हें सरेंडर कराया जाय तो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दो करोड़ की आमदनी हो सकती है; पर सरकार उन्हें सरेंडर नहीं कराना चाहती, केवल दो परसेंट टैक्स लेना चाहती है। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसी प्रकार उन्हें सरेंडर कराने की हिम्मत भी करे तो उस पर रोक लगाने के लिये इस प्रकार का प्रावधान सरकार इसमें कर रही है कि अर्बन लैंड टैक्स कानून के प्रावधान सुप्रीम होंगे। इसलिये यह किया है कि एक परसेंट टैक्स ट्रस्ट राजस्थान की हुकूमत को दे दे। टैक्स के सिद्धान्त को हमने ठीक समझा है, उसका हमने समर्थन भी किया है। पर ५० परसेंट जहां मिल रहा है उसके स्थान पर यह तो दो परसेंट टैक्स लगाने की सरकार ने बात की है उसका हम विरोध करते हैं। जो लोग प्लॉट्स खरीद कर मकान नहीं बनाना चाहते, प्लाट्स का व्यापार करना चाहते हैं, उन्हें इस प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती कि वे

Page No. 96

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

प्लॉटस का व्यापार करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्बन लैंड टैक्स बिल के प्रावधानों में सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिये। यदि हमने अर्बन लैंड टैक्स बिल के २ परसेंट टैक्स वसूल करने के प्रावधान को सुप्रीमेसी दी और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट में जो सरेंडर कराने का प्रावधान है उसको सर्कम्वेन्ट रख दिया तो आप यह कभी दावा नहीं कर सकते कि आप समाजवाद लाना चाहते हैं, समाजवाद की विन्डो ड्रेसिंग जरूर की होगी। दो करोड़ रुपयों की आमदनी को छोड़ कर १० लाख की आमदनी करना चाहते हैं तो इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।

यह १० लाख की आमदनी जो आप करना चाहते हैं, इस आमदनी को करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको चाहिए था कि आप इस आमदनी को सारे का सारा म्यूनिसिपेलिटीज़ को ट्रांसफर करते और ज्यादा से ज्यादा उसका पचास प्रतिशत आप अपने कन्सालीडेटेड फंड में रख सकते थे। लेकिन म्यूनिसिपेलिटीज़ के फंड्स को इम्प्रूव करने की आपको चिंता नहीं है। आप तो कहते हैं कि चूंकि हम हाउस टैक्स म्युनिसिपेलिटीज़ ने वसूल नहीं किया इसलिए हमने उनको यह अधिकार नहीं दिया है। आप तो उनको ही एसेसिंग ऑथोरिटी इसकी बनाएंगे जहां म्युनिसिपैलिटीज़ आपके पक्ष की होंगी। जहां भी विरोधी दलों की म्युनिसिपेलिटीज़ होंगे उनको आप एसेसिंग ऑथोरिटीज़ नहीं बनाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको एक म्युनिसिपेलिटी को नहीं बल्कि सारी नगरपालिकाओं को आपको एसेसिंग ऑथोरिटी बनाना चाहिए और यदि आप नहीं बनाना चाहते तो हाउस टैक्स लेने के जो अधिकार उनको दे रखे हैं उनको भी वसूल करने का अधिकार राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले। यदि म्युनिसिपेलिटी लेक्सिटी करती है तो राज्य सरकार बर्दाश्त क्यों करती है, उस म्युनिसिपेलिटी का हाउस टैक्स राज्य सरकार वसूल करे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आज राज्य सरकार हाउस टैक्स वसूल नहीं हो इस बात को बरदाश्त कर सकती है, लेकिन अर्बन टैक्स वसूली में म्युनिसिपेलिटीज़ को भागीदार नहीं बनाना चाहती। सरकार की इस नीति का कतई हम समर्थन नहीं करते। यदि स्वायत शासन संस्थाओं को कमजोर रखा तो जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बात केवल कागजों पर ही रह जाएगी और वे कागज एक दिन रद्दी की टोकरी में चले जाएगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब चुनाव के दिन आते हैं, म्युनिसिपल के मेम्बरों और चेयरमैनों को गालियां दी जाती हैं लेकिन राजस्थान की सरकार को उनकी स्थिति में परिवर्तन कराने की चिंता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए अर्बन लैंड टैक्स का पचास परसेंट कम से कम म्यूनिसिपेलिटीज को दिया जाय और सिर्फ ५० परसेंट कन्सोलीडेटेड फंड में जमा कराया जाय। इस बात की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं केवल पांच मिनट का समय लूंगा।

Page No. 97

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अर्बन लैंड टैक्स के क्लॉज़ १५ के बारे में उसमें सेक्शन ५ को डिलीट करने का मैं समर्थन करता हूं और मुख्य रूप से इसलिए कि जो आमदनी हम म्युनिसिपल टैक्स या अर्बन लैंड टैक्स के जरिए पैदा करना चाहिते हैं जिसका मुख्य सिद्धांत हमने एक तो ओपन लैंड या कन्वर्शन ऑफ दी लैंड इन अर्बन इम्प्रूवमेंट एरियाज़ या म्यूनिसिपल एरियाज़ में रखे हैं उनके संबंध में हमारी वाजिब दलील यह है कि जब किसी लैंड का कन्वर्शन होता है तो या तो सारी कॉम्युनिटी को कन्वर्शन से प्राइस रेज़ होती है, उसमें सारी कॉम्युनिटी हकदार होनी चाहिए या कोई हम स्कीम बनाते हैं उस स्कीम से अगर लैंड की प्राइस रेज़ होती है तो उसके लिए भी कॉम्युनिटी का शेयर बहुत इम्पोर्टेंट है और जहां पर अर्बन एरियाज़ में ओपन स्पेस है वहां टैक्स लागू हो। पहले तो आपके दिमाग में स्लैब सिस्टम नहीं था, लेकिन अब दो परसेंट स्लाइडिंग कर दिया है और उससे पैदा होने वाली आमदनी के संबंध में सारी की सारी आमदनी आपने कन्सोलीडेटेड फंड में लेनी चाही है । यह सही है कि सोसाइटी को उसके लिए फायदा होना चाहिए, लेकिन जो स्थिति आज म्यूनिसि-पेलिटीज़ की है, राजस्थान की किसी भी म्यूनिसिपेलिटी में हम सेल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी क्रिएट नही कर सके और उसके साथ साथ जहां कि अर्बन लैंड टैक्स और रेवन्यू टैक्स के आपस में कॉन्ट्रीडिक्शन के सिलसिले में हम अर्बन लैंड टैक्स को सुप्रीमसी देते हैं, उस सिलसिले में नैचरल तरीके से जो प्लॉट्स खाली पड़ जाते हैं, हम उनको एक किस्म की एग्जेम्पशन देते हैं । आज तक हम एक भी म्यूनिसिपेलिटी राजस्थान में क्रिएट नहीं कर सके जिसकी सेल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी हो । पंजाब के अंदर म्यूनिसिपेलिटीज़ हैं, कैनाल एरियाज़ के अंदर हैं, जिन्होंने खाली ड्रेनेज से बहुत बडी इकोनोमी क्रिएट कर ली है या मन्डीज़ के अंदर म्यूनिसिपेलिटीज ने दूकानें बनाकर किराए पर देकर सेल्फ जेनरेटिंग इकोनोमी क्रिएट कर ली है । जहां म्यूनिसिपेलिटीज़ का अपना फर्ज है, राजस्थान की कोई भी म्यूनिसिपेलिटी नहीं कर पाई है ।

सबसे बड़ा फर्ज है स्लम क्लीयरेंस । यह बहुत बड़ा प्रोब्लेम हो गया है तथा हम एन्टर्टेन्मेंट टैक्स के संबंध में या ग्रान्ट-इन-एड के संबंध में भी हम कोई कन्डीशन्स इम्पोज़ करें कि हाउस टैक्स वसूल करें और इस जरिए से होने वाले कलेक्शन में हम म्युनिसिपेलिटीज़ का हिस्सा न रखें तो उनके साथ बहुत अन्याय होगा और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि बहुत क्लियरली यह प्रावधान होना चाहिए कि तीन साल या दो साल से अधिक जो प्लॉट्स वैकेंट हो उनके १।४ प्राइस को रिटर्न करके सरकार उस प्लाट को ले ले । सारे राजस्थान में चाहे किसी उपमंत्री का कोटा के अंदर प्लॉट हो, चाहे गंगानगर के सेठों के प्लॉट्स हों, जो अधिक म्यूनिसिपेलिटीज़ के इलेक्शन का टार्गेट है, ये जो प्लॉट्स इल्लीगल तरीके से ले रखे हैं वे म्युनिसिपेलिटीज़ के अंदर अनाप–शनाप पैसा खर्च करते हैं । गंगानगर की म्युनिसिपेलिटी के जो प्रेसीडेंट बने हैं श्री चित्तलंगीर उन्होंने रेकार्ड ब्रेक किया है । उन्होंने ८–१० लाख रुपए खर्च किए हैं म्युनिसिपल प्रेसीडेंट बनने के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लिए । अगर आप जांच करवाएं तो मंत्रियों की जांच करवाएं, देवीशंकर तिवाड़ी यू० आई० टी के प्रेसीडेंट की जांच कराइए, तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान की हर म्युनिसिपेलिटी में पांच पांच साल से प्लॉटस् खाली पड़े हैं, कोई कन्वर्शन इमेजिन कर रहा है, कोई फैक्ट्री, तो कोई भाट्टा लगाना चाहता है ।

तो केवल दो परसेंट टैक्सेशन उनके लिए काफी नहीं है' यह तो बहुत आसान है मिस्टर चित्तलगीर जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने पांच-दस लाख रुपए खर्च करके गंगानगर म्यूनिसिपेलिटी में कम से कम ४०—५० प्लॉट्स् खाली गंगानगर के अंदर रख रखे हैं, पैट्रोल पम्प के प्लॉट्स् रख रखे हैं। जिसने आज से दस साल पहले कोई दस हजार में प्लॉट खरीद रखा है तो आज उसकी १०० गुना कीमत बढ़ चुकी है । तो ऐसी हालत में मैं यह कहूंगा कि कन्सोलीडेटेड फंड के अंदर म्युनिसिपेलिटीज् को लाजमी कुछ राशि दें । इस टैक्स का मैं स्वागत करता हूं कि सरकार ने इस प्रकार से बिल लाने की बात सोची है, लेकिन जब सरकार लागू कर रही है तो सरकार इस तरह से लगू करे कि सरकार को भी अधिक फायदा हो । अगर दो साल से ऊपर वाले आप प्लॉटस् लेते हैं तो सरकार के पास करोड़ों रुपए आते हैं तो इसमें सरकार को हिचक नहीं होनी चाहिए कि कुछ रुपया कन्सोलीडेटेड फंड से लेकर, कुछ परसेंटेज म्युनिसिपेलिटीज् को दें । इसलिए मैं अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि एक परसेंटेज कन्सोलीटेड फंड में दी जाय अपटु ५० परसेंट और क्लॉज ५ को कम्प्लीटली डिलीट किया जाय । बिल्कुल इस जगह पुट-अप किया जाय कि जो प्लाट्स् दो साल से वैकेंट पड़े हैं तो सरकार उनको १।४ राशि रिटर्न करके अपने पजेशन के अंदर ले लेगी और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जांच करवाए, कोई कमेटी बिठाए जो इस इश्यू को अच्छी तरह से प्रैस करवाए तो सरकार को करोड़ों रुपयों की आमदनी इससे होने वाली है जिससे म्यूनिसिपेल्टियों की गरीबी दूर हो सकती है और सरकार को भी फायदा हो सकता है ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) : क्लॉज़ १५ पर जो संशोधन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे हैं उनको सपोर्ट करते हुए जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए क्लॉज़ १५ पर, उन पर कुछ कहने से पूर्व मैं क्लॉज़ ५ के ऊपर जो सब-क्लॉज़ (५) को डिलीट करने का प्रस्ताव कालायत और रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने रखा है उसका उत्तर देना चाहता हूं । उनके कहने का मतलब यह था कि जयपुर के ४०० के करीब प्लॉट्स् जिन व्यक्तियों को अलॉट किए थे और उस अलॉट करने के समय उनको रिस्पूलेटेड पीरियड में कन्स्ट्रक्शन करने की जरूरत थी जो दो साल का था क्योंकि दो साल का पीरियड एक्स्पायर हो गया है इस लिए एक्स्पायर होने के बाद में राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट टैक्स के अन्दर प्रावधानों में ऐसा उल्लेख है कि उस जमीन को जिसका दो साल के भीतर कोई मकान कन्स्ट्रक्ट नहीं किया है, तो ट्रस्ट में वह वापिस रीएन्टर हो

(श्री परसराम मदेरणा)

सकती है। मैंने ट्रस्ट के एक्ट को और बाई-लॉज और रूल्स को देखा हैं। इस प्रकार का कोई प्रावधान मुझे देखने को नहीं मिला। यह बात जरूर है कि उसमें जो पट्टा इश्यू होता है उसके अन्दर जरूर कुछ टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स हैं। जिन लोगों ने जयपुर में चार सौ प्लॉट पर मकान नहीं बनाये, ट्रस्ट ने उनको शो-कॉज नोटिसेज़ सर्व किये और शो-कॉज़ नोटिस सर्व करने के बाद उन व्यक्तियों के रिप्लाई आये हैं, वे ट्रस्ट के अन्डर कन्सीडरेशन में हैं और उसके लीगल इम्प्लीकेशन्स क्योंकि सिर्फ पट्टे में ऐसी कन्डीशन है बाकी एक्ट इट सेल्फ में कोई इस प्रकार की री-एन्टी करने का नहीं है, जैसी मुझे जानकारी है और अगर ऐसा प्रोवीज़न होता भी तो मैं यह नहीं समझ पाया कि री-एन्ट्री का इस टैक्स की लेवी से क्या सम्बन्ध है और उसका और इसका प्रोवीज़न कहां एक दूसरे के कॉन्फलिक्ट में आते हैं। यह टैक्स अपनी लैंड पर है और रिवर्स होकर दूसरे को अलॉट करते हैं तो यह हो सकता है कि पर्टीकुलर साल में री-एन्ट्री हो जाय तो इस लैंड टैक्स से कोई आमदनी नहीं होगी इन चार सौ प्लॉट की। यह मैं मानता हूं चूंकि ऑथोरिटी वापिस ले सकते हैं और ट्रान्सफर किये हुए नहीं हैं लेकिन रीएन्ट्री करना चाहते हैं खाली पड़े हुए प्लॉटों की, सेक्शन ५ का कहीं रेस्ट्रिक्शन है कि रीएन्ट्री नही हो सकती। एक्ट में जैसा मैंने कहा कि प्रावधान नहीं है और आप कहते हैं कि है, मान लीजिए कि अगर है तो रीएन्ट्री होनी चाहिए तो यह क्लॉज़ और वह क्लॉज़ कान्फि-लक्ट में कहां आते हैं ? जिस तरीके से प्रोपर्टी को ट्रान्स्फर करना चाहिये, प्रोपर्टी के ट्रान्स्फर में ट्रस्ट एक्ट में जैसी कन्डीशन है, जिस प्रकार का प्रोविज़न है, जो रूल्स बने हुए हैं, जो प्रोवीज़न है वह रहेगा। इस बिल का सम्बन्ध तो सिर्फ लैंड टैक्स से लेवी करने का है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : लैंड टैक्स से लेवी करने का आपने कहा ठीक है। पट्टे में कन्डीशन्स हैं कि दो साल में नहीं बनायेंगे तो रीएन्ट्री करने का ट्रस्ट को हक होगा। पर्टीकुलर कन्डीशन भी नहीं लगावें तो क्राउन्स ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत भी कर सकते हैं। यह कहना कि कानून में प्रावधान नहीं है इसलिए यह बेमानी है। इस शर्त पर ही प्लॉटस दिये है कि दो साल में बना दें। अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सामने आपके इस प्रोवीज़न के रखने से उनकी यह प्ली होगी कि टैक्स हम दे चुके हैं यह लीगेलाइज़ ढंग से रखा है, इसलिए उनकी प्ली को आप किसी प्रकार काट नहीं कर सकेंगे। इधर आपने यह रखा कि यह सुप्रीम होगा इसलिए रीएन्ट्री के प्रोवीज़न्स सब-सर्वियेन्ट हो जाते हैं। इसको साफ किया जाना चाहिये। अगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट में प्रावधान नहीं है तो आप प्रावधान ला सकते हैं, अमेंडिंग बिल ले आइये।

श्री परसराम मदेरणा : प्रावधान लाने का तो अलग प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता कि ट्रस्ट को आमदनी है, यह टैक्स रियेलाइज़ करके उस लोकल बॉडी का बहुत बड़ा टैक्स आने वाला हो उससे महरूम रखा जाय। लेकिन पट्टे की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स हैं उनकी लाइट में इसके लीगल इम्प्लीकेशन्स क्या हो सकते हैं, वे रिएन्टरी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जहां आपने क्राउन

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रान्टस एक्ट की बात कही है जो अब स्टेट ग्रान्टस एक्ट है, ट्रान्सफर करते वक्त ट्रान्सफर डीड में मेमन्श है तो प्रोपर्टी रिवर्ट बैक हो सकती है लेकिन पट्टे का कहीं पर ट्रस्ट एक्ट में हवाला नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) पट्टे में कन्डीशन्स हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप इसके लीगल इम्प्लीकेशन्स देखिये। पट्टे की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स को डीड की टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स मान सकते हैं, ये पॉवर्स स्टेट ग्रान्ट एक्ट के नीचे राज्य सरकार वेव कर सकती है या नहीं कर सकती, यह लीगल इश्यू है, इसपर ट्रस्ट लीगल राय ले रहा है और आखिर में राज्य सरकार के पास प्रस्तुत करेंगी तो उस वक्त हम देख सकते हैं कि क्राउन ग्रान्ट एक्ट में रिवर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते जबकि वे खुद नहीं कर सकते। ये दोनों लीगल क्वश्चेन्स हैं। ट्रस्टके एक्ट में अभी कोई प्रावधान नहीं है कि वह रिएन्ट्री कर सकता है। ट्रस्ट एक्ट में इन दी लाइट ऑफ दीज़ कन्डीशन्स उसको एग्जामिन करवाया जा रहा है इसलिए वह आमदनी होने वाली थी और इससे हमने उनको वंचित रख दिया है, मैं समझता हूँ कि इन्फरन्सेज़ और सर्माइसेज़ पर ज्यादा है। एक्चुअली कानून के परव्यू में आता नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आप एक्स्प्लेन कर दीजिये कि क्लॉज़ ५ रखने से राज्य सरकार का इन्टेन्शन क्या है, क्या सरकार इससे हासिल करना चाहती है। आप कहते हैं, जहां कान्फ्लिक्ट होगा वहां हमारा निर्णय सुप्रीम होगा। कौन कौन से कॉन्फलिक्ट आप एक्सेप्क्ट करते हैं और कौन से नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : कई प्रकार के मुद्दे आ सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लॉ डिपार्टमेन्ट ने एग्ज़ामिन करके बताया होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको निवेदन करूं कि एपर्टीनेन्ट एरिया प्रेस्क्राइब करने का सवाल है। म्युनिसिपेलिटीज़ के बाई लॉज़ होते हैं। अलग अलग एपर्टीनेंट एरियाज़ हैं राजस्थान में, कहीं कहां कितनी खाली जगह छोड़ते हैं मकान के पास में। सब-क्लाज 'क' में प्रेस्क्राइब करेंगे तो उनके बाई-लॉज से कॉन्फलिक्ट करता है तो इस बिल में ये बातें, इसे एनेक्टमेन्ट होने के बाद, ओवर राइड होना चाहिये यह प्रिकॉशनरी मेज़र्स के लिए लाया गया है। और भी मामले हो सकते हैं। यह रूटीन नेचर का है।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन १५ के सब-क्लॉक ४ में और उसके बाद में १५ ए नया क्लॉज़ जोड़ा है, उन दोनों का तात्पर्य एक ही है। इस टैक्स से जो आमदनी हो वह आमदनी म्युनिसिपेलिटी और राज्य सरकार के बीच में शेयर की जानी चाहिये। उसकी माननीय सदस्यों ने एक तो यह दलील दी है कि आज के राज्य का जो एक्स्पेन्डीचर है वह अर्बन ओरियेन्टेड एक्स्पेन्डीचर है और रूरल एरिया को इग्नोर किया जा रहा है और अर्बन एरिया में एक्स्पेन्डीचर किया जा रहा है। मैं समझता हूँ रूरल एरिया से आये माननीय सदस्यों की

(श्री परसराम मदेरणा)

तकरीरें सुनी होंगी, वे ज्यादातर यह कहते हैं कि ज्यादातर खर्चा अर्बन एरिया में होता जा रहा है और रूरल एरिया में चाहे छोटे से प्रोजेक्ट को हाथ में लें हर प्रोजेक्ट पर उनको अपना कोंन्ट्रिब्युशन करना पड़ता है जब कि सिटीज़ में नहीं है। इसलिए यह खर्चा ज्यादा रूरल ओरियेन्टेड होना चाहिये। इस दलील को आगे न ले जाकर इतना ही निवेदन करूंगा। कि एक ओर राज्य सरकार म्युनिसिपेलिटीज़ को ग्रान्ट-इ-नएड देती है, रोड्स कन्स्ट्रकशन के लिये चालीस प्रतिशत देती है, डियरनेस अलाउन्स के लिये एडहॉक ग्रान्ट देती है, इसके अलावा वाटरवर्क्स के लिये लोन देती है, एन्टर्टेनमेंट टैक्स में शेयर देती है तो फिर मैं समझ नहीं पाया एक ओर लोन देती है ग्रान्ट-इन-एड देती है दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा बजट के सन्तुलन के लिए जो कुछ टैक्सेज़ लगाये गये हैं, यह टैक्स जो हमारे बजट में घाटा है उसको पूरा करने के लिये लगाया गया है, उसमें से म्युनिसिपेलिटीज़ को दिया जाय यह कतई उचित नहीं होगा। आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज जो हमारे बजट की स्थिति है, आमदनी और खर्च में जो अन्तर है, उसको देखते हुए जो इन्कम इस टैक्स द्वारा होगी, वह स्टेट के कन्सोलिडेटेड फन्ड में आनी चाहिये।

(१.०० म. प.)

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने हाउस टैक्स की बात कही और कहा कि हाउस टैक्स जहां लगा सकते हैं वहां लैंड टैक्स भी लगा सकते हैं। लगाने को तो लगा सकते हैं लेकिन मैं यह निवेदन करूं यह लैण्ड टैक्स है वह सेवन्थ शिड्यूल के अन्दर है जिस प्रकार से यू० पी० के अन्दर बिल्डिंग और लैण्ड दोनों पर लगाया है। हम भी उसी प्रकार से लगा रहे हैं। हाउस टैक्स और लैण्ड टैक्स अलग अलग हैं। लैन्ड टैक्स खाली प्लॉट रखने की टेन्डेन्सी है उसको खत्म करेगा, इससे ज्यादा मकान बनेंगे और जब ज्यादा मकान बनेंगे तो हाउस टैक्स की ज्यादा आमदनी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो इन्डाइरेक्ट हाउस टैक्स लैन्ड टैक्स की वजह से निश्चित तौर से आमदनी म्युनिसिपेलिटीज को होने वाली है, इसलिये दिमाग में यह शंका नहीं रहनी चाहिये। इतना कहते हुए अलवर से आने वाली माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आर्ग्युमेंट्स तो अच्छे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ और क्लॉज़ १५ ए. में जो दोनों संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : 'हां' पक्ष जीता।

श्री परसराम मदेरणा : 'ना' पक्ष जीता।

Page No. 102

(गण-पूरक घन्टी के पश्चात् माननीय सदस्यों के सदन में प्रवेश करने पर)

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्यों को यह तो समझा दीजिये कि किस पर मतदान हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इनको समझा तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १५ व १५ ए. पर जो दो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : जो 'हां' पक्ष हों वे 'हां' की लाबी में जांय व जो 'ना' के पक्ष के हों वे "न" की लाबी मेंजांय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चीफ मिनिस्टर और उपाध्यक्ष महोदय दोनों खड़े हैं।

(मत-विभाजन के पश्चात्)

श्री मानिकचन्द सुराणा : Point of order, Sir...

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री, उद्योग): There cannot be a point of order in vacuum.

श्री मानिकचन्द सुराणा : There can be a point of order. I refer the Chair to rule 286 (3),.

इसके क्लॉज़ ३ में, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि

"[3] [a] If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged he shall order that the Lobby be cleared."

तो मेरा निवेदन यह है कि आपने इस डिविज़न को करने के समय में लॉबियों को क्लीयर करने का कोई आदेश नहीं दिया और लॉबियों को क्लीयर करने का आदेश न देने से पहले ही सैकन्ड टाइम आपने क्वेश्चन पुट-अप कर दिया।

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस डिवीजन में पूरा प्रोपर प्रोसीजर फोलो नहीं हुआ है। ब्रिटिश कॉमन सभा में भी इस बात के प्रिसीडेन्सट् हैं कि यदि लॉबीज़ को क्लीयर करने का आदेश न दिया जावे तो स्पीकर ने यह होल्ड किया है कि डिवीजन वह सही नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस नियम का पालन इस डिवीजन में नहीं हुआ है इसलिये इस डिवीजन को दुबारा कराया जावे और इसके लिये पहले लॉबीज़ को क्लीयर करने का आदेश दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई है कि रूल्स २८६ के अन्तर्गत लॉबीज़ को क्लीयर करने का आदेश नहीं दिया गया।

तो इस सदन की यह जो परम्परा रही है उसके अनुसार यह हमेशा इम्प्लाइड रहा है और इस विषय में कभी ऐसा आदेश देने की

(श्री उपाध्यक्ष)

जरूरत नहीं पड़ी कि इस डिवीजन के आदेश के साथ लॉबीज़ भी क्लीयर हैं। तो इस विषय में यह अलग से कहने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्लीयर से क्या मतलब है ?

श्री उपाध्यक्ष : लॉबियां साफ हों।

(विराम)

तो आसन का यह विश्वास था कि लॉबियां साफ थीं और नियम के अनुसार ही यह विभाजन सम्पादित हुआ है और इसलिये यह विभाजन बिलकुल ऑर्डर में है।

विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

'ना' पक्ष ५६

'हां' पक्ष ३१

[हां' एवं 'ना' पक्ष के माननीय सदस्य :

दोनों संशोधन गिर गये।

'ना' पक्ष की सूची

श्री आनन्दसिंह कछवाहा

श्री बालकृष्ण कौल

श्री भरतलाल

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

श्री भीमसेन

श्री भीमसिंह

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल

श्री चन्दनमल वैद

श्री चतुर्भुज उपाध्याय

श्री छुट्टनलाल

श्री दलपतसिंह

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा

श्री देवीलाल मीणा

श्री धर्माराम आर्य

श्री गणेशलाल

श्री गंगाराम चौधरी

श्री गणपतिलाल वर्मा

श्रीमती गौरी पूनिया

श्री गिरधारीलाल व्यास

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

श्री ज्ञानचन्द मोदी

श्री हनुमानसिंह चौधरी

श्री हरिकिशन

श्री हरिश्चन्द्र

श्री हरलाल

श्री जगनसिंह

श्री जेठमल बरचड़

श्री ज्वालाप्रसाद

श्रीमती कमला बेनीवाल

श्री कानाभाई नुवाल

श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)

श्री किशनसिंह वाटड़

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री लालाराम

श्री माधोलाल खानपुरिया

श्री मजलिस खां

श्री मनफूलसिंह

श्री मोहनलाल सुखाड़िया

श्री मोहनराज

श्री मोतीलाल चौधरी

श्री मुक्तिलाल मोदी

श्री नाथूराम (बागीडोरा)

श्रीमती निर्मलादेवी नाहर

श्री परसराम मदेरणा

श्री फूलचन्द जैन

श्रीमती प्रभा मिश्रा

श्री प्रतापसिंह

श्री रघुनाथ बिश्नोई

श्री रविशंकर याज्ञनिक

श्री रावतराम

श्री रूपाराम पंवार

श्री सांवलियाराम

श्रीमती सुमित्रा

श्री तेजाराम गहलोत

कुमारी उमा माथुर

श्री बिरदाराम फुलवारिया

'हां' पक्ष की सूची :

श्री ए० जब्बार

श्री बालूराम चौधरी

श्री भैरोंसिंह

श्री दयाचन्द सोन

श्री फतेहसिंह

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)

श्री हरफूल

श्री हीराभाई

श्री जयलाल

श्री जोधसिंह चौहान

श्री कृष्णकुमार गोयल

श्री ललितमोहन

श्री लक्ष्मीचन्द

श्री मांगीलाल रिणवा

श्री मानिकचन्द सुराणा

राजा श्री मानसिंह (डीग)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर

श्री मावा

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल

श्री नाना राठौड़

मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)

श्री राधाकृष्ण गोयल

श्री रामानन्द अग्रवाल

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामकिशन

श्री सम्पतलाल बोहरा

श्री शिवराम

श्री उमरावसिंह ढाबरिया

श्री विजयसिंह झाला

श्री विट्ठल

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ विधेयक का अङ्ग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १६

I think, you will be very brief because time is short.

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुआ :

श्री मोहनराज (बाली) :

In proviso to sub-clause [1] sutstitute word "depcsit" for the word "payment" in line two.]

श्री मोहनराज (बाल): मेरा संशोधन इस प्रकार है उपाध्यक्ष महोदय, 'पेमेन्ट' शब्द की जगह 'डिपोज़िट' शब्द रखा जाय।

मैं चाहता हूं कि जहां अपील करने पर यह आवश्यक समझा गया है कि जो भी टैक्स एसेस किया गया है उसका पचास प्रतिशत जमा कराया जावे और इसके बाद में अपील हो सकती है।

तो पेमेन्ट शब्द यहां इसलिये उपयुक्त नहीं होगा कि पेमेन्ट उस वक्त हो सकता है जब कि अपीलेट ऑथोरिटी ने फाइनल डिसीज़न दे दिया हो। यही प्रोसीजर भी है कोटा में। तो इसको देखते हुए मैं यह उम्मीद करता हूँ कि 'डिपोज़िट' शब्द 'पेमेन्ट' की जगह रख दिया जावे।

मान लीजिये अपीलेट ऑथोरिटी ने कम कर, दिया पचास परसेन्ट से भी कम का निर्णय दे दिया, चालीस परसेन्ट किया है या ४५ किया है तो पेमेन्ट से भी विद्ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिये उपयुक्त शब्द 'डिपोज़िट' ही रहेगा। इसलिए लीगल फ्रेज़ियोलोजी को ध्यान में रखते हुए यहां डिपोज़िट शब्द ही उपयुक्त रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि पेमेन्ट को डिपोज़िट से क्यों सब्स्टीच्यूट करना चाहते हैं। यह 'पेमेन्ट' शब्द दूसरी स्टेटों में जो इस तरह के कानून हैं उनमें भी प्रयुक्त किये गये हैं, अपील के प्रोवीज़न में भी और जहां तक लीगल फ्रेज़ियोलोजी का प्रश्न है यह 'पेमेन्ट' का शब्द वाला ड्राफ्टिंग सही है, यही रहना चाहिये। इसलिए उनका संशोधन स्वीकार नहीं करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Do you withdraw ?

श्री मोहनराज : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मंशा है कि मोहनराजजी को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाये ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : No, इनको अमेन्डमेन्ट रखने के लिए अलाउ ही नहीं करना चाहिए। पहले तो रख देते हैं और फिर विद्ड्रा कर लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में केवल आसन सेन्स लेता है और उसके अनुसार उनको आज्ञा प्रदान की जाती है।

(सदन की स्वीकृति से श्री मोहनराज ने अपना संशोधन वापिस लिया।)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ विधेयकका अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १७

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १९ श्री तेजाराम गहलोत

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :[संशोधन इस प्रकार है :—

Subsitute the words, "The Board of Revenue" for the words and commas "the State Government or such other authority as may be appointed by it in this behal."]

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १९ रिवीज़न के बारे में है और इस क्लॉज में मेरा संशोधन है कि इस क्लॉज़ में :

"The State Government or such other authority, as may be appointed by it in this behalf," इसके बजाय "The Board of Revenue" जोड़ा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रिवीज़न का सवाल है जब हमने अपील की पॉवर्स दूसरी ऑथोरिटीज़ को दी हैं और दूसरे एक्ट्स जैसे एक्साइज़ एक्ट है, रेवेन्यू एक्ट्स हैं उन सब में हाइएस्ट ऑथोरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है तो जब हमारे पास ऐसी ऑथोरिटी है जो कि कलेक्टर के फैसलों पर अपील सुनती है और रिवीज़न करती हैं तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के केसेज़ के अन्दर गवर्नमेन्ट रिवीज़न की पॉवर्स अपने पास में रखे, क्योंकि जब अपील का प्रोवीज़न है और अपील के बाद रिवीज़न आन दी पॉइन्ट ऑफ लॉ ही खुलता है तो ऐसी सूरत में जब कि जुडीशियल ऑथोरिटी है और उसको हाइएस्ट ऑथोरिटी माना है तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें राज्य सरकार इस सत्ता को अपने हाथ में रखने के बजाय बोर्ड

(श्री उपाध्यक्ष)

आफ रेवेन्यू शब्द जोड़ दिया जाये तो यह बहुत ही उचित रहेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो........

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या निरस्त करवाना चाहते हैं ?

श्रीमुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं इसका सपोर्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप निरस्त करवाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्लॉज के डिलीट कराने का सवाल नहीं है, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रिवीज़न का पॉवर देने का सवाल है उसके बारे में कहना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि जब अपील प्रिफर होगी, अपील भी आपने ऐसे ऑफिसर के द्वारा करा दी जिसको आप चाहते हैं और वह भी गवर्नमेन्ट का ही ऑफिसर है और क्योंकि वह रिवीज़न लाई करेगा वह इस पॉइन्ट पर करेगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है :

"The State Government... may ... call for the record of any proceeding or order of any authority under this Act for the purposes of satisfying itsel as to the legality or propriety of such proceeding or order, and may pass such order in reference thereto as appears to it necessary for the ends of justice."

तो प्रश्न इसमें यह है कि लीगेलिटी और प्रोप्राइटी की करेक्टनैस को कन्सीडर करने के लिए यह रेवेन्यू के मामले हैं इसमें रेवेन्यू बोर्ड ही हाइएस्ट ऑथोरिटी है। दूसरे जितने भी रेवेन्यू के मामले हैं इसमें प्रश्न यह है कि अपील से जो एग्रीव्ड व्यक्ति होंगे, जैसा कि इसकी धारा १६ के अन्तर्गत यह था कि उसकी अपील भी सरकार द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित किसी व्यक्ति के द्वारा कन्सीडर होगी। जो एक जुडीशियल बोडी है जिसमें महसूस कर सकें कि किसी तरह के पोलिटिकल प्रेशर की कोई गुंजाइश नहीं रहती इसके लिए जरूरी है और मैं समझता हूं कि नीति संबंधी मसले पर राज्य सरकार को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जो हाइएस्ट जुडीशियल बॉडी है और जो रेवेन्यू के मामलों की ऑथोरिटी है उसके रिवीज़नल पॉवर्स को आप खत्म कर दें। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो प्रभारी मंत्री महोदय हैं वे इस संबंध में सहानुभूति से कदम लेंगे और इस कानूनी मुद्दे पर इसको जरूर स्वीकार करेंगे कि रिवीज़नल पॉवर्स गवर्नमेंट के किसी चहेते आदमी के पास न रह कर रेवेन्यू बोर्ड के पास रहें।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : हाई कोर्ट कर दिया जाये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह तो ठीक है। हाईकोर्ट का मसला अगर हमारे सामने नहीं हो और हाईकोर्ट का इतना बड़ा प्रोटेक्शन हमारे सामने नहीं हो तो आप चाहे जो कुछ कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यहां तो रेवेन्यू बोर्ड का प्रश्न है। हाईकोर्ट का कोई सवाल नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि उपाध्यक्ष महोदय कि कम से कम इस मामले को रेवेन्यू बोर्ड जो कि एक जुडीशियल बाडी है रिवीज़नल पर्पज़ेज़ के लिए इसे सुपुर्द करने में सरकार हिचक नहीं दिखायेगी, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १९ रिवीज़न का क्लॉज़ है, इसलिए गवर्नमेंट ने रिवीज़न के पॉवर्स अपने पास या उसके द्वारा अपोइन्ट की हुई दूसरी ऑथोरिटी को रिवीज़न सुनने का अधिकार इस प्रोवीज़न के जरिये मिलेगा। यह प्रोवीज़न फ्लेक्सीबल रखा गया है और फ्लेक्सीबल इसलिए रखा गया है कि किसी दूसरी ऑथोरिटी को, जिसको कि राज्य सरकार मुनासिब समझे. उसको अपोइन्ट करदे और स्टेच्यूट करके रिवीज़न सुनने के अधिकार दे दे इसलिए यह इस तरह से राज्य सरकार अपने पास में कोई जुडीशियल मामलों को अपने हाथ में लेना चाहती है या खुद इस तरह का डिस्क्रीशन एक्सरसाइज़ करके इस तरह का प्रिसिडेन्स रखना चाहती है जिससे कि इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप हो और यह सोचना कि इस पॉवर के लेने से कोई न्याय नहीं मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फ्लेक्सीबल रखा ताकि किसी भी दूसरी ऑथोरिटी को स्टेट गवर्नमेंट अपोइन्ट करे तो जब आज आथोरिटी ही नहीं है तो उसमें स्पेसिफिक प्रोवीज़न रखना जरूरी था ताकि स्टेट गवर्नमेंट अपने बिहाफ पर या दूसरी ऑथोरिटी को अपोइन्ट कर सके। तो मैं समझता हूं कि जहां तक रेवेन्यू बोर्ड का प्रश्न है उसे रिवीज़न के और रेवेन्यू के अलावा दूसरे अधिकार भी दे दिये गये हैं और उनको सभी तरह के रिवीज़न के अधिकार दे दिये गए तो फिर यह सोचना पड़ेगा कि रेवेन्यू बोर्ड की पोज़ीशन और उसका कॉन्स्टीट्यूशन क्या हो, कितने मेम्बर्स और बढ़ाये जायें और फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स और दूसरे खर्चों का सवाल आयेगा। मैं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को जो रिवीज़न्स सुनने का अधिकार है वही रखा जाना चाहिए। इसलिए माननीय सदस्य ने जो रेवेन्यू बोर्ड से रिवीज़न्स को सब्स्टीट्यूट करने का अमेंडमेंट रखा है उसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री तेजाराम गहलोत को अमेंडमेंट वापिस लेने दिया जाये।

(स्वीकृत)

स्वीकृति दी गई।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २०

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

अब क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है मैं समझता हूँ कि सदन की इजाजत होगी कि जब तक यह बिल पारित न हो तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक कि बिल पारित न हो बढ़ाया जाता है

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१ पर मेरे दो संशोधन हैं। मैं उनको मूव करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१ पर मेरा एक संशोधन यह है कि :

"(a) In the marginal heading, after the word 'to', add the expression 'exempt'."

और दूसरा मेरा संशोधन यह है कि :

"(b) In sub-clause (8), for the expression 'subject to such rules as may be made in this behalf by order', substitute the expression 'if it considers it necessary in the public interest, by notification in the official Gazette, exempt'."

ये मेरा संशोधन है और मैं समझता हूं कि यह संशोधन एग्जेम्पशन के लिए रखे गये हैं, और इन एक्जेम्पशन्स के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत शंका जाहिर की थी और वह संशोधन इसी सेक्शन २१ में इस प्रोवीज़न में जो कि क्लास ऑफ पर्सन्स हैं जिसको एग्ज़ेम्पट करने का सवाल है, उन गरीबों के बारे में, हरिजनों के बारे में बहुत से लोगों के बारे में एग्ज़ेम्पशन दिया जाना जरूरी है और वह एग्ज़ेम्पशन इसी क्लॉज़ के अन्दर दिये जा सकते हैं। इसलिए मैंने दो एमेंडमेंट प्रस्तुत किये हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय सदस्य इनको स्वीकार करेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि इस धारा में संशोधन का अर्थ केवल इतना है कि हरिजनों को या दूसरे गरीब या इसी तरह के दूसरे वर्ग के लोग हैं जिनके लिए यह छूट दी जा सकती है, उस दृष्टि से यह संशोधन किया गया है, तो कम से कम मैं तो उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन फिर भी इस तमाम क्लॉज़ से राज्य सरकार ने इतने बड़े अधिकार अपने पास ले रखे हैं कि सारा मामला जो अभी तक टैक्स लगाने की स्थिति और जो आमदनी की सम्भावना है वह समाप्त हो जायगी, क्योंकि इसमें आगे चल कर संशोधन के द्वारा मैंने क्लॉज़ में रूल्स की बात की गई है। तो संशोधन में खाली ऑर्डर या इस तरह के अधिकार ले लिये तो हो सकता है कि इन अधिकारों का जैसा कि एक तरफ टैक्स लगाना चाहते हैं वहां दूसरी तरफ सम्बन्धित लोगों को या जो लोग इस क्लॉज़ का फायदा उठाना चाहते हैं वे किसी तरह से राज्य सरकार को एप्रोच करके जैसा, कि अभी तक होता चला आ रहा है, इससे फायदा उठा सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस क्लॉज़ को निकाल दिया जाय। इसके साथ साथ जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने जोड़ा है उसको एक नई क्लॉज़ के रूप से इसी ढंग से

(श्री रामकिशन)

जोड़ा जाय तो उद्देश्य पूरा हो जायगा। अन्यथा ऐसा होता है कि राज्य सरकार के हाथ में अधिकार दिये जाते हैं तो उनका दुरुपयोग होता है सदुपयोग कममामलों में होता है। तो इस प्रोवीज़न से सरकार ने अच्छे कदम उठाये हैं, वह स्वतः डिफीट हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि इस क्लॉज़ को हटाने के लिए सब लोग सहयोग करें।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि इस धारा में शब्द हैं वह बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। पॉवर ऑफ गवर्नमेंट टू रेमिट हो तो इस 'रेमिट' पर बहुत बड़ी आपत्ति है, वह डाउट पैदा करता है। रेमीशन करने का किसी कानून में नहीं आना चाहिए टैक्स को। पिछली ३,६, ८,११,१३,१४ का कम्लायन्स करने के बाद किसी बिल्डिंग के लैण्ड पर टैक्स इम्पोज़ करते हैं तो ऐसी सूरत में रेमिट करने का सवाल नहीं आता है। इस क्लॉज़ के प्रोवीजन में कोई ऑथोरिटी इस सम्बन्ध में ऑर्डर दे सकती है, रेमीटेन्स ऑफ दी टैक्स की। रेमीशन करने के लायक हुआ तो बमाअत क्यों हुई और किस प्रावधान के अन्दर हुआ है। इसलिए 'रेमिट' शब्द को निकाल देना चाहिए, वर्ना यह एक बहुत बड़ा कानूनी लेकुन रह जायगा जिसकी वजह से टैक्स जो जमा हुआ है वह वापिस जा सकता है। इसलिए मेरा इससे यह विरोध है कि इस रेमिट शब्द को निकाल दिया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१ हमारे सामने विचारार्थ है। इसके अन्तर्गत सरकार ने एक और ही तरीके से अधिकार जो कि मैं समझता हूं कि बहुत कम जगह पर देखने में आता है, अपने हाथ में लेने का दुस्साहस किया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के अन्तर्गत जहाँ पर धारा १६ में इस बात के लिए कहा गया है कि अपील का प्रोवीजन रहा है तो मैं निवेदन करूंगा कि कल्पना करिये कि मानो एक व्यक्ति इस बात से दुःखी है कि उसके ऊपर नाजायज़ टैक्स लग रहा है या दूसरे तरीके से कोई दुःखी है तो उसके सामने चारा क्या है ? उसके सामने यही चारा है कि वह व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपील के अन्तर्गत जा सकता है। अपील किस के सामने करेगा ? एक कहावत मुझे याद आती है, उपाध्यक्ष महोदय, कि तबाबा की डांट और बाबा का ही न्याबा; आप ही टैक्स इम्पोज़ करते हैं, आप ही टैक्स एसेस करते हैं और अपील का फैसला करने वाले भी आप, रिवीज़न का फैसाल करने वाले भी आप। उसके डिफॉल्ट पर जुर्माना करने वाले भी आप और जुर्माने की अपील सुनने वाले भी आप। जब यह बात कही जाती है कि रेवेन्यू बोर्ड must see the legality and propriety of things तो भी आप इस बात की हिम्मत नहीं करते हैं कि उस चीज को लेकर रेवेन्यू बोर्ड के सुपुर्द कर दिया जाय। आप इससे भी सन्तुष्ट नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा के अन्तर्गत आप यह चाहते हैं कि सरकार किसी अधिकारी के लिए या सरकार के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको सरकार उचित समझती है, उसको इस बात का आर्बीट्रेरी अधिकार मिल जाये कि वह चाहे जिस

(श्री मुकुटबिहारी लाल)

तरीके से चाहे जिस का टैक्स कम कर दे; ज्यादा कर दे, रिवाइज़ कर दे, पीछे कर दे, आगे कर दे, कुछ भी कर सकता है। इस तरह से यह अधिकार इस धारा २१ के तहत राज्य सरकार अपने लिए चाहती है। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपके अधिकारियों का पूरा अमला है उन्होंने एसेसमेंट किया है, उसकी वेलुएशन की है, तब कोई टैक्स इम्पोज़ किया है। उसके बाद में अपील होगी। अपील में आपकी सरकार के नुमाइन्दे, आपकी सरकार के अधिकारी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि यह अपील का प्रोवीज़न यह सरकार यहां रखती है वह कलेक्टर आफ दी डिस्ट्रिक्ट है। मैं समझता हूं कि कलेक्टर ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट के माने सरकार होती है। सरकार और कलेक्टर एक ही चीज है। वह अलग नहीं है। अगर कोई भी चीज करना चाहती है तो आज मुझे तो कम से कम इस राजस्थान के अन्तर्गत कोई ऐसा कलेक्टर नजर नहीं आता जो कि मिनिस्ट्री के इशारे के बल पर चलता और कूदता न हो। तो सवाल यह है कि कोई ऐसी ऑथोरिटी जिसको सरकार अपनी मर्जी से निर्धारित करेगी या कलेक्टर आफ दी डिस्ट्रिक्ट उस अपील का फैसला सुनाएगा। अपील का फैसला सुनने के बाद भी अगर कोई भी व्यक्ति दुःखी है या वह यह समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर वह समझता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो उसके लिए आगे रास्ता क्या रहेगा। उसके पास रास्ता यह रहेगा कि जो न्यायालय हैं, जो निष्पक्ष न्यायालय हैं उनमें जाकर....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : यह सेशन ऑफ बिल्स में पास हो चुका है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप समझ नहीं सकते।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : ऐसी भाषा बोलें जो आप समझ सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन करता हूं कि अभी उपमंत्री ने बोला कि ऐसी भाषा में बोलें जो समझी जाय तो मैं इंगलैंड का रहने वाला नहीं हूं, अपनी मातृभाषा में बोल रहा हूँ और मातृभाषा में अपने हृदय के भाव प्रसारित कर रहा, हूँ प्रकट, कर रहा हूँ इस सदन के पटल पर। मुझे गर्व होता है कि राजस्थान में कम से कम अपनी मातृभाषा में काम होने लगा है। उस पक्ष के माननीय सदस्य अंग्रेजी बोलने में, गुलामी की भाषा बोलने में गर्व कर सकते हैं लेकिन मैं उस भाषा में बोलने का दुस्साहस नहीं दिखा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मगर मैं मेरी भाषा में ...

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर न करें आप।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बोलता हूँ और वह उनकी समझ में नहीं आता है तो यह मेरा दुर्भाग्य है....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था कि अपील सुनने के लिए सरकारी अधिकारी खुद-ब-खुद नियत करेगी तो उसके माने यह होंगे कि अपील सुने कलेक्टर।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

इसके अलावा रिवीज़न का सवाल आपका........

श्री उपाध्यक्ष : आप जनरल डिस्कशन नहीं करें, केवल धारा २१ पर रहें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इस क्लॉज़ को डिलीट करने की बात कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वही आप करें।

(१.३७ म० प०)

एक माननीय सदस्य द्वारा राजकीय सेवा करने विषयक आक्षेप

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir, यह मैं सम्माननीय सदस्यों को खास तौर से कहना चाहता हूं कि एक खबर ऐसी मिली है जो कि इसी वक्त लाई गई है उसकी, उपाध्यक्ष महोदय, आपको खबर करना मैं आवश्यक समझता हूं और वह खबर यह है कि××××

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is a point of order. अगर, ×××

सवाल यह है कि क्या ये ××× ही। मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि उनको यहां पर कन्टिन्यू करने दिया जाय या नहीं, मैं आसन के लिये आगाह कर रहा हूं........

श्री उपाध्यक्ष : This is for the Election Tribunal to decide and not for the Chair.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह इलेक्शन ट्रिब्यूनल कौनसी है ?

श्री उपाध्यक्ष : जो है वही।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह ट्रिब्यूनल की बात नहीं है, सरकार को बात है, क्या इस नाम से कोई नौकरी कर रहा है या नहीं। मेरे पास पूरी खबर है, मैं इसको सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। इसके बारे में निश्चित रूप से मालूम होना चाहिये, आसन से व्यवस्था होनी चाहिये। निश्चित तौर से क्या कहा जा सकता है, जो नाम मैंने दिया है ××

श्री उपाध्यक्ष : I have understood your point of order.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने वाले जैसे थे वैसा ही आपने रूलिंग दे दिया। एक माननीय मेम्बर पर आरोप लगाया जिसकी कोई बुनियाद नहीं, आपने जो अखबार में निकला वह कह दिया, आक्षेप लगाने से पहले माननीय सदस्य को नोटिस दिया जाना चाहिये, वह नहीं दिया।........

××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

Page No. 113

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने पॉइन्ट आफ आर्डर के लिये इन्फॉर्मेशन दी है उसका निर्णय बाकी है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कम से कम यह सच है कि इस नाम के मेम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह : विधान सभा के सदस्य के लिये इससे बड़ा कोई आरोप नहीं हो सकता जिससे उनको डिस्क्वालिफाइ कर सकता हैं। यह आरोप ऐसा है कि जिसमें यदि सत्यता है तो इससे केवल माननीय सदस्य का कैरेक्टर ही रिफ्लेक्ट नहीं होता बल्कि एक लेजिस्लेटर के फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करते है। माननीय सदस्य जो आरोप लगाने वाले हैं वे स्वयं 'अगर-मगर' कर रहे-हैं। उनको पता नहीं कि अखबार में लिखा हुआ सही है या नहीं। ऐसी बे-बुनियाद बातों को लेकर किसी मेम्बर पर आक्षेप किया जाय तो मैं चेयर से प्रोटेक्शन चाहता हूँ, केवल मेंबर के लिये ही नहीं बल्कि कई व्यवस्थाएं आसन से दी गई है उनको मेन्टेन करने के लिये व्यवस्था चाहता हूँ। इस प्रकार ऊल-जलूल आरोप लगाने वाले सदस्यों पर कोई असर होता है या नहीं, बल्कि सुनने वालों पर असर रहता है। यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं रहा। यदि प्रोसीडिंग्ज़ पर ऐसी बात रहती है जिसको प्रूव नहीं नहीं किया जा सकता कि सत्य है या नहीं, सरकारी पक्ष जानकारी नहीं दे सकता, बोनाफाइड पर कहा नहीं जा सकता, ऐसी इर्रिलेवेन्ट बात कही जायं उनको हाउस की प्रोसीडिंग्ज़ में से एक्सपन्ज कर देना चाहिये तभी जो पहले रूलिंग्ज़ दी गई हैं वह मान्यता बनी रहेगी और मेम्बर पर जो आक्षेप लगाया है वह बिल्कुल निराधार है, इसलिये इन बातों को एक्सपन्ज कर दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन में कुछ कहना चाहता हूँ।....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Let me dispose of the point of order.

जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय श्री ज्वालाप्रसादजी ने प्रस्तुत किया है कि माननीय सदस्य नौकरी करने लगे हैं।....

× × ×

श्री उपाध्यक्ष : In any case जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय सदस्य ने रेज़ किया है उस विषय में निर्णय इस आसन से नहीं दिया जा सकता। इस आसन से पहले ही निर्णय दिया गया है कि ऐसे प्रश्न पर यदि कोई अनियमितता हुई है तो उसकी सूचना राज्यपाल को दी जा सकती है। वे इलेक्शन ट्रिब्यूनल या इलेक्शन कमीशन को रेफर कर सकते हैं। उन पर सारी जिम्मेदारी रहती है। इस आसन से कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : इन वर्ड्स को एक्सपन्ज किया जाय। इस तरह से तो चाहे जो कुछ भी कह देगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Personal explanation.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहूँगा।

× × × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा कभी मकसद यह नहीं था।....

श्री उपाध्यक्ष : You have said it. Now let me dispose it of.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपने तो डिस्पोज़ ऑफ कर दिया, लेकिन जनसंघ के नेता ने इस तरह की बात कही है। मैं यह इत्तला आपकी और उनकी सेवा के लिये लाया हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : That is over. Let me dispose of the point now.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे अगर बैठे रहेंगे तो ५००) रु० रोज जुर्माना हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था हो चुकी है।

श्री भैरोंसिंह : इन वर्ड्स को एक्सपन्ज किया जाय। इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोपों की ओर ध्यान नहीं दिया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक्सपन्ज करने की बात नहीं है........

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो कुछ बात इधर से या उधर से कही जाय वह पूरी जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिये, अनर्गल रूप से आक्षेप नहीं लगाने चाहिये।

\+ + + + +

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is on its legs. Does the Hon'ble Member take the responsibility of what he has said ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : What I have said I put on the table of the House.

श्री उपाध्यक्ष : It should be proved by facts. If it cannot be proved by facts, then these allegation will have to be expunged.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने जो कुछ कहा है........

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो कुछ कहा है वह किस बुनियाद पर कहा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने इस बुनियाद पर कहा है कि इस नाम का आदमी तनख्वाह लेता है आज के दिन।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : No Hon. member can refer that and it has been lightly referred......

(व्यवधान)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे बात तो पूरी कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी करें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल यह है कि मैंने कहा है, मुझे पता चला है कि जो नाम इन एम० एल० ए० साहब का है उसी नाम से सरकारी एक्सचेकर से तनख्वाह जा रही है, ये फेक्ट्स हैं। मैंने तो जानकारी दी

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है इस बात की कि कहीं जुर्माना नहीं देना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी जो कुछ सूचना थी या जो कुछ कथन था वह किसी माननीय सदस्य के लिये नहीं था ऐसा माना जाय ?

+ + +

श्री उपाध्यक्ष : यदि सदस्य के प्रति था तो आपको यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इसको प्रूव करें वर्ना इसको एक्सपन्ज करना पड़ेगा।

+ + +

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तैयार हूं कहने को। एक नाम के दो एम० एल० ए० हो सकते हैं क्या ?

(शोरगुल)

मैं यह कह रहा हूं कि वे आज भी नौकरी में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इनसे कंसर्न्ड नहीं है। मैं कहता हूं, इस नाम का व्यक्ति है।

श्री उपाध्यक्ष: Order please! ये तथ्य किस बुनियाद पर मालूम हुए। बुनियाद कुछ न कुछ तो होगी आपके पास। अखबार की बुनियाद नहीं लेना काफी है क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसको मैं टेबल ऑफ दी हॉउस पर रखता हूं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस बात पर मैं समझता हूं माननीय सदस्य की बात नहीं कही है, पिता का नाम एक है, पुत्र का नाम यही है, गांव और जाति वही है सब बातें मिलती हैं। यहां प्राइमाफेसी केस है इन्क्वारयी होने काबिल है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : किसी माननीय सदस्य के बारे में कोई बात हाउस में रखते हैं तो हाउस को अधिकार है कि जानकारी लेवे। एक सदस्य के बारे में जानकारी दी है तो वह हाउस का सब्जेक्ट है, जो कुछ उनके पास हो वह हाउस में रखें, हमको दें, जो कुछ बात कहते हैं वह है तो हम निर्णय कर लेंगे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! इस विषय में माननीय सदस्य यदि कोई पेपर सदन की मेज पर रखते हैं तो वह उनका अधिकार है और उसके पश्चात् यदि वे इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं तो दूसरे माननीय सदस्य को भी अधिकार होगा कि वे जवाब देंगे उसके बाद निर्णय होगा।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): वे एक्सप्लेनेशन दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अफसोस इस बात का है कि ७ वर्ष तक जो

++++अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री भैरोंसिंह)

पार्टी के चीफ व्हिप रहे हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं वे सदन में खड़े होकर यह कहें कि एक मेम्बर पर आक्षेप लगाता हूँ। आक्षेप लगाया जाता है तो हाउस जानकारी कर सकता है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि आप रूल्स को देखेंगे, चार्ज किसी सदस्य पर लगाने का प्रावधान रूल्स में है। उसके अनुसार नोटिस आपने दिया नहीं। एक अखबार को पढ़ कर सुनाते हैं कि आपके नाम का एक व्यक्ति नौकर है। मैं भी यह कह सकता हूँ कि ज्वालाप्रसाद नाम का एक आदमी अजमेर में झाड़ू देता है। जब तक सरकार को या मानीनय सदस्य को जानकारी नहीं हो कि जिन पर आरोप लागाया है वे वही सदस्य हैं तो उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी नहीं लेते उस समय तक सारी चीज

सुपरफ्लुअस है। आप जानकारी करने को तैयार नहीं, प्रूव करने को तैयार नहीं और खड़े होकर कह दें कि अखबार में लिखा है, + + + अगर आप यह कहते हैं तो प्रूव करने की जिम्मेदारी भी कहने वाले माननीय सदस्य पर ही है। यदि ये प्रूव नहीं कर सकते तो इन शब्द को एक्सपन्ज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निर्णय दे चुका हूँ कि माननीय सदस्य ने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं यदि माननीय सदस्य जिम्मेदारी लेते है कि जो कुछ कहा गया है वह सत्य है और उसको प्रूव करने की जिम्मेदारी लेते हों और हाउस की मेज पर रखते हां तो उनको अधिकार है लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूँ कि यह इस सदन के लिए बिल्कुल गलत परम्परा रहेगी कि किसी भी माननीय सदस्य पर बिना नोटिस दिये आक्षेप लगा दिया जाय।

इसके अलावा भी मैं इस विषय में हाउस में स्पष्ट कर चुका हूं कि ऐसी कोई अनियमितता की बात यदि हो तो उसके निर्णय की इस आसन पर जिम्मेदारी नहीं होगी। वह निर्णय करना बिल्कुल अलग बात है। यहां केवल यह बात है कि जो कुछ भी तथ्यातथ्य यहां माननीय सदस्य रखते हैं वह कहां तक सत्य हैं अथवा नहीं है। अगर वह इसको सत्य समझते तो दूसरे माननीय सदस्य को भी प्रतिवाद करने का हक रहेगा।

\+ + +

श्री उपाध्यक्ष : अन्यथा जो अब तक

(शोर-व्यवधान)

Order please !

अन्यथा जो अब तक माननीय सदस्य ने कहा है उससे यही समझा जाता है कि वह इस तथ्य को सत्य मानते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि इसको साबित कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनके मुंह से कहलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए यह इन्हीं पर छोड़ा जाता है कि वे इसको किसी प्रकार साबित करेंगे और उसका किस प्रकार से प्रतिवाद करने वाले माननीय सदस्य प्रतिवाद करेंगे। इसमें और कोई बात नहीं रह जाती है।

Yes, now the discussion proceeds.

XXअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री उपाध्यक्ष)

अब माननीय मंत्री।

× × ×

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें दूसरे प्रश्न से भी सम्बन्ध रह जाता है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ आसन के उस हुक्म की तरफ ध्यान दिलाऊंगा, जो कि आपने व्यवस्था दी है, आज्ञा दी है माननीय सदस्य को कि वे कैटेगोरीकल यहबात कहें, जिसका कि आरोप उन्होंने यहां लगाया है—उसको वह सत्य मानते हैं या नहीं ? नम्बर एक । नम्बर दूसरा, XXXइन दो बातों का कैटेगोरिकल जवाब आना चाहिए । आप आज्ञा दे चुके हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जवाब आना चाहिए ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उन्हें जिम्मेदारी के साथ सिद्ध करना पड़ेगा । इस बात की जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : That is of course implied.

श्री भैरोंसिंह : This is the responsibility of the Hon. Member.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने आपके सामने कोई आरोप की बात कह कर....

श्री उपाध्यक्ष : आपने सूचना दी है तो आपका यह धर्म हो जाता है कि आप कैटेगोरीकल कहने के लिए तैयार हों कि यह बात बिल्कुल सत्य है और यह उन माननीय सदस्य के खिलाफ है जिनका मुकुटबिहारीलाल नाम है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : विधान सभा के सदस्य ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कुछ कहा है....

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न केवल यह है....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपको उसका जवाब देना पड़ेगा । अब पीछे क्यों हटते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Let the Chair deal with it. Order please ! order !!

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे कहने तो दिया जाय । जब भी मैं सच्चाई की बात कहता हूँ तो चिल्ला पड़ते हैं ।

(शोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : आपके लिए यह कहना, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब भी सच्चाई की बात वे कहते हैं तो चिल्ला पड़ते हैं—यह असंसदीय है ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please माननीय सदस्य कैटेगोरीकली कहें, जो कुछ उन्होंने कहा है वह सत्य है और जो XXX नाम के माननीय सदस्य हैं वह उनके लिए है ।

++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो ऐसे सवाल करते हैं...

(शोरगुल-व्यवधान)

आपके सवाल ऐसे होते हैं जैसे अदालत में होते हैं, "तुम इस बात को मानते हो या इस बात को नहीं मानते हो ?"

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : On a point of order, उपाध्यक्ष महोदय के लिए यह कहना....

श्री उपाध्यक्ष : Then what was the occasion for raising it when the debate was going on ?

(शोरगुल)

आपने अभी थोड़े समय पहले कहा है कि यह माननीय सदस्य से सम्बन्धित है वह सूचना....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सम्बन्धित इस रूप में है ...

श्री उपाध्यक्ष : सम्बन्धित है और × × × नाम के माननीय सदस्य से सम्बंधित है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सम्बन्धित इस रूप में है कि इनका नाम, उज्जैन के रहने वाले, इनके पिता का नाम और इस नाम का व्यक्ति....

श्री उपाध्यक्ष : That's allright. Order please ! order !!

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : आपको जवाब देना पड़ेगा, जो कहा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : No wastage of time please.

जो कुछ एलीगेशन्स माननीय सदस्य, × × × × × के नाम से लगाये गये हैं वे एक्सपंज किये जाते हैं।

माननीय मंत्री।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं बोल रहा था, सर....

श्री उपाध्यक्ष : Now you are taking extra liberty.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं उसी क्लॉज़ पर बोल रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister now.

(१.५७ म० प०)

राजस्थान नगरीय भूमि कर विधेयक, १९६४

(अग्रेतर विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आधा मिनट में खत्म कर दूंगा।

खण्ड २१.

यह बात मैं सदन के समक्ष रख रहा था और सदन के समक्ष इस तथ्य को रख रहा था कि सरकार एक तरफ अपने हाथ में तमाम शक्ति को रखना चाहती है कि टैक्स की अपील सरकार को कर दें। इसके अलावा सरकार

+ + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

अपने अधिकारियों के द्वारा उनकी अपीलों को सुनवाये....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कह चुके हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल - यही नहीं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस बात से दुःखी है, उसके साथ अन्याय हुआ है तो रिवीज़न का अधिकारी भी यह सरकार अपने पास रखती है....

श्री उपाध्यक्ष : यह भी आप कह चुके हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यही नहीं अगर डिफॉल्ट में जुर्माना थोप दिया गया है तो जुर्माने के बारे में वह अपील करे तो इनके पास जाय और सरकार रिवीज़न करे....

श्री उपाध्यक्ष : Yon have already said.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उनके पास जाय। यह प्रोवीज़न है। इसके अलावा सरकार को इतने से ही संतोष नहीं है।

क्लॉज़ २ को आप पढ़ें तो इसके अन्तर्गत यह कहा गया है कि सरकार अगर चाहे तो उस टैक्स को रेमिट कर सकती है, उसको बदल सकती है, जब कि मद्रास के एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है कि बाइ ऑर्डर किया जा सकता है, यहां पर गजट नोटीफिकेशन करेंगे—वह तो करेंगे ही लेकिन जो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में होगा और पब्लिक इन्ट्रेस्ट को—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भाई भतीजावाद की बात कर रहे थे—जो मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है उसको देखना होगा, उसके अनुसार यह पॉवर तब यूज़ की जायगी जब यह कन्सीडर करेंगे कि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में एग्जेम्प्ट, रेमीशन या इस प्रकार से रिडक्शन किया जाय। जब इस सदन में एग्जेम्शन के मामले को लेकर माननीय सदस्य बहस कर रहे थे, उन्होंने निश्चित तौर पर कहा था कि टैक्स आर्बिट....

मोडीफाई कर सकती है। इसके मायने यह हुए कि इससे करप्शन बढ़ेगा, इससे भ्रष्टाचार पनपेगा, इससे भाई-भतीजावाद पनपेगा।

इस सदन के अन्दर, जनतंत्रीय और अच्छी परम्परा कायम रहे, उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है, लेकिन जिस तरीके की लोगों की राय हुआ करती है, जिस तरीके के कुछ लोगों के सोचने के तरीके हैं—वह ऐसे हैं कि एक सदस्य या जो कोई भी व्यक्ति पब्लिक का आदमी ईमानदारी के साथ अपना कर्त्तव्य पालन करना चाहता है तो उसके ऊपर दबाव डाला जाय, उसके सिर के ऊपर तलवार लटका दी जाय और इस प्रकार तलवार लटका कर उस सदस्य के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाय। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता लेकिन इस सदन में जो कहा ग[illegible]ह झूठ है, असत्य है, मिथ्या है।

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं इस पॉइन्ट पर आते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि ...

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up now.

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं समझता हूं कि इस पूरी की पूरी धारा को डिलीट कर दिया जाय। इसकी आवश्यकता नहीं इसलिए मैं समझता हूं कि इसे प्रभारी मंत्री वापिस ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : (उप-मंत्री आबकारी एवं कर) उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के प्रावधान, जो इस राज्य के टैक्सेशन स्टेच्यूट्स हैं, उनमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ डवलप्ड स्टेट हैं उनमें लैंड और बिल्डिंग के टैक्सेशन के स्टेच्यूज हैं, उनमें इस बात के प्रावधान हैं। इसमें क्लॉज़ ३ है वह इस प्रकार की है :

"If it considers necessary in the public interest to do so by notificatin in the official Gazete exempt from payment of building tax on any class of people."

और इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, जो मद्रास का स्टेच्यूट्स हैं उनमें भी यह प्रोवीज़न है

Govt. or such authority or officer authorised by the Govt. in this behalf, may subject to such rules as may be madeby an order, reduce or remit."

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो प्रावधान रखा है, और खास तौर से जो अमेंडमेंट रखा है और तरमीम की है कि स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार एग्ज़ेम्प्ट, रिड्यूस और रेमिट करने की अपनी पॉवर का तब इस्तेमाल करती है जब

"If it considers it necessary in the public interest by Notification in the official Gazette."

(२.०० म० प०)

जिनके पास एक ही प्लॉट हो, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी पारिवारिक या आर्थिक स्थिति कमजोर होने से मकान नहीं बना सकते। उन्होंने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों के पास पैसा नहीं है मकान नहीं बना सकते ऐसे व्यक्तियों को इस बिल के प्रोविज़न से निकालना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि दफा २१ में पॉवर्स है राज्य सरकार को और माननीय सदस्य की भावना को ध्यान में रखते हुए उस पॉवर को काम में लेंगे। दूसरी बात भाई भतीजावाद की बात कही गई है मैं यह कहूंगा कि हमने इसके लिये एडीशनल प्रोवीज़न किया है जिससे किसी तरह का भाई भतीजावाद नहीं हो सके। इस क्लाज़ में जो पॉवर दी है उसको इस्तेमाल करने के बाद कोई भाई भतीजावाद नहीं चल सकता। मैं निवेदन करूंगा कि इससे किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने की मंशा से नहीं है। इसलिये मैंने जो संशोधन क्लॉज २१ में रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने क्लॉज़ २१ पर रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष : There is quite a lot of business .

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१, यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ से ३१ तक विधेयक के अंग बनें ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष :मैंने क्लॉज़ २२ से ३१ तक वोट पर रख दिये हैं ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ २२ से ३१ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

I have already put it .

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, आबकारी एवं कर) क्लॉज़ेज़, ८ और ९ ।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ २ भी है ।

क्या यह सदन की इजाजत है कि क्लॉज़ २ और ८ reopen किये जाएं ।

(स्वीकृत)

ये रीओपन किये जाते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज २ में यह संशोधन है:-

"Substitute in part 5 after the explanation of urban land-insert the word situated in the urban area".

उस वक्त ऐसा हुआ, मैं खयाल करता था कि माननीय सदस्य के सिद्धान्त हैं उनको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उन्होंने यह विथड्रॉ कर लिया । वे मूव नहीं कर सके । इसलिये मैं यह संशोधन मूव करता हूँ और आशा करता हूं कि इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ में अभी अभी प्रस्तुत संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २, यथासंशोधित विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लाज २ यथा संशोधित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री परसराम मदेरणा : क्लॉज़ ८ में मेरा संशोधन है, चूंकि माननीय सदस्यों ने पब्लिक नोटिस के मामले को लेकर काफी रोष जाहिर किया है और मैंने एमेन्डमेंट को स्वीकार नहीं किया है लेकिन इसको वाइडेस्ट पब्लिसिटी कैसे दी जावे इसके लिये इसमें मैं इस प्रकार का संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

"In sub-clause (3) for the words-'in such manner as may be prescribed, of the place at, and the date from which the same may be inspected" substitute the words "of the same insuchmanner as containing such particulars as may be prescribed".

इससे माननीय सदस्य की जो यह भावना थी कि इसको वाइडेस्ट पब्लिसिटी मिल जानी चाहिये। मैं समझता हूँ कि पब्लिक नोटिस में ६ प्रकार के परटीकुलर्स हैं जो पहले पर्टीकुलर का प्रश्न नहीं था। यहां पर पब्लिक नोटिस होगा उसमें पर्टीकुलर ऐसेसमेंट क्या हो, मार्केट वेल्यू क्या है, हम सब साथ में पब्लिक करावें ताकि ओनर को मालूम हो जावे कि यह मारकेट वेल्यू की गई। तो इससे माननीय सदस्य जो चाहते थे कि टैक्सेशन के मामलों में वाइडेस्ट पब्लिसिटी हो और जो एसेसमेंट हो उसका नोटिस मिल जावे। इससे माननीय सदस्य की भावना की पूर्ति होती है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इस संशोधन को तो दुबारा पढ़ने का कष्ट करें और यह भी बतायें कि क्लॉज़ ९ में भी संशोधन किया है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : क्लॉज़ ९ में कोई संशोधन नहीं किया है। क्लॉज़ ८ में मैं संशोधन कर रहा हूँ। क्लॉज़ ९ में माननीय सदस्य का संशोधन है वह कॉन्सीक्वेन्शियल है। ८ में स्वीकार नहीं किया है तो स्वतः ही ९ में भी अस्वीकृत है। दोनों क्लॉजेज़ को साथ डेफर किया था, ८ और ९ में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखे हैं उनको तो मैं स्वीकार नहीं करता, क्लॉज़ ८ में मैंने संशोधन मूव किया है उसे स्वीकार किया जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : संशोधन को दुबारा पढ़ा जाय।

श्री परसराम मदेरणा : सब क्लॉज़ ३ है, लास्ट लाइन है, 'नोटिस' वर्ड है अन्त में इससे आगे :

"In such a manner as may be prescribed, of the place at and the date from which the same may be inspected."

इसको सब्स्टीटयूट किया जाय :

"of the same in such manner as containing such particulars as may be prescribed".

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ में प्रस्तुत यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८, यथासंशोधित-विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८, यथासंशोधित, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ९ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, इनेटिंग फोर्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फोर्मुला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, आबकारी एवं कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान अर्बन लैण्ड टैक्स बिल, १९६४ पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अर्बन लैन्ड टैक्स बिल, १९६४ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान अर्बन लैंड टैक्स बिल, १९६४ पारित किया गया।

(विराम)

सदन की बैठक कल प्रातःकाल ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. २ बज कर १३ मिनिट पर दिनांक ७ अप्रेल, १९६४ के म. पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

सोमवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६४

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

सपोटर, हायर सेकेन्डरी स्कूल भवन के लिए धनराशि ।

अफीम की चोरी, तहसील गंगवार ।

पंचायत समिति, करौली के पंच और सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामले ।

धोखा देकर उत्तीर्ण होने की शिकायत ।

ग्राम पंचायत, घोसून्डा ।

सामान की खरीद, शिक्षा निरीक्षक कार्यालय, अलवर ।

ऑडिट एतराज के जवाब, पंचायत समिति, सोजत ।

रोडवेज़ के पदों की निर्धारित योग्यताएं ।

कामां, डीग व नगर तहसीलों में भूमि अलॉटमेंट ।

हाई स्कूलों में तीन भाषाओं के पढ़ाने का फॉर्मूला ।

स्कम्भ

लक्ष्मीबाईजी का मन्दिर, माणक चौक, जयपुर ।

सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर ।

समाज कल्याण परियोजना खंड मनोहर-थाना ।

कैटल ब्रीडिंग फार्म स्कीम के अन्तर्गत तकावी वितरण, पंचायत समिति हिंडौली ।

शिक्षा प्रसार-अधिकारी की तन्ख्वाह का भुगतान ।

कोली वीवर सोसाइटी, सवाई माधोपुर ।

अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तथा तथा उसके आधार पर सिलेक्शन ग्रेड्स, सीकर ।

आबादी भूमि पर अनधिकृत कब्जे, ग्राम मोरीजा ।

उदयपुर चित्तौड़ वाया मावली, फतहनगर बस रूट का राष्ट्रीयकरण ।

इन्द्रगढ़ हाई स्कूल का हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तन ।

कृषि मजदूर और न्यूनतम वेतन।

ग्राम अयाना की माध्यमिक शाला में कमरों की कमी।

आयुर्वेदिक सम्बन्धी परीक्षा का प्रावधान।

स्वर्णकारों के बच्चों को छात्र-वृत्तियां।

पी. डी. आर. एक्ट के अधीन वसूली, जिला अलवर।

आयुर्वेदिक औषधालय, लाखेरी।

स्थगित प्रश्न

[३०-३-६४]

झान्सी रेन्ज के कृषकों को जमीन।

[३०-३-६४]

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कर्मचारियों का सेवा काल।

[३०-३-६४]

रवीन्द्र मंच का किराया।

(२) अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक

फार्मिंग सहकारी समितियां, जिला पाली।

सिकराय ब्लॉक की पंचायतों को सहायता।

पंचायत समिति, टौंक द्वारा तकावी व सहायता।

पंचायत समिति, टोड़ारायसिंह द्वारा तकावी सहायता।

फैक्ट्रीज़ एक्ट, १९४८ की धारा ४८ के तहत नोटिस।

पंचायत समिति, डीग के सदस्यों को कर्जा।

चर्म उत्पादक सहकारी समिति, सवाई माधोपुर।

पंचायत समिति, देवली द्वारा तकावी व सहायता।

३. न्यायपालिका—विधायिका विवाद

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि भारत के राष्ट्र-पति महोदय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को जो विशेषाधिकार का मामला सुपुर्द किया गया है, उस सम्बन्ध में ६ अप्रेल, १९६४ को होने वाली सर्वोच्च न्यायालय की बैठक के लिये डिप्टी रजिट्रार से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। इस

नोटिस पर विचार करने के लिये ४ अप्रेल को उनके वेश्म में एक बैठक हुई जिसमें राज्य के मुख्य मन्त्री एवं सदन के नेता श्री मोहनलाल सुखाड़िया, विधि मंत्री श्री मथुरादास माथुर, वित्त मन्त्री श्री बालकृष्ण कौल, एडवोकेट जनरल श्री गुलाबचन्द कासली-वाल तथा विधान सभा के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी सूचित किया कि उपरोक्त बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विधान सभा या श्री अध्यक्ष की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा दिनांक ३१ मार्च, १९६४ को राष्ट्रपति महोदय को जो पत्र लिखा गया था उसे भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि एडवोकेट जनरल, राजस्थान, जिन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय से पृथक् से एक नोटिस प्राप्त हुआ है, वे श्री अध्यक्ष की राय को जो कि राष्ट्रपति महोदय को लिखित में भेजी गई है, सदस्यों द्वारा दिनांक २७-३-१९६४ की सदन की बैठक में व्यक्त किये गये विचारों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। विधि मन्त्री एवं एडवोकेट जनरल के परामर्श के लिये सदन के सदस्यों की गठित एक समिति की भी सूचना दी। विधि मन्त्री एवं एडवोकेट जनरल जब कभी आवश्यक समझें इस समिति के सदस्यों से परामर्श कर सकेंगे तथा श्री अध्यक्ष को भी इस विषय में समय समय पर जानकारी देते रहेंगे।

४. प्रवर समितियों के सदस्यों के नामों की सूचना

अध्यक्ष महोदय ने निम्नांकित विधेयकों पर प्रवर समितियों के सदस्यों के नामों की घोषणा की:-

(१) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन विधेयक, १९६४

प्रवर समितियां अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेंगी।

(२) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६४।

५. विधायी कार्य—विचारार्थ लिया गया विधेयक राजस्थान नगरीय भूमि कर विधेयक, १९६४

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव एवं विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किये जाने तथा प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्तावों पर दिनांक २ अप्रेल, १९६४ को की गई बहस का उत्तर सरकार की ओर से आज श्री परसराम मदेरणा, उप-मन्त्री द्वारा दिया गया।

संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किये जाकर विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २, ३, ६, ८, १०, १४ एवं २१—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड ४, ५, ७, ९, ११ से १३, १५ से २०, २२ से ३१ एवं खण्ड १ आदि स्वीकार किये गये।

सदन द्वारा विधेयक संशोधित रूप में पारित भी किया गया।

मंगलवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६४ की

कार्य सूची

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचार-विमर्श)।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८८८ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति करौली में पंचों, सरपंचों के विरुद्ध गबन के मामलों की सूची

क्रमाङ्क	नाम पंच सरपंच	राशि
१.	श्री छाजूलाल उप सरपंच, ग्राम पंचायत डांडा	७१५०) रु०
२.	,, हंसराम सरपंच ग्राम पंचायत रौडकला	३०४०) रु०
३.	,, अमरसिंह उप सरपंच ग्राम पंचायत मांची	३४००) रु०
४.	,, मांगीलाल सरपंच कोटा	५६८) रु०
५.	,, मीठालाल सरपंच पारिता	५६०) रु०
६.	,, नथवालाल सरपंच	१८७) ५० नये पैसे
७.	,, विशालसिंह सरपंच ससेड़ी	५६२) ५५ नये पैसे
८.	,, मागीराम भूतपूर्व सरपंच मांची	५) ५० नये पैसे
९.	,, रामदेव भूतपूर्व सरपंच राउकला	६६) रु०
१०.	,, भौराराम भूतपूर्व सरपंच चैनपुरारिया	१५) २५ नये पैसे
११.	,, किशनराम सरपंच मांचो	२०७६) रु०
१२.	,, बसंतलाल सरपंच फतहपुर	१७) ७५ नये पैसे
१३.	,, श्री लाल सरपंच तुलसीपुरा	१०७) ६८ नये पैसे
१४.	,, मादूराम सरपंच खुफावली	२३८) ४० नये पैसे
१५.	,, टीकाराम सरपंच गुवरेड़ा	५६) रु०
१६.	,, जमनालाल सरपंच रतीपुरा	४४) ५० नये पैसे

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ८६८ का उत्तर देखिए)

Copy of order No. F. 5 (42) Lab/61/2150 dated 23-5-1962 from Secretary to the Government of Rajasthan, Labour Department Jaipur and copy to Commissioner, Rajasthan, Jaipur.

ORDER

Whereas the Central India Machinery Munufacturing Co., Ltd., Bharatpur has dismissed 24 workers (list enclosed) during the pendency of conciliation proceeding before the Deputy Labour Commissioner (Laws) and Conciliation officer, Rajasthan;

And whereas, prior permission of the Conciliation Officer was obtained before affecting change in the condition of Service of these workers, as required by clause (b) of Sub-Section (1) of Sec. 33 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947);

And whareas the management of the Central India Machinery Manufacturing Co., Ltd., Bharatpur have contravend the provisions of soction 33 (1) (b) of the said Act, and are liable for prosecution under sub-section (1) of Section 31 of the said Act.

Now, therefore, in exercise of rhe powers conferred under Sub-section (1) of section 34 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act No. XIV of 1947) the State Government here-by authorises the Labour Officer, Jaipur to file a complaint under Sub-section (1) of the said Act, against Shri V. N. Goyanka, Chief Officer of the Factory and Shri Lakhpat Rai, Factory Manager of the Central India Machinery Manufacturing Co., Ltd., Bharatpur in the Court of First Class Magistrate, Bharatpur.

By Order of the Governor.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०० का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति हिन्डोली में पशु पालन केन्द्रों के लिए दी गई राशि की सूची

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	राशि	पशुओं की संख्या
१.	श्री नागरमल	३०००)	
२.	,, गंगासिंह	३०००)	
३.	,, प्रीतमसिंह	१७५०)	४ गायें, ३ बछड़े १ सांड
४.	,, बख्तावरसिंह	१७५०)	
५.	,, किशना	३०००)	६ गायें
६.	,, भंवरलाल	३०००)	
७.	,, दुर्गासिंह	३०००)	
८.	,, गौरानाथ	२५००)	
९.	,, करणीदान	३०००)	

———

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

कोली वीवर सोसाइटी, सवाई माधोपुर

१०२. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(१) क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर में कोली वीवर सोसाइटी बनी हुई है ?

(२) यदि हां, तो इस सोसायटी के कितने शेयर होल्डर्स हैं और कितनी शेयर होल्डर्स की धनराशि जमा है ?

(३) यह सोसाइटी कब बनी और इसे कार्य करते हुए कितने साल हो चुके हैं ? क्या यह अब भी चालू है ? यदि नहीं, तो कब से बन्द पड़ी हुई है और शेयर होल्डरों की रकम लौटाने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

(४) इस सोसाइटी को कितना लाभ व कितना नुकसान हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) इस समिति में ६७ शेयर होल्डर्स हैं और उन्होंने हिस्सा राशि के १३३०) रु० जमा कराये हैं।

(३) इस समिति का रजिस्ट्रेशन दिनांक ३१ जुलाई, १९४५ को हुआ और तब से लगाकर सन् १९५५ तक इसने कार्य किया।

यह सोसायटी अब चालू नहीं है। सन् १९५५ से बन्द पड़ी हुई है। हिस्सेदारों के हिस्से सरकार नहीं लौटाती है बल्कि हिस्सेदार स्वयं नियमानुसार सोसायटी से वापिस प्राप्त करते हैं।

(४) इस समिति को साल ४५-४६ से साल ५१-५२ तक १५७०) ६२ न०पै० का लाभ हुआ और साल १९५२-५३ में १६७) २७ न०पै० हानि हुई। समिति को १९५३-५४ में कोई हानि या लाभ नहीं हुआ। इसके बाद समिति बन्द रही।

अध्यापकों की वरिष्ठता सूची तथा उसके आधार पर सलेक्शन ग्रेड्स सीकर

१०३. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कार्यालय निरीक्षक शिक्षणालय, सीकर द्वारा माह दिसम्बर, सन् १६३२ में ट्रेण्ड इण्टर, अनट्रेण्ड इन्टर व अन्य ग्रेड्स में १-६-६१ को कार्य करने वाले अध्यापकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी ?

(२) क्या यह सूची १-६-६१ से सीनियोरिटी के आधार पर सलेक्शन ग्रेड देने हेतु प्रकाशित की गई थी ?

(३) क्या सीनियोरिटी के आधार पर सीकर जिले में विभिन्न ग्रेड्स में कार्य करने वालों को दिनांक १-६-६१ से सलेक्शन ग्रेड दे दी गई है ?

(४) यदि अभी तक नहीं दी गई तो क्यों ?

उत्तर

१. जी हां।

२. जी हां।

३. जी नहीं।

४. सिलेक्शन ग्रेड की मन्जूरी दि० २-३-६४ को दी गई है शिक्षा संचालक द्वारा तमाम निरीक्षकों को आदेश दिये जा रहे हैं कि वे सीनीयोरिटी के आधार पर अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड दे दे।

आबादी भूमि पर अनधिकृत कब्जे, ग्राम मोरीजा

६०४. श्री बालूराम चौधरी (फतहपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मोरीजा तहसील आमेर में लोगों ने आबादी भूमि में अनधिकृत कब्जे किये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि श्री मालीराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण महाजन ने बिना पंचायत की स्वीकृति आबादी भूमि में नूतन भवन का निर्माण किया ?

(३) क्या यह सही है कि सरपंच द्वारा लिखा जाने पर जिला कार्यालय से पंचायत एसिस्टेंट को मौके की जांच के लिये भेजा गया ?

(४) अगर हां, तो उक्त अधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त तामीर के बाद ही आबादी भूमि में पचास के करीब अनधिकृत कब्जे किये जा चुके हैं ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त महाजन ने बिक्री पत्र में अंकित भूमि के अलावा आम रास्ते की भूमि दबा कर बरामदा बनाया है और रास्ते को तंग बना दिया है ?

उत्तर

(१) पंचायत के रेकार्ड व मौके की जांच से पाया गया कि कई व्यक्तियों ने आबादी भूमि में अनधिकृत कब्जे कर रखे हैं।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) पंचायत सहायक द्वारा तामीर के बारे में तथ्य प्रस्तुत किये गये तथा उसके बाद विकास अधिकारी द्वारा भी जांच की गई।

(५) जांच से ऐसा मालूम हुआ कि कुछ व्यक्तियों ने उक्त तामीर के पूर्व व कुछ ने उसके बाद अनधिकार कब्जा किया है।

(६) जी हां।

उदयपुर-चित्तौड़ वाया मावली, फतहनगर बस रूट का राष्ट्रीयकरण

१०५. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या उदयपुर से चित्तौड़ वाया मावली, फतहनगर बस रूट का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो कब तक स्टेट रोडवेज़ वहां पर चलने लग जायेगी ?

उत्तर

१. जी नहीं। इस मार्ग की योजना बनाई गई थी और लीगल रिमेम्ब्रेन्सर के पास स्वीकृति हेतु भेजी गई थी, लेकिन लीगल रिमेम्ब्रेन्सर द्वारा दिनांक १७।२।६४ को रद्द कर दी गई।

२. प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

इन्द्रगढ़ हाई स्कूल का हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तन

१०६. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़, जिला कोटा में बहुत पुराना हाई स्कूल है ?

(२) क्या यह सही है कि इतने ही पुराने कई हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूल बना दिया गया है ?

(३) क्या सरकार इन्द्रगढ़ हाई स्कूल को भी हायर सैकन्डरी स्कूल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

१. जी हां ।

२. दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर ही हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी बनाये गये हैं । केवल अजमेर जिले में काफी हाई स्कूल हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित किये गये हैं क्यों कि अजमेर रियासत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऐसा प्रावधान था ।

३. संकटकालीन स्थिति तथा आर्थिक कठिनाईयों के कारण राजकीय हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी में परिवर्तित करने की योजना स्थगित करदी गई है ।

कृषि मजदूर और न्यूनतम वेतन

१०७. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कृषि मजदूरों का न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेज) किस वर्ष में निर्धारित किया गया था ?

(२) क्या उक्त वर्ष के बाद आज तक उक्त न्यूनतम वेतन (मिनिमम वेज) रिवाइज किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि कानून व नियमों के अनुसार उक्त वेतन ५ वर्ष में रिवाइज किया जाना आवश्यक है ?

उत्तर

(१) फरवरी, १९५३ में निर्धारित किया गया था ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

ग्राम अयाना की माध्यमिक शाला में कमरों की कमी

१०८. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील पीपल्दा के ग्राम अयाना की माध्यमिक शाला में अध्यापकों की व कमरों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिये आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

माध्यमिक शाला, अयाना में ६ अध्यापक कार्य कर रहे हैं। वहां की छात्र संख्या २०६ है जिसको देखते हुए अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है परन्तु ६ सेक्शन होने के कारण यहां एक अध्यापक की कमी है कोटा निरीक्षणालय में तृतीय वेतन श्रृंखला में १५ अध्यापकों के पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है जिससे इस शाला में कमी की पूर्ति हो जायेगी। यहां कमरों की भी कमी है। वर्तमान में इस शाला में २ बड़े हॉल, १ छोटी कोठरी व १ प्याऊ है तथा दो नये कमरे बने हैं।

माध्यमिक शालाओं में भवन की कमी को पूर्ण करने की जिम्मेदारी वहां की जनता की है यदि वहां की जनता कमरों के निर्माण करने के लिये धनराशि एकत्रित कर सके तो राज्य सरकार भी उतनी ही धनराशि अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये तथा यदि ऐसा प्रावधान हो तो विचार कर सकती है।

आयुर्वेदिक सम्बन्धी परीक्षा का प्रावधान

१०६ श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आयुर्वेदिक सम्बन्धी परीक्षा लेने का प्रावधान इन्डियन मेडीसिन बोर्ड में है ?

(२) यदि हां, तो क्या परीक्षा एक्ट के अनुसार उसके अधीन निर्मित मेडीसिन बोर्ड के द्वारा संचालित हो रही है।

(३) अब तक कुल कितने छात्र परीक्षा में बैठे और परीक्षा किन के अधीन हुई ?

(४) क्या यह सही है कि परीक्षा में बोर्ड की उपेक्षा की जाकर एक्ट की अवहेलना करके मनमानी की जा रही है ?

(५) इन्डियन मेडीसिन बोर्ड कब बना ? इसके कुल कितने सदस्य ! हैं और कौन कौन ! तथा इसको किस प्रकार के कार्य करने का अधिकार है ? और मेडीसिन बोर्ड ने अब तक कौन कौन सा कार्य किया ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(३) अब तक ३० छात्र भिषगाचार्य परीक्षा में, २२५ छात्र भीषग्वर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं यह परीक्षा आयुर्वेद परीक्षा बोर्ड के अधीन में हुई हैं।

(४) जी नहीं सारा कार्य विधिवत होता है।

(५) इण्डियन मेडीसिन बोर्ड की स्थापना सन् १६५४ में हुई। इसके कुल चेयरमैन सहित ११ सदस्य हैं सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं बोर्ड के जो–जो कार्य हैं उनकी व्यवस्था इण्डियन मेडीसिन एक्ट १६५३ में स्पष्ट है।

बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन राजस्थान के तृतीय बोर्ड के सदस्यों की सूची

(१) वैद्य श्री अमृतलालजी व्यास ब्रजपोल उदयपुर	चेयरमैन	स्वर्गवास हो गये
(२) वैद्य श्री कविराजजी नित्यानन्दजी, बूंदी	उपाध्यक्ष	
(३) ,, श्री प्रेमशंकरजी शर्मा, अजमेर	सदस्य	
(४) ,, श्री चिरंजीलालजी शर्मा, इस्लामपुर	,,	
(५) ,, श्री माधवप्रसादजी आचार्य, उदयपुर	,,	
(६) ,, मक्खनलालजी शास्त्री, बीकानेर	,,	
(७) ,, गोकुलेन्द्रजी शर्मा, जयपुर	,,	
(८) हकीम श्री मोहम्मद इब्राहीम हाजी, जयपुर	,,	
(९) ,, श्री अब्दुलहकजी, अजमेर	,,	
(१०) वैद्य श्री श्यामसुन्दरजी शर्मा, उदयपुर	,,	
(११) रिक्त स्थान		

रजिस्ट्रार,

बोर्ड आॅफ इन्डियन मेडिसिन राजस्थान, जयपुर।

स्वर्णकारों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

६१०. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार स्वर्णकारों के बच्चों के शिक्षा से वंचित रहने की सम्भावना को कम करने हेतु उनके लिए अनुसूचित जाति और दूसरे पिछड़ी जाति के बच्चों को प्राप्त सुविधाओं के अनुसार सुविधाएं और छात्रवृत्ति देने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं।

पी. डी. आर. एक्ट के अधीन वसूली, जिला अलवर

६११. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला अलवर में कितने व्यक्तियों से कुल कितने रुपये की पी. डी. आर. एक्ट के अधीन वसूली की जा रही है ? पंचायत समिति वाइज़ सूची सदन की मेज पर रखी जावे व मूल राशि व ब्याज अलग अलग बताया जावे।

(२) यह वसूली कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कार्यवाही चालू है। यथासंभव वसूली शीघ्र कर ली जावेगी।

जिला अलवर में पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत की जा रही वसूली की सूची

क्रमाङ्क	पंचायत समिति	सं० व्यक्ति	मूल रकम	ब्याज	कुल	विशेष
१.	बहरोड़	१२	२१०००.००	३२७०.००	२४२७.००	
२.	गोविन्दगढ़ (मु० लक्ष्मनगढ़)	२६	२३७५०.००	५११०.५०	२८८६०.५०	
३.	मुण्डावर	४	५७००.००	२०६६.६६	७७६६.६६	
४.	रामगढ़	१७	११२०५.००	३७७२.५७	१४९७७.५७	
५.	किशनगढ़बास	४६	६५३५५.००	—	६५३५५.००	ब्याज की रकम इसमें शामिल है।
६.	तिजारा	१	२००.००	—	२००.००	,, ,,
७.	नीमराना	१०	७८००.००	१३८६.००	६१८६.००	

नोट:—शेष सात पंचायत समिति के पी. डी. आर. एक्ट के आधीन वसूली के कोई मामले नहीं हैं।

आयुर्वेदिक औषधालय, लाखेरी

६१२. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या आयुर्वेदिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी ग्राम जिला बूंदी की आबादी करीब १५ हजार है ?

(२) क्या सही है कि इस ग्राम में सीमेंट कम्पनी का निजी सफाखाना है और सरकार की ओर से डिस्पेन्सरी भी नहीं है और सिर्फ एक आयुर्वेदिक औषधालय है ?

(३) क्या यह सही है कि इस औषधालय के संचालन हेतु नगरपालिका ने करीब ४० हजार रुपये के ३ कमरे व बरामदा तैयार करके दिया है और इस आश्वासन पर कि इसे प्रथम श्रेणी का औषधालय बनाया जावेगा ?

(४) क्या यह सही है कि दवाईयों का बजट सिर्फ नाम मात्र का है और इस औषधालय में जो नर्स काम करती थी उसको बदल दिया गया और दूसरी नर्स की व्यवस्था नहीं की गई ?

(५) क्या यह सही है कि नर्स के लिए वहां की नगरपालिका ने व मैंने डाईरेक्टर को और मंत्री महोदय को प्रार्थना की थी व मंत्री महोदय ने स्वयं आदेश दिये थे, किन्तु डाइरेक्टर ने परवाह नहीं करके अभी तक भी नर्स की व्यवस्था नहीं की है ।

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) इस विभाग द्वारा औषधालय संचालित है ।

(३) प्रथम श्रेणी संबंधी आश्वासन इस विभाग द्वारा कोई नहीं दिया गया है औषधालय नगरपालिका द्वारा दिये गये भवन में कार्यरत है ।

(४) जी नहीं, औषधियां रोगी संख्या के अनुपात से आवश्यकतानुसार बराबर दी जाती हैं । नर्स प्रशिक्षण में भेजी गई हैं जो प्रशिक्षण समाप्ति पर पुनः वहां लगा दी जावेगी ।

(५) जी हां नर्स का प्रावधान वहां के लिए स्वीकृत है तथा वह प्रशिक्षण में गई हुई है अतः परवाह नहीं करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २७३ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति (विकास खण्ड) सिकराय को सन् १९५८ से सन् १९६३ तक मिली धनराशि तथा पंचायत समिति द्वारा विभिन्न पंचायतों को दी गई राशि की सूची

क्रमांक	वर्ष	राशि जो मिली	योग	पंचायतों को दी गई राशि	
१.	१९५८-५९	१०८३७.००)		१. सिकराय	१८७५०)
२.	१९५९-६०	२४६१६४.००)		२. कूंडेरा डूंगर	३६७५)
३.	१९६०-६१	४४०१३१.००)	१६८७१२४.००	३. डेगडा बसेड़ी	१८००)
४.	१९६१-६२	५५०७५०.००)		४. पांचोली	५९५८)
५.	१९६२-६३	४३९२१२.००)		५. कालवान	३८३०)
				६. पीपलकी	३४५०)
				७. उदयपुरा	३०००)
				८. टीकरिया	४४५०)
				९. हींगवा	८४४५)
				१०. धूमना	१८००)
				११. गीजगढ़	१४१५०)
				१२. नामनेर	५२४०)
				१३. करोड़ी	३९००)
				१४. चान्देरा	२७५०)
				१५. मानपुरा	४८६०)
				१६. आलगा बराड़ा	५०७२)
				१७. सिकन्दरा	११८१०)
				१८. अनतलपुरा	२४६०)

१	२	३
	१६. वाधनपाड़ा	२७४०)
	२०. दुक्री	२७१०)
	२१. टोरड़ा	३६६५)
	२२. फर्राशपुरा	३६६०)
	२३. कलाई	५६६५)
	२४. छोकरवाड़ा	४३२०)
	२५. डोलीका	४५३४)
	२६. गांगदवाड़ी	२४५०)
	२७. रानीली	४७२५)
	२८. देवरी	११००)
	२६. गंडेरावा	१६६०)
	३०. गुमानपुरा	३६७५)
	३१. मोन्चिगपुरा	६५०)
	३२. कालाखो	२५००)
	३३. बेराड़ा	२०५०)

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २७४ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति टोंक द्वारा वर्ष १९६२-६३ में दी गई तकावी व सहायता की सूची

क्र० सं०	कार्य	राशि
	तकावी	
१.	खरीद बैल	२२६५०) रु०
२.	नवीन कूप व मरम्मत कूप	४६२५०) रु०
३.	बाग लगाने के लिए	८७००) रु०
४.	भूमि व जल संरक्षण के लिए	२१२००) रु०
५.	पम्पिग सैट	२५००) रु०
६.	बीज गोदाम	२०००) रु०
	सहायता	
१.	नये कुए व उनकी मरम्मत	१९८६५) रु०
२.	स्कूल भवन	८२५०) रु०
३.	पंचायत घर	३५००) रु०
४.	गांवाई तालाब	११८५०) रु०
५.	पुस्तकालय	१३००) रु०
६.	बीज गोदाम	१०५०) रु०
७.	पुलिया	७०५५) रु०
८.	एनीकट	५८००) रु०
९.	सड़कें	१२५०) रु०
१०.	सांड खरीद	७५०) रु०
११.	बुलप्रिमियम स्कीम	१२७०) रु०
१२.	सहकारी समितियां	५८७५) रु०

१	२	३
१३.	अनुसूचित जन-जातियां	९८२) रु०
१४.	अनुसूचित जाति के लोगों	१३७४) रु०
१५.	अनुसूचित जाति के लोगों के व्यक्तियों के (उद्योग के लिए)	१०००) रु०
१६.	अनुसूचित जाति के लोगों के मकान हेतु	४९५०) रु०
१७.	कुए व बैलों के लिए	२२१९) रु०
१८.	महिला मंडल, नवयुवक मंडल व रिक्रियेशन सेन्टर	३६८५) रु०

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति टोडारायसिंह में सन् १९६२-६३ में दी गई तकावी व सहायता की सूची

तकावी

क्र. सं.	कार्य	राशि	कार्य की प्रगति
१.	कुआ (सिंचाई) निर्माण	१२३००)	१६ कार्यों में से १२ कार्य पूर्ण हो गये।
२.	नाड़ा निर्माण	३२३७५)	८० कार्यों में से ६६ कार्य पूर्ण हो गये।
३.	बैल खरीदने हेतु	२६५०)	आठों व्यक्तियों ने बैल खरीद लिये।
४.	भेड़ फार्म हेतु	७६००)	१६ में से १६ कार्य पूर्ण हो गये।
५.	पम्पिग सैट हेतु	२५००)	पम्पिग सैट लगा लिया गया।

सहायता

१.	पानी पीने के कुए	६४५०)	कार्य चालू है।
२.	स्कूल भवन	४६८३)	कार्य पूर्ण हो गया।
३.	पंचायत भवन	६१००)	कार्य चालू है।
४.	पुलिया	१०००	कार्य चालू है।

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति डीग में पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा लिए गये कर्जे की सूची

क्रमांक	नाम सदस्य	पंचायत	कार्य	तारीख	राशि	ऋण की अवधि	वसूली मूल	वसूली ब्याज	शेष मूल	शेष ब्याज	विशेष विवरण
१.	श्री सूखाराम	नगला बद्रीपुर	बैल खरीद	८-११-६०	१००)	२॥ वर्ष	६०)	१०.२३	४०)	४.४५	बैल खरीद लिया गया।
२.	,, सूखाराम	,, ,,	कुआ	१३-६-६२	८००)	१० ,,	–	–	८०)	८२.३४	कार्य पूर्ण हो चुका है।
३.	,, किशनलाल	खेड़ा	पम्पिंग सैट	२६-२-६०	१५००)	५ ,,	६००)	२७६.२५	३००)	५८.५०	दिनांक २३-१०-६२ व ७-११-६२ को कृषि प्रसार अधिकारी ने पंपिंग सैट देखा क्योंकि खराब अवस्था में था और पुराना खरीदा गया था। वसूली की कार्यवाही चालू है।
४.	,, विजयसिंह	कासोट	रहट	२८-१२-६२	३५०)	१० ,,	१८)	११.३८	१७)	१०.७३	दिनांक २०-४-६३ व ४-७-६३ को कृषि प्रसार अधिकारी ने कुआ देखा

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
										रहट लगा लिया गया है। वसूली की कार्यवाही चल रही है।
५. ,, शिवलाल	वहज	कुआ	१५-२-६२ १६-५-६२	७५०)	५ ,,	१५०)	६६.०८	७५)	१६.५०	दिनांक २३-१-६३ व २०-३-६३ को कुआ देखा कुआ बन चुका है।
६. ,, मंगलसिंह	शिसवाड़ा	कुआ	३१-३-६१	१०००)	५ ,,	७००)	रिकवरी अन्डर पी. डी. आर. एक्ट के तहत			
७. ,, रुपसिंह	जाटोलीथून	कुआ	१६-११-६२	१०००)	१० ,,	—	—	—	७०.४८	कार्य चालू है व वसूली की कार्यवाही चल रही है। दिनाङ्क २०-५-६३ को मौका देखा।
८. ,, मोहनलाल	स्यारोवली	कुआ	७-८-६३	१०००)	१० ,,	—	—	५.०)	५६.५८	कार्य चालू है वसूली की कार्यवाही चल रही है।

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति देवली में सन् १६६२–६३ में विकास कार्यों के लिये दी गई तकावी । सहायता की सूची

तकावी

क्रमांक कार्य	राशि	कार्य की प्रगति
१—नया कुआ निर्माण	७३२५) रु०	१३ कार्य अवधि में गं हो गये पूर्ण नहीं हुए ।
२—कुआ मरम्मत	१६२५०) रु०	५२ कार्य पूर्ण हो गये व ६ कार्य पूर्ण नहीं हुए ।
३—पम्पिंग सैट	१०००) रु०	यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ ।
४—बैल खरीद	५८००) रु०	२१ काश्तकारों ने जिन्हें तकावी दी गई थीं, बैल खरीद लिये हैं ।
५—कृषि औजार	२५०) रु०	काश्तकार ने औजार नहीं खरीदे ।
६—पंचायत नगर को लोन स्कूल भवन हेतु	५०००) रु०	कार्य पूर्ण नहीं हुआ ।

सहायता

क्रमांक कार्य	राशि	कार्य की प्रगति
१—नया कुआ पानी पीने	१७५०) रु०	४ कार्यों में से ३ कार्य चालू हैं व १ कार्य शुरू नहीं हुआ ।
२—पुराने कुए मरम्मत	७६७) रु०	पांचों कार्य चालू हैं ।
३—खुर्रा निर्माण	२६३०) रु०	खुर्रा निर्माण के दोनों कार्य पूरे हो गये । प्रमाण पत्र अब जारी किये जायेंगे ।
४—मकान निर्माण	१६२५) रु०	३ कार्यों में से १ कार्य पूर्ण हो गया । २ कार्य चालू हैं ।
५—स्कूल भवन	८००) रु०	२ कार्यों में से १ पूर्ण हो गया । दूसरा चालू है ।

———

*शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण सोमवार, दिनांक ६ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२६		(लूणकरनसर)	(लूणकरणसर)
३२	१२ व १६	श्री हरीराम	श्री हरिराम
३५	६	श्री निरनजननाथ	श्री निरंजननाथ
३६	११	,,	,,
३७	शीर्ष	(श्री निरंजनाथ	(श्री निरंजननाथ
३७	३	(गिरवां)	(गिरवां)
४३	अन्तिम से ३	श्री राम शिन	श्री रामकिशन
७३–७७	शीर्षक	नगरपालिका विधाविविक	न्यायपालिका–विधायिका
		विवाद विषयग	विवाद विषयक
७८	,,	विवाद विषयक	स्थगन–प्रस्ताव विषयक
७९	,,	नगरपालिका विधायिका	स्थगन–प्रस्ताव विषयक
८१	,,	नगरपालिका (संशोधन)	नगरपालिका (संशोधन) विधेयक
,,	११	विधेयक—	विधेयक
८२	शीर्ष	विधेयक, १९६४	नगरसुधार (संशोधन) विधेयक
,,	१५	विधेयक	विधेयक–
८३–२४६	शीर्षक	नोट : "इन स्कम्भों में कॉलम्स २२४ से २३६ के अतिरिक्त भूमि-कर–विधेयक, १९६४–६ अप्रेल, १९६४–अग्रेत्तर विचार-विमर्श" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है उनके स्थान पर कृपया इस प्रकार पढ़ें :	
		"राजस्थान नगरीय भूमि-कर–	६अप्रेल, ६४-विधेयक, १९६४"
१०२	शीर्ष	अग्रवाल)	अग्रवाल)
१६८	११	श्री भैंरंसिंह	श्री भैरोंसिंह
१८५	२४	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१८७	शीर्ष	(श्री मैरोंसिह)	(श्री भैरोंसिंह)
२०६	अन्तिम से ७	Sulstitute	substitute
,,	,, ,, ६	(बाल)	(बार्ला)
२३१	शीर्ष	(श्री भंरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
२३२–२३६	शीर्षक	भूमि-कर विधेयक १९६४–६ अप्रेल, ६४–अग्रेतर विचार विमर्श	एक माननीय सदस्य द्वारा-६ अप्रेल, १९६४–राजकीय सेवा करने विषयक आक्षेप,
२३६	२२	खण्ड २१	—
२३७	,, ,,	गीयल)	गोयल)
२५०	अन्तिम से २	रजिट्रार से	रजिस्ट्रार से

*नोट:— विस्तृत शुद्धि–पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।